ध्येयIAS®
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

वर्ष 5 | अंक 15 | अगस्त 2023 / Issue 01 | मूल्य : ₹ 55

dhyeyaias.com

डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उद्घाटन और उसका औचित्य

भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन रणनीति को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता

भारत में विधिक साक्षरता और न्याय की दिशा में कितना कारगर होगा नया टेली-लॉ कार्यक्रम

कारोबारी सुगमता और कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूती देने के प्रयास

यूरेशिया की राजनीति पर भारत-फ्रांस और भारत-यूएई साझेदारी का प्रभाव

निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) रिपोर्ट, 2022 के मुख्य पहलू और इसकी आवश्यकता

भारत में सोशल मीडिया पर बढ़ते अपराध हेतु डिजिटल विनियमन की आवश्यकता

मुख्य परीक्षा विशेष: अर्थव्यवस्था और कृषि पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

परफेक्ट-7

करेंट अफेयर्स मैगजीन ही क्यों?

1. सर्वप्रथम परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन, प्रत्येक 15 दिन में प्रकाशित होती है जिससे छात्र करेंट अफेयर्स से अप-टू-डेट रहते हैं, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाएं मासिक होती हैं जिससे महीने भर की करेंट अफेयर्स एक साथ एकत्र हो जाती हैं। अधिक करेंट अफेयर्स होने के कारण छात्र प्राय: सभी लेखों को पढ़ नहीं पाते। अंतत: वे वार्षिकी और अर्द्धवार्षिक मैगजीन पर निर्भर हो जाते हैं।
2. परफेक्ट-7 मैगजीन आईएएस और पीसीएस केंद्रित परीक्षा को ध्यान में रखकर बनाई गई है, वहीं अन्य कोचिंग संस्थानों की पत्रिकाओं में आईएएस और पीसीएस परीक्षा के नाम पर अनावश्यक एवं अतिरिक्त सामग्री शामिल कर देते हैं, जिससे छात्रों में कन्फ्यूजन हो जाता है।
3. परफेक्ट-7 मैगजीन में 15 दिन के दौरान महत्त्वपूर्ण परीक्षा उपयोगी घटनाओं पर विषय विशेषज्ञों द्वारा 7 संपादकीय लेख, महत्त्वपूर्ण घटनाओं और सूचनाओं पर 42 लेख, रचनात्मक शैली में 7 ब्रेन-बूस्टर, करेंट अफेयर्स, वन लाइनर, प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा संबंधित प्रश्न आदि दिए जाते हैं। इसके साथ व्यक्ति विशेष नाम का एक खंड भी है जो ऐतिहासिक व्यक्तित्व के देश और समाज के प्रति योगदान को दर्शाता है। इस तरह 15 दिन की अवधि में आईएएस, पीसीएस परीक्षा केंद्रित कोई भी महत्त्वपूर्ण सूचना और खबर नहीं छूटती।
4. इसके साथ ही केस स्टडी खंड के माध्यम से छात्र यह सीखते हैं कि एक अधिकारी को अपने कार्यकाल के दौरान कैसी परिस्थितियों का सामना करना होता है और उसका क्या समाधान हो सकता है?
5. परफेक्ट-7 करेंट अफेयर्स मैगजीन के माध्यम से Dhyeya IAS के सबसे महत्त्वपूर्ण परीक्षा कार्यक्रम PMI (Pre + Mains + Interview) की अच्छे से तैयारी हो जाती है।
6. करेंट अफेयर्स आधारित कक्षाओं में परफेक्ट-7 के माध्यम से तैयारी कराई जाती है जिससे छात्रों की गुणवत्तापूर्ण तैयारी हो पाती है।
7. परफेक्ट-7 मैगजीन प्रत्येक माह की 10 और 25 तारीख को छात्रों के लिए उपलब्ध हो जाती है, वहीं अन्य संस्थानों की मैगजीन में करेंट अफेयर्स पिछले महीने का होता है और पत्रिका में आगे का अगला महीना अंकित होता है, अर्थात करेंट अफेयर्स लगभग 1 माह पुराना होता है।
8. परफेक्ट-7 मैगजीन में प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा केंद्रित मॉक टेस्ट रहते हैं जिसके माध्यम से छात्र अपनी तैयारी को और भी सटीक बना सकते हैं।

-: For any feedback Contact us :-

+91 6393005298

perfect7magazine@gmail.com

OUR OTHER INITIATIVES

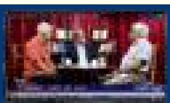

DHYEYA TV
Current affairs Programmes hosted
by Mr. Qurban Ali
Ex. Editor RSTV) & by Dhyeya Team
Broadcasted on YouTube & Dhyeya TV

UDAAN TIMES
Putting You Ahead of Time...
Hindi & English
Current Affairs
Monthly
News Paper

पहला पन्ना

विनय कुमार सिंह
संस्थापक
ध्येय IAS

करेंट अफेयर्स संघ लोक सेवा आयोग और राज्य लोक सेवा आयोगों की ओर से आयोजित परीक्षाओं की तैयारी में अति महत्त्वपूर्ण स्थान रखता है। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्त्व के मुद्दों पर प्रासंगिक सूचनाओं से जुड़ाव होना अभ्यर्थियों के लिए काफी जरूरी समझा गया है। इसी जरूरत को पूरा करने के लिए परफेक्ट-7 पत्रिका का पाक्षिक प्रकाशन किया जा रहा है। आईएएस और पीसीएस की तैयारी तभी पूर्ण मानी जाती है जब प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और इंटरव्यू स्तर की गतिशील प्रकृति के राज्यों और विश्लेषणों को आप सभी तक समावेशी रूप में रखा जाये। परफेक्ट-7 मैगजीन इसी विजन और दृष्टिकोण को ध्यान में रखती है और विद्यार्थियों की कटेंट के स्तर पर बहुआयामी जरूरतों को समझती है। इसीलिए इस मैगजीन को करेंट अफेयर्स के साथ-साथ सामान्य अध्ययन के महत्त्वपूर्ण खंडों से जुड़े अति प्रासंगिक कंटेंट के साथ प्रस्तुत किया जा रहा है। एक तरफ जहां करेंट अफेयर्स के स्तर पर सबसे पहले मुख्य परीक्षा को ध्यान में रखते हुए 7 ज्वलंत विषयों पर समसामयिक लेखों को, स्वतंत्रता आंदोलन और अन्य क्षेत्रों से जुड़े व्यक्तित्व की जीवनी और भूमिकाओं को, सामान्य अध्ययन के विविध खंडों के सर्वाधिक उपयोगी विषयों पर मुख्य परीक्षा के स्तर पर कवरेज दिया जा रहा है, वहीं प्रारंभिक परीक्षा के स्तर पर 15 दिन पर सबसे महत्त्वपूर्ण करेंट अफेयर्स के मुद्दों को कवर किया जा रहा है जिसमें राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, पर्यावरण और पारिस्थितिकी तंत्र, लोक प्रशासन, कला-संस्कृति, विज्ञान-प्रौद्योगिकी, राजव्यवस्था और अर्थव्यवस्था के मुद्दों पर जोर दिया जाता है।

विद्यार्थियों की संकल्पना के स्तर पर समझ को बढ़ने के लिए ब्रेन-बूस्टर सेक्शन में 7 ग्राफिक्स के जरिये विषय को संक्षेप और सारगर्भित रूप में प्रस्तुत किया जा रहा है। इसके अलावा सिविल सर्विसेज की परीक्षा में प्रमुखता से पूछे जाने वाले ग्लोबल इनिशिएटिव्स, वैधिक संस्थाओं, संगठनों की संरचना, कार्यप्रणाली, महत्त्वपूर्ण रिपोर्ट्स, सूचकांकों पर अपडेटेड जानकारी इस पत्रिका में शामिल रहती है। इस मैगजीन को केवल बच्चों व केवल एनालिसिस पर जोर देते हुए नहीं बनाया गया है बल्कि इस मैगजीन का ध्येय यह है कि सिविल सेवा के प्रारंभिक और मुख्य परीक्षा के उभरते हुए ट्रेंड्स और प्रश्नों की नई प्रकृति को देखते हुए अभ्यर्थियों को एक ऐसी समावेशी मैगजीन उपलब्ध कराई जाए, जिससे वे सिविल सेवा एग्जाम की नई जरूरतों को समझते हुए अपनी तैयारी को एक नई दिशा दे सकें। पत्रिका के प्रारूप में अभ्यर्थियों की तथ्यात्मक आवश्यकताओं, मानसिक विकास, लेखन प्रविधि विकसित करने जैसे विषयों को ध्यान में रखते हुये स्तंभ शामिल किये गये हैं। इसके साथ ही हम अभ्यर्थियों की बदलती आवश्यकताओं के अनुरूप नये स्तंभ शुरू करते रहे हैं और आगे भी यह क्रम जारी रहेगा। आशा है कि आप सभी के लिये यह अंक उपयोगी सिद्ध होगा। हमें आपके सुझावों की प्रतीक्षा रहेगी।

शुभकामनाओं के साथ।

ध्येयIAS
most trusted since 2003

परफेक्ट 7

यूपीएससी व पीसीएस परीक्षाओं के लिए संपूर्ण पाक्षिक

इस अंक में ...

प्रबंध संपादक : विजय सिंह
: बाघेन्द्र सिंह
संपादक : विवेक ओझा
सह-संपादक : आशुतोष मिश्र
: सौरभ चक्रवर्ती
उप-संपादक : हरि ओम पाण्डेय
: भानू प्रताप
संपादकीय सहयोग : दीपक त्रिपाठी
: सल्तनत परवीन
: नितिन, अर्शदीप
: ऋषिका तिवारी
: ऋतु, प्रत्यूषा
: तपस्या, लोकेश
मुख्य समीक्षक : ए.के. श्रीवास्तव
शोध एवं समीक्षक : शशांक त्रिपाठी
डिजाइनिंग एवं : अरूण मिश्र
डेवलपमेंट : पुनीष जैन
सोशल मीडिया : केशरी पाण्डेय
सहयोग : जीवन ज्योति
मार्केटिंग सहयोग : रवीश, प्रियांक
टंकण : सचिन, तरून
तकनीकी सहायक : वसीफ खान
कार्यालय सहायक : राजू, चंदन, गुड्डू
: अरूण, राहुल

समसामयिकी लेख 5-18

1. डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उद्घाटन और उसका औचित्य
2. भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन रणनीति को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता
3. भारत में विधिक साक्षरता और न्याय की दिशा में कितना कारगर होगा नया टेली-लॉ कार्यक्रम
4. निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) रिपोर्ट, 2022 के मुख्य पहलू और इसकी आवश्यकता
5. यूरेशिया की राजनीति पर भारत-फ्रांस और भारत-यूएई साझेदारी का प्रभाव
6. कारोबारी सुगमता और कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूती देने के प्रयास
7. भारत में सोशल मीडिया पर बढ़ते अपराध हेतु डिजिटल विनियमन की आवश्यकता

राष्ट्रीय 19-22
अंतर्राष्ट्रीय 23-27
पर्यावरण 28-32
विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी 33-37
आर्थिकी 38-41
विविध 42-46
मुख्य परीक्षा हेतु संभावित अभ्यास प्रश्न ..47
राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें 48-51
समसामयिक घटनाएं एक नजर में 52
ब्रेन-बूस्टर 53-59
मुख्य परीक्षा विशेष: अर्थव्यवस्था और कृषि पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्न 60-66
समसामयिकी आधारित बहु-विकल्पीय प्रश्न 67-70

साभार:- PIB, PRS, AIR, ORF, प्रसार भारती, योजना, कुरूक्षेत्र, द हिन्दू, डाउन टू अर्थ, इंडियन एक्सप्रेस, इंडिया टुडे, WION, Deccan Herald, HT, ET, ToI, दैनिक जागरण व अन्य

आगामी अंक में

- एशियाई राजनीति और आर्थिक व्यवस्था में ब्रिक्स की भूमिका का मूल्यांकन
- सीमा पर बढ़ती जासूसी और घुसपैठ की गतिविधियां तथा भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा प्रबंधन की वर्तमान तैयारी
- भारत और वैश्विक स्वास्थ्य तंत्र के समक्ष नई चुनौतियां: भारत के स्वास्थ्य प्रबंधन का मूल्यांकन
- भारत में महिला अपराधों की वर्तमान स्थिति और प्रभावी दंड विधान की आवश्यकता
- डीप सी माइनिंग कहां तक है औचित्यपूर्ण और इसके संदर्भ में भारत की रणनीति और कार्यवाही
- विश्व की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने की भारत की रणनीतियों, चुनौतियों एवं संभावनाओं का मूल्यांकन
- सुप्रीम कोर्ट स्टैंडिंग कमेटी द्वारा मनरेगा मजदूरी और बजट में सुधार की सिफारिश ग्रामीण विकास हेतु जरूरी

डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम का उद्घाटन और उसका औचित्य

वर्तमान समय में हिंद महासागर, दुनिया के कंटेनर शिपमेंट का आधा हिस्सा, थोक कार्गो यातायात का एक तिहाई और तेल शिपमेंट का दो-तिहाई हिस्से में योगदान देता है। मात्रा के हिसाब से भारत का 90% व्यापार और 90% तेल आयात समुद्र के माध्यम से होता है। भारत के पास 7500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 1200 द्वीप और 2.4 मिलियन वर्ग किलोमीटर के विशेष आर्थिक क्षेत्र के साथ 12 प्रमुख बंदरगाह हैं। हिंद महासागर ने एशिया में वैश्विक आर्थिक इंजनों के बदलाव के साथ नई प्रमुखता हासिल की है। यह क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं, समुद्री डकैती, आतंकवाद, अवैध मछली पकड़ने, तेल रिसाव और जलवायु परिवर्तन के प्रभावों जैसे गैर-पारंपरिक खतरों का भी साक्षी बन रहा है। समुद्री सुरक्षा सभी हिंद महासागर तटीय देशों के साथ और वर्तमान में मौजूद विभिन्न औपचारिक व अनौपचारिक संरचनाओं के माध्यम से भारत के द्विपक्षीय संबंधों का एक महत्त्वपूर्ण आयाम है। इसे देखते हुए अब अंतर्देशीय जलमार्गों पर तटीय नेविगेशन, खोज, बचाव कार्यों और नेविगेशन के लिए प्रयुक्त सैटेलाइट सिस्टम हेतु ग्लोबल नेविगेशन की विशाल क्षमता में तेजी से रुचि बढ़ रही है।

भारत की समुद्री सुरक्षा के लिए हिंद महासागर के सामरिक महत्त्व को ध्यान में रखते हुए केंद्रीय बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने हाल ही में समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए स्वदेशी डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (DGNSS) 'सागर संपर्क' का उद्घाटन किया है।

डिफरेंशियल वैश्विक नेविगेशन उपग्रह प्रणाली:

डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम एक स्थल आधारित एन्हांसमेंट सिस्टम है जो ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में त्रुटियों और अशुद्धियों को ठीक करता है जिससे अधिक सटीक पोजिशनिंग की जानकारी मिल सकती है। यह 'मेड इन इंडिया' प्रणाली जहाजों को सुरक्षित नेविगेशन के लिए अधिक सटीक जानकारी प्रदान करता है।

ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम:

- ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम में पृथ्वी की परिक्रमा करने वाले उपग्रहों के नक्षत्र शामिल हैं जो अंतरिक्ष और समय में अपने स्थानों को प्रसारित करते हैं। जीएनएसएस का उपयोग परिवहन के सभी रूपों में जैसे-अंतरिक्ष स्टेशन, विमानन, समुद्री, रेल, सड़क और बड़े पैमाने पर पारगमन किया जाता है। पोजिशनिंग, नेविगेशन और टाइमिंग (PNT) दूरसंचार, भूमि सर्वेक्षण, कानून प्रवर्तन, आपातकालीन प्रतिक्रिया, सटीक कृषि, खनन, वित्त, वैज्ञानिक अनुसंधान आदि में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उनका उपयोग कंप्यूटर नेटवर्क, हवाई यातायात, पावर ग्रिड को नियंत्रित करने के लिए किया जाता है।
- वर्तमान में जीएनएसएस में दो पूरी तरह से परिचालित वैश्विक प्रणालियां (संयुक्त राज्य अमेरिका की ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम-GPS और रूसी संघ की ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम -GLONASS) हैं। इसके अलावा विकासशील वैश्विक और क्षेत्रीय प्रणालियां अर्थात् यूरोप की यूरोपीय उपग्रह नेविगेशन प्रणाली (गैलीलियो), चीन की कम्पास/बेई-डोउ, भारत की क्षेत्रीय नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम और जापान की क्वासी-जेनिथ सैटेलाइट सिस्टम शामिल हैं।

एनएवीआईसी/आईआरएनएसएस:

- भारतीय नक्षत्र के साथ नेविगेशन (NAVIC) भारत की स्वतंत्र स्टैंड-अलोन नेविगेशन उपग्रह प्रणाली का नाम है। इस प्रणाली को पहले भारतीय क्षेत्रीय नेविगेशन उपग्रह प्रणाली (IRNSS) के रूप में जाना जाता था। NAVIC नाम अप्रैल 2016 में सैटेलाइट समूह के पूरा होने के अवसर पर भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा दिया गया था।

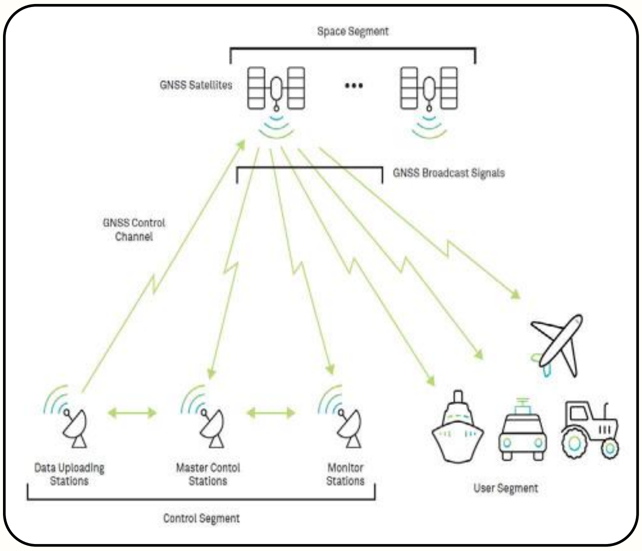

गगन:

- गगन का मतलब जीपीएस एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन है। यह एक उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है जिसे मुख्य रूप से भारतीय हवाई क्षेत्र में जीवन की सुरक्षा के लिए नागरिक उड्डयन अनुप्रयोगों हेतु विकसित किया गया है। यह जीपीएस के लिए सुधार और पूर्ण संदेश प्रदान करता है।
- गगन की स्थापना इसरो और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा संयुक्त रूप से की गई है। इसका प्रचालन और अनुरक्षण भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जा रहा है।

भारत के लिए महत्त्व:

- भारत में 12 प्रमुख और 200 गैर-प्रमुख/मध्यवर्ती बंदरगाह (राज्य

सरकार प्रशासन के तहत) हैं। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट भारत का सबसे बड़ा प्रमुख बंदरगाह है, जबकि मुंद्रा (गुजरात) सबसे बड़ा निजी बंदरगाह है। जवाहरलाल नेहरू पोर्ट पहला 100% लैंडलॉर्ड मेजर पोर्ट बन गया है। इसके अलावा भारत दुनिया के शीर्ष-5 जहाज रीसाइक्लिंग देशों में से एक है जो वैश्विक जहाज रीसाइक्लिंग बाजार में 30% हिस्सेदारी रखता है। मात्रा के अनुसार देश के व्यापार का लगभग 95% और मूल्य द्वारा 68% समुद्री परिवहन के माध्यम से स्थानांतरित किया जाता है।

- हाल ही में जारी विश्व बैंक की लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स (LPI) रिपोर्ट 2023 भारतीय बंदरगाहों और रसद क्षेत्र के लिए कुछ उत्साहजनक खबर लेकर आई है। भारत 2018 में 44वें स्थान से अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट श्रेणी में वैश्विक रैंकिंग में 22वें स्थान पर पहुंच गया है। इसके अलावा देश ने समग्र एलपीआई स्कोर में 38वीं रैंक अर्जित की है जो पहले के 44वें स्थान में सुधार है।
- नेविगेशन की सुरक्षा के लिए उच्च प्राथमिकता की आवश्यकता है, खासकर हाल के दिनों में शिपिंग वॉल्यूम में काफी वृद्धि के कारण। डीजीएलएल के तहत 06 स्थानों पर 'सागर संपर्क- डिफरेंशियल ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (DGNSS)' का शुभारंभ, समुद्री नेविगेशन की क्षमता को निश्चित रूप से बढ़ाएगा।
- डीजीएनएसएस सेवा सुरक्षित नेविगेशन में नाविकों की मदद करेगी। यह बंदरगाह क्षेत्रों में टकराव, ग्राउंडिंग और दुर्घटनाओं के जोखिम को कम करेगी। इससे जहाजों की सुरक्षित और कुशल आवाजाही होगी।
- डीजीएनएसएस अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन, समुद्र में जीवन की सुरक्षा और इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ मरीन एड्स टू नेविगेशन एंड लाइटहाउस अथॉरिटी के अंतर्राष्ट्रीय दायित्वों को पूरा करने की दिशा में नेविगेशन के लिए एक महत्त्वपूर्ण रेडियो सहायता है।
- जीपीएस और ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (ग्लोनास) जैसे कई उपग्रह नक्षत्रों के साथ पुनर्पूजीकरण के बाद, डीजीएनएसएस सटीकता को बढ़ाता है जो नाविकों को 5 मीटर के भीतर अपनी स्थिति में सुधार करने में मदद करता है।
- डीजीएनएसएस जीपीएस पोजिशनिंग की सटीकता में काफी सुधार करता है तथा वायुमंडलीय निष्कर्ष, उपग्रह घड़ी बहाव और अन्य कारकों के कारण होने वाली त्रुटियों को कम करता है। यह अत्याधुनिक प्रौद्योगिकी रिसीवर और नवीनतम सॉफ्टवेयर की मदद से हासिल किया जाता है। भारतीय समुद्री तटों से 100 समुद्री मील के लिए त्रुटि सुधार सटीकता को 10 मीटर से 5 मीटर तक सुधार दिया गया है।

समुद्री क्षेत्र के लिए भारत सरकार की पहल:

- **सागरमाला परियोजना-** सागरमाला कार्यक्रम मार्च 2015 में बंदरगाह आधुनिकीकरण और नए बंदरगाह का विकास करने, बंदरगाह कनेक्टिविटी बढ़ाने, बंदरगाह के नेतृत्व वाले औद्योगिकीकरण तथा तटीय सामुदायिक विकास को प्राप्त करने के उद्देश्य से शुरू किया गया था। सागरमाला कार्यक्रम भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा, 14,500 किलोमीटर संभावित नौगम्य जलमार्ग और प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार मार्गों पर रणनीतिक स्थान के उपयोग के माध्यम से देश में बंदरगाह आधारित विकास को बढ़ावा देने के लिए शिपिंग मंत्रालय का प्रमुख कार्यक्रम है। सागरमाला कार्यक्रम का मुख्य दृष्टिकोण न्यूनतम बुनियादी ढांचे के निवेश के साथ एक्जिम और घरेलू व्यापार के लिए रसद लागत को कम करना है।
- **सागर सेतु-** 'नेशनल लॉजिस्टिक पोर्टल- मरीन' कार्गो सेवाओं, वाहक सेवाओं, बैंकिंग और वित्तीय सेवाओं तथा नियामक और भाग लेने वाली सरकारी एजेंसियों से संबंधित सभी हितधारकों के लिए एकल खिड़की डिजिटल मंच है। यह 'सागर सेतु' ऐप के साथ बंदरगाहों में वस्तुओं और सेवाओं की निर्बाध आवाजाही की सुविधा प्रदान करता है, जबकि 'व्यापार करने में आसानी' मापदंडों को काफी हद तक बढ़ाता है।
- **मैरीटाइम इंडिया विजन 2030-** यह बंदरगाह, शिपिंग और जलमार्ग मंत्रालय द्वारा अगले दशक में भारत को वैश्विक समुद्री क्षेत्र में सबसे आगे बढ़ाने के उद्देश्य से तैयार किया गया था।
- एमआईवी 2030 में बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्ग श्रेणियों में 3 लाख करोड़ रुपये के समग्र निवेश की परिकल्पना की गई है। इस विजन रोडमैप से भारतीय बंदरगाहों के लिए 20,000 करोड़ रुपये के संभावित वार्षिक राजस्व को अनलॉक करने में मदद मिलने का अनुमान है। इसके अलावा इससे भारतीय समुद्री क्षेत्र में अतिरिक्त 20 लाख नौकरियां (प्रत्यक्ष और गैर-प्रत्यक्ष) सृजित होने की उम्मीद है।
- भारत का लक्ष्य 2030 तक ग्रीन टग ट्रांजिशन प्रोग्राम के शुभारंभ के साथ 'ग्रीन शिप बिल्डिंग के लिए ग्लोबल हब' बनना है। ग्रीन पोर्ट एंड शिपिंग में भारत का पहला राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र गुरुग्राम (हरियाणा) में स्थापित किया गया था। 'ग्रीन हाइब्रिड टग्स', ग्रीन हाइब्रिड प्रोपल्शन सिस्टम द्वारा संचालित होगा जो बाद में गैर-जीवाश्म ईंधन समाधान (मेथनॉल, अमोनिया, हाइड्रोजन) को अपनाएगा। 2025 तक सभी प्रमुख बंदरगाहों में काम शुरू करने के लिए प्रारंभिक ग्रीन टग्स का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। 2030 तक सभी टग्स के कम से कम 50% को ग्रीन टग्स में परिवर्तित किए जाने की संभावना है जिससे उत्सर्जन में काफी कमी आएगी क्योंकि देश सतत विकास प्राप्त करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

आगे की राह:

बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय नवाचार, सर्वोत्तम बुनियादी ढांचे के निर्माण तथा भारतीय समुद्री क्षेत्र को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। पिछले कुछ वर्षों में सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कई पहलों और नीतिगत सुधारों के कारण बंदरगाहों को आर्थिक गतिविधि के केंद्र के रूप में विकसित करने का लगातार प्रयास किया है। भारतीय बंदरगाहों और भारतीय समुद्री क्षेत्र की परिचालन क्षमताओं के लिए वैश्विक मान्यता मिली है जैसे कि विश्व बैंक एलपीआई रिपोर्ट 2023 में उल्लेख किया गया है कि समुद्री भारत विजन, 2030 में परिकल्पित वैश्विक समुद्री शक्ति बनने की दिशा में देश के कदम को प्रोत्साहित करता है।

भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन रणनीति को अधिक प्रभावी बनाने की आवश्यकता

इस वर्ष भारत में मानसून का काल अत्यधिक गंभीर परिस्थितियों वाला देखा गया है जिसमें गंभीर मौसमी दशाओं ने बड़े पैमाने पर जन धन की क्षति की है जिसमें चरम मौसम की घटनाओं ने व्यापक तबाही मचाई है। हिमाचल प्रदेश में अचानक आई बाढ़ और भूस्खलन, दिल्ली में 40 साल में सबसे भारी बारिश तथा फरवरी में रिकॉर्ड तोड़ तापमान जलवायु परिवर्तन के प्रभावों का संकेत देते हैं। अप्रैल और जून में, भारत के पूर्व तथा मध्य क्षेत्रों में एक आर्द्र गर्मी का अनुभव जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। इसके अलावा चक्रवात बिपारजॉय अरब सागर में बना जो 13 दिनों तक चला और 1977 के बाद से सबसे लंबे समय तक चलने वाला चक्रवात बन गया। मौसम विज्ञानी और जलवायु वैज्ञानिक इन घटनाओं को ग्लोबल वार्मिंग के स्तर को बढ़ाने से जोड़ते हैं तथा जलवायु कार्यवाही की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हैं।

भारी बारिश होने का कारण:

- भारत में भारी बारिश का दौर तीन मौसम प्रणालियों के अभिसरण के परिणामस्वरूप होता है: पश्चिमी हिमालय में पश्चिमी विक्षोभ, उत्तर-पश्चिमी मैदानी इलाकों में चक्रवाती परिसंचरण और गंगा के मैदानों में मानसून ट्रफ। हालांकि मानसून के दौरान सामान्य रूप से जलवायु परिवर्तन ने इस परिदृश्य को बदल दिया है। भूमि और समुद्र के बढ़ते तापमान से हवा की नमी की क्षमता बढ़ जाती है जिससे भारत में चरम मौसम की घटनाओं पर जलवायु परिवर्तन का प्रभाव बढ़ जाता है।
- जलवायु परिवर्तन वायुमंडलीय और समुद्री घटनाओं को भी बाधित करता है जिससे ग्लोबल वार्मिंग का प्रभाव बढ़ जाता है। अल नीनो, अधिक कार्बन छोड़ने वाले बड़े जंगल की आग, गर्म उत्तरी अटलांटिक महासागर, असाधारण अरब सागर वार्मिंग और असामान्य ऊपरी स्तर के परिसंचरण पैटर्न 2023 की अनूठी मौसम की घटनाओं में योगदान करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित इन प्रणालियों के बीच बातचीत, जलवायु कार्यवाही और अनुकूलन उपायों की आवश्यकता पर जोर देते हुए चल रही भारी वर्षा, बाढ़ तथा भूस्खलन में योगदान देती है।

हिमाचल प्रदेश में मानसून का कहर:

- हिमाचल प्रदेश में 24 जून को मानसून आने के बाद से अब तक 120 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अचानक आई बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने से राज्य को करीब 5000 करोड़ रुपये का नुकसान हुआ है। अनियोजित शहरी विस्तार और बुनियादी ढांचे के विकास ने चरम घटनाओं के लिए पहाड़ी इलाकों की भेद्यता को बढ़ा दिया है। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों में स्थायी और सुनियोजित विकास प्रथाओं को लागू करना आवश्यक है। पर्यावरण और भूमि उपयोग योजना, जलवायु-लचीला डिजाइनों को शामिल करना और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करना भारत के पहाड़ी क्षेत्रों में चरम मौसम की घटनाओं की भेद्यता को कम करने में महत्त्वपूर्ण कदम हैं।

पहाड़ी क्षेत्रों में पर्यावरण नियोजन क्यों आवश्यक है?

- **आपदा जोखिमों को कम करना:** पहाड़ी क्षेत्र भूस्खलन और बाढ़ जैसी प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त हैं। पर्यावरण नियोजन उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों की पहचान करने में मदद करता है और कमजोर क्षेत्रों में विकास को रोकता है तथा मानव बस्तियों पर आपदाओं के प्रभाव को कम करता है।
- **पारिस्थितिक संतुलन का संरक्षण:** पहाड़ी क्षेत्र अकसर अद्वितीय और नाजुक पारिस्थितिक तंत्र की मेजबानी करते हैं। पर्यावरण नियोजन सतत विकास सुनिश्चित करता है जो वनों, नदियों और पारिस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों की रक्षा करता है साथ ही जैव विविधता तथा पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं को बनाए रखता है।
- **भूमि उपयोग का प्रबंधन:** पहाड़ी इलाके शहरी विकास के लिए चुनौतियां पैदा करते हैं। नियोजन उपयुक्त और गैर-उपयुक्त भूमि पार्सल निर्धारित करने में मदद करता है, पर्यावरणीय गिरावट को कम करने के लिए जिम्मेदार भूमि उपयोग का मार्गदर्शन करता है।
- **जलवायु परिवर्तन अनुकूलन:** बदलते मौसम के पैटर्न के साथ, पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा की तीव्रता में वृद्धि हो रही है। जल विज्ञान मॉडल के साथ पर्यावरण नियोजन संभावित बाढ़ क्षेत्रों का अनुमान लगाने में मदद करता है जिससे जलवायु-लचीला विकास सक्षम होता है।
- **आर्थिक विकास और स्थिरता को संतुलित करना:** पर्यावरण नियोजन आर्थिक विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाता है। यह अल्पकालिक लाभ से बचने में मदद करता है जो आपदाओं और पारिस्थितिक क्षति से दीर्घकालिक आर्थिक नुकसान का कारण बन सकता है।

पहाड़ी क्षेत्रों के लिए पर्यावरण नियोजन रणनीतियाँ:

- **भौगोलिक सूचना प्रणाली:** भूमि उपयोग, मिट्टी, ढलान, जल विज्ञान और खतरे के नक्शे का विश्लेषण करने के लिए जीआईएस तथा उपग्रह छवियों का उपयोग करें। इन परतों को वेटेज के साथ हटाने से उपयुक्त विकास क्षेत्रों की पहचान करने की अनुमति मिलती है। उदाहरण के लिए, हिमाचल प्रदेश के दिशानिर्देश 45 डिग्री से अधिक ढलानों पर विकास को सीमित करते हैं और उच्चतम बाढ़ स्तर (HFL) के पास बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में निर्माण को प्रतिबंधित करते हैं।
- **जल विज्ञान मॉडल और जलवायु डेटा:** अत्यधिक वर्षा की घटनाओं के दौरान सतह अपवाह और नदी प्रवाह का अनुमान लगाने के लिए जल विज्ञान मॉडल तथा तीव्रता अवधि आवृत्ति वक्रों को लागू करें। यह संभावित बाढ़ क्षेत्रों के मानचित्रण में सहायता करता है।
- **ओपन-सोर्स टेक्नोलॉजी:** बड़े पैमाने पर पर्यावरण नियोजन करने के लिए Google Earth Engine और Python जैसे ओपन-सोर्स

टूल का लाभ उठाएं। ये प्रौद्योगिकियां कम्प्यूटेशनल दक्षता को बढ़ाती हैं और राज्य-स्तर या बड़े पैमाने पर योजना बनाने में सक्षम करती हैं।

- **नोडल एजेंसियों के साथ सहयोग:** उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों को मैप करने और संबंधित हितधारकों को जानकारी प्रसारित करने के लिए राज्य आपदा प्रबंधन एजेंसी जैसी राज्य स्तरीय नोडल एजेंसियों के साथ काम करना।
- **मजबूत पर्यावरण नीतियां:** मजबूत नीतियों के साथ पर्यावरण और भूमि उपयोग योजना का समर्थन करें। विनियमों और दिशानिर्देशों को सतत विकास प्रथाओं को बढ़ावा देना चाहिए, पहाड़ी क्षेत्रों में आर्थिक विकास तथा पर्यावरणीय स्थिरता के बीच नाजुक संतुलन को संरक्षित करना चाहिए।

शहरी बाढ़:

- शहरी बाढ़ एक घनी आबादी वाले शहर में भूमि और संपत्ति के जलप्लावन को संदर्भित करती है, जब वर्षा जल निकासी क्षमता से अधिक होती है। मौसम के बदलते पैटर्न से कम दिनों में अधिक तीव्र बारिश होती है जिससे शहरी बाढ़ की संभावना बढ़ जाती है। हाल ही में, दिल्ली में मूसलाधार बारिश ने जलभराव और यमुना के जल स्तर में रिकॉर्ड तोड़ वृद्धि के साथ बाढ़ जैसी स्थिति पैदा कर दी है।

शहरी तूफान जल प्रबंधन से संबंधित मुद्दे:

- **योजना में संरचनात्मक कमियां:** शहरों में योजना के दौरान तूफानी पानी के प्रबंधन पर विचार नहीं किया जाता है, जबकि मास्टर प्लान में विकास नियंत्रण नियम रन-ऑफ नियंत्रण उपायों की अनदेखी करते हैं।
- **खुले स्थानों और जल निकायों पर अतिक्रमण:** खुले स्थानों और जल निकायों को शहरी भूमि उपयोग के लिए नियोजित अतिक्रमण का सामना करना पड़ता है। दिल्ली में बारापुला नाले को बस डिपो निर्माण के लिए कवर किया गया जिससे जल निकायों से समझौता हुआ।
- **बरसाती नालों की खराब स्थिति:** शहरों में बरसाती नाले अपर्याप्त और अप्रभावी परिस्थितियों में हैं। नालियों के संचालन और रखरखाव की अक्सर उपेक्षा की जाती है।
- **ठोस कचरे के साथ नालियों का चोक:** बरसाती नालियां अक्सर नगरपालिका और विध्वंस कचरे से जाम हो जाती हैं। उदाहरण के लिए, दक्षिण दिल्ली के तैमूर नगर में जमा कचरे के कारण नाला जाम हो गया।
- **गैर-संरचनात्मक नीति ढांचे की कमी:** शहरी तूफान प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय/राज्य स्तरीय नीति ढांचे और दिशानिर्देशों की अनुपस्थिति। स्मार्ट सिटी, स्वच्छ भारत और अटल मिशन जैसे शहरी विकास मिशन शहरी बाढ़ को व्यापक रूप से संबोधित करने में विफल रहे हैं।

भारत में बाढ़ शमन: अंतः अनुशासनात्मक दृष्टिकोण

'शहरी बाढ़' पर नीति आयोग की रिपोर्ट में शहरी बाढ़ के प्रबंधन के लिए संरचनात्मक और गैर-संरचनात्मक ढांचे दोनों पर प्रकाश डाला गया है, जैसे: बाढ़ प्रवण क्षेत्रों में शहरी विकास को हतोत्साहित करना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को लागू करना, अतिरिक्त अपवाह को प्राकृतिक अवसादों में बदलना और जल-संवेदनशील शहरी नियोजन तथा डिजाइनों को प्रोत्साहित करना। हालांकि, भारत में बाढ़ शमन जटिल है और नीति निर्माताओं को ट्रांसडिसिप्लिनरी दृष्टिकोणों के माध्यम से बाढ़ की सामाजिक, भौतिक और आर्थिक गतिशीलता का मूल्यांकन करने की आवश्यकता होती है, जैसे:

- **बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम:** जल शक्ति मंत्रालय के बाढ़ प्रबंधन कार्यक्रम के तहत, राज्य सरकारों ने 37,073 किमी लंबे तटबंधों और बेहतर जल निकासी चैनलों का निर्माण किया है।
- **ब्लू-ग्रीन इंफ्रास्ट्रक्चर:** यह एक नेटवर्क को संदर्भित करता है जो शहरी जलवायु समस्याओं को हल करने के लिए लोगों को प्रकृति से जोड़ने के लिए बुनियादी ढांचे, पारिस्थितिक बहाली और शहरी डिजाइन का उपयोग करता है जहां नीला रंग टैंक तथा जल निकायों को दर्शाता है, जबकि हरा रंग पार्क, उद्यान और पेड़ों को दर्शाता है।
- **बाढ़ चेतावनी प्रणाली और वर्षा पूर्वानुमान:** मुंबई की एकीकृत बाढ़ चेतावनी प्रणाली उच्च वर्षा या चक्रवात के कारण आसन्न बाढ़ की पहचान करती है। चेन्नई की बाढ़ चेतावनी प्रणाली शहर के लिए स्थानिक बाढ़ चेतावनी प्रदान करती है। आईएमडी का मौसम मोबाइल ऐप बारिश का पूर्वानुमान और चेतावनी प्रदान करता है।
- **शहरी स्टॉर्मवाटर प्रबंधन के लिए नोडल प्राधिकरण:** शहरी स्टॉर्मवाटर प्रबंधन के लिए एक नोडल प्राधिकरण की स्थापना स्थानीय स्तर के जल निकासी मास्टरप्लान का समन्वय करेगी और शहर के मास्टर प्लान के साथ रणनीतियों को संरेखित करेगी। नगरपालिकाओं और विकास प्राधिकरणों के नेतृत्व में उच्च प्रभाव वाली पायलट परियोजनाओं के साथ डिजाइन मानकों, परियोजना रिपोर्ट में संशोधन, वर्षा कैप्चर तथा बाढ़-नियंत्रण उपायों का प्रदर्शन करेंगे।

निष्कर्ष:

- पर्यावरण नियोजन और आपदा प्रबंधन के लिए एक सक्रिय, समग्र दृष्टिकोण भविष्य की चरम मौसम की घटनाओं के प्रभाव को कम करने तथा अधिक टिकाऊ और जलवायु-लचीला भविष्य बनाने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। नीतिगत ढांचे में आपदा जोखिम में कमी को एकीकृत करके, स्थानीय समुदायों को सशक्त बनाना है।
- घरेलू स्तर पर एनबीएस में वर्षा जल संचयन, शहरी जल प्रतिधारण टैंक और आवासीय भवनों के आसपास ग्रीन कॉरिडोर शामिल हैं। राष्ट्रीय स्तर पर निवासियों के लिए अधिक टिकाऊ और रहने योग्य शहरी वातावरण बनाने हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण नीतियों में एनबीएस को शामिल करना आवश्यक है।
- कुशल प्रतिक्रिया और तैयारी के लिए प्रारंभिक चेतावनी प्रणालियों को मजबूत करना तथा बहुक्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना महत्त्वपूर्ण है। इन रणनीतियों को अपनाने से बढ़ती जलवायु चुनौतियों के बीच भारत के लिए अधिक लचीला और टिकाऊ भविष्य की दिशा में मार्ग प्रशस्त होगा।

भारत में विधिक साक्षरता और न्याय की दिशा में कितना कारगर होगा नया टेली लॉ कार्यक्रम

भारत के संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक न्याय मिलने की बात की गई है। भारत एक समाजवादी लोकतांत्रिक देश है, इसलिए यह जरूरी भी था कि संविधान एक न्यायपूर्ण समाज के निर्माण पर बल दे। यहीं से विधिक न्याय, विधिक सेवा, विधिक साक्षरता जैसे मुद्दों का उभार हुआ। भारत सरकार का विधि एवं न्याय मंत्रालय और उसका न्याय विभाग हर माह इस बात की आधिकारिक सूचना दे रहा है कि देश में कितने लोगों को निःशुल्क कानूनी सहायता दी गई है जिससे अन्य लोग तय कर सकें कि उन्हें मुकदमेबाजी के लिए आगे जाना है या अपने विधिक अधिकारों के लिए क्या करना है और क्या नहीं? जुलाई, 2023 में देश के विधि और न्याय मंत्रालय ने आधिकारिक सूचना प्रसारित करते हुए कहा है कि सामान्य सेवा केंद्रों (CSC) के सहयोग से न्याय विभाग के टेली-लॉ कार्यक्रम ने मुकदमे से पहले लोगों को सलाह की सुविधा उपलब्ध कराने में क्रांति ला दी है जिसके तहत देश भर में 46 लाख से अधिक लाभार्थियों को निःशुल्क कानूनी सलाह प्रदान की गई है।

- उल्लेखनीय है कि जयपुर में 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा बैठक में घोषणा करते हुए भारत के कानून मंत्री द्वारा कहा गया था कि वर्ष 2022 से देश में नागरिकों के लिए टेली-लॉ सेवा निःशुल्क की जा रही है। टेली-लॉ ने कानूनी सहायता से वंचित व्यक्तियों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए 1 लाख ग्राम पंचायतों में कॉमन सर्विस सेंटर्स (CSC) में उपलब्ध टेली/वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के माध्यम से इसे पैनल अधिवक्ताओं के साथ जोड़कर उन्हें कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए मुख्यधारा में लाने का कार्य किया है। आसान और सीधी पहुंच के लिए टेली-लॉ मोबाइल एप्लिकेशन (एंड्रॉइड और आईओएस दोनों) का भी 2021 में शुभारंभ किया गया जो वर्तमान में 22 अनुसूचीबद्ध भाषाओं में उपलब्ध है। इस डिजिटल क्रांति का लाभ उठाते हुए, टेली-लॉ ने केवल पांच वर्षों में कानूनी सेवाओं की पहुंच के दायरे का 20 लाख से अधिक लाभार्थियों तक विस्तार कर दिया है।

क्या है टेली लॉ सुविधा?

- टेली लॉ कानूनी सहायता और विधिक परामर्श की सुविधा से वंचित लोगों तक पहुंचने, मुकदमे से पहले के चरण में (Pre Litigation Stage) कानूनी सलाह और परामर्श लेने के लिए एक ई-इंटरफेस व्यवस्था है। सामान्य अर्थ में टेली-लॉ का अर्थ कानूनी सूचना और सलाह देने के लिए संचार व सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग है। वकीलों और लोगों के बीच यह ई-इंटरैक्शन सीएससी पर उपलब्ध वीडियो-कॉन्फ्रेंसिंग इंफ्रास्ट्रक्चर के जरिए होगा। यह पंचायत स्तर पर स्थित कॉमन सर्विस सेंटर पर उपलब्ध वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग/टेलीफोन सुविधाओं के माध्यम से जरूरतमंद और वंचित समुदाय के लोगों को पैनल अधिवक्ताओं से कानूनी सहायता प्राप्त करने में मदद करता है। 2017 में लॉन्च की गई टेली-लॉ सेवा पर अब टेली-लॉ मोबाइल ऐप (एंड्रॉइड और आईओएस पर उपलब्ध) के माध्यम से सीधे पहुंचा जा सकता है।
- न्याय विभाग के टेली-लॉ का उद्देश्य डिजिटल डिवाइड को कम करने के लिए देश के दूरदराज तक पहुंचकर, मुकदमे से पहले की मुफ्त सलाह के माध्यम से नागरिकों के जीवन में सुधार करना और सभी के लिए न्याय वितरण को सुलभ तथा कुशल बनाना है। न्याय विभाग ने कॉमन सर्विस सेंटर के माध्यम से वंचित समुदायों को कानूनी सहायता प्रदान करने के लिए एनएएलएसए और सीएससी ई-गवर्नेंस सर्विस इंडिया लिमिटेड के साथ भागीदारी की है।

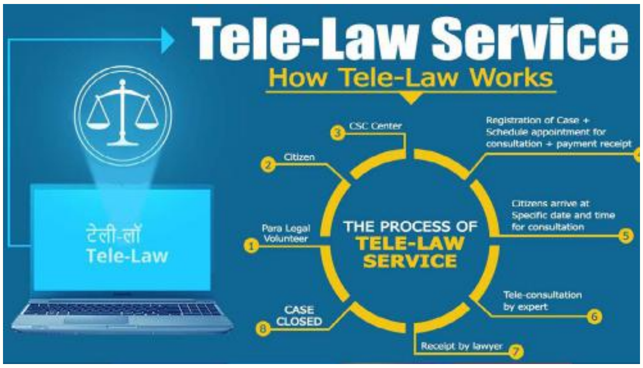

टेली लॉ का संवैधानिक आधार:

- भारत के संविधान का अनुच्छेद-39A समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को मुफ्त विधिक सहायता प्रदान करके सभी के लिए न्याय सुनिश्चित करता है। संविधान का अनुच्छेद-14 और 22(1) भी राज्य के लिए कानून के समक्ष समानता तथा सभी के लिए समान अवसर के आधार पर न्याय को बढ़ावा देने वाली कानूनी व्यवस्था सुनिश्चित करना अनिवार्य बनाता है। वर्ष 1987 में संसद द्वारा विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम पारित किया गया था जो समान अवसर के आधार पर समाज के कमजोर वर्गों को मुफ्त और सक्षम विधिक सेवाएं प्रदान करने के लिए 9 नवंबर, 1995 को लागू हुआ था। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (NALSA) का गठन विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम, 1987 के तहत विधिक सहायता कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की निगरानी और मूल्यांकन करने, अधि नियम के तहत विधिक सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए नीतियों तथा सिद्धांतों को निर्धारित करने के लिए किया गया है।
- प्रत्येक राज्य में एक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण तथा प्रत्येक उच्च न्यायालय में एक उच्च न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन किया गया है। नालसा की नीतियों और निर्देशों को प्रभावी बनाने, लोगों को मुफ्त विधिक सेवाएं प्रदान करने तथा राज्य में लोक अदालतों का संचालन करने के लिए जिलों और अधिकांश

तालुकों में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण व तालुक विधिक सेवा समितियों का गठन किया गया है। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति का गठन विधिक सेवा कार्यक्रम को प्रशासित करने और लागू करने के लिए किया गया है क्योंकि यह भारत के उच्चतम न्यायालय से संबंधित है।

भारत में नि:शुल्क विधिक सेवाएं क्या हैं?

भारत में नि:शुल्क विधिक सेवाएं प्रदान करने तथा लीगल क्लिनिक्स की जरूरत आदि को ध्यान में रखा गया है।

नि:शुल्क विधिक सेवाएं निम्नवत हैं:

- कोर्ट फीस, प्रक्रिया फीस और किसी विधिक कार्यवाही के संबंध में देय या किए गए अन्य सभी प्रभारों का भुगतान।
- विधिक कार्यवाहियों में वकीलों की सेवा प्रदान करना।
- विधिक कार्यवाहियों में आदेश और अन्य दस्तावेजों की प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करना तथा उनकी आपूर्ति करना।
- मुद्रण और विधिक कार्यवाही में दस्तावेजों के अनुवाद सहित अपील तथा पेपर बुक की तैयारी।

मुफ्त विधिक सेवाएं प्राप्त करने के लिए पात्र व्यक्तियों में शामिल हैं:

- महिलाएं और बच्चे, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सदस्य।
- औद्योगिक कामगार, सामूहिक आपदा, हिंसा, बाढ़, सूखा, भूकंप, औद्योगिक आपदा के शिकार।
- दिव्यांगजन, हिरासत में व्यक्ति, मानव तस्करी के शिकार या भिखारी
- जिन व्यक्तियों की वार्षिक आय 1 लाख रुपये से अधिक नहीं है। उच्चतम न्यायालय विधिक सेवा समिति में यह सीमा 5,00,000/- रुपये है।
- मामूली अपराधों में लंबे समय से कैदियों की जमानत के लिए लीगल एड क्लीनिक व विधिक सेवा प्राधिकरण मदद उपलब्ध कराते हैं। कैदियों को लीगल एड क्लीनिक के माध्यम से मुफ्त अधिवक्ता उपलब्ध कराए जाने की भी शुरुआत हुई है। इससे देश में न्यायपालिका के कार्यों में मदद मिलेगी और अदालतों में मुकदमों का बोझ नहीं बढ़ेगा।

विधिक साक्षरता के मार्ग में बाधाएं:

- देश में नागरिकों को आईपीसी और सीआरपीसी जैसे दंड विधानों तथा कानूनी प्रक्रियाओं की जानकारी न होना।
- अधिवक्ताओं द्वारा कई अवसरों पर जिम्मेदारी के साथ कर्त्तव्य निर्वहन न करना और आर्थिक लाभ के लिए समाज के कमजोर वर्गों के साथ सहयोग न करना।
- देश में लॉ कालेजों, स्कूलों, संस्थानों की संख्या में कमी और ग्रामीण स्तर पर कानूनी साक्षरता ढांचे को मजबूत न किया जाना।
- जनहित में चलने वाली सामाजिक आर्थिक कल्याणकारी योजनाओं की जानकारी न होना।
- जनसामान्य के हित में बने कानूनों की जानकारी का अभाव जैसे सूचना का अधिकार अधिनियम-2005, घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम-2005, माता पिता और वरिष्ठ नागरिक का भरण पोषण एवं कल्याण अधिनियम-2007, उपभोक्ता संरक्षण कानून-1986, अनुसूचित जाति और जनजाति (उत्पीड़न तथा छुआछूत निवारण) अधिनियम-1989 आदि प्रमुख हैं।
- कानूनों तथा उनकी धाराओं, प्रावधानों की जानकारी के अभाव में बिचौलियों से संपर्क करना और उन पर निर्भरता।

निष्कर्ष:

यह कहा जा सकता है कि भारत जैसे देश में जहां विधि का शासन है, विधि के समक्ष समानता और विधियों के समान संरक्षण का प्रावधान किया गया है, जहां सर्वोच्च न्यायालय यह कहता है कि न्याय में विलंब का आशय न्याय का वंचन (जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड) है। ऐसे देश में 1 अरब 40 करोड़ की जनता को न्याय उपलब्ध कराने के लिए टेली लॉ जैसे प्रावधानों को मजबूत करने की आवश्यकता स्वयंसिद्ध है। विधिक सेवा साक्षरता को बढ़ाने के लिए देश में लोक अदालतों की भूमिका को अधिक प्रभावी बनाने की जरूरत है। आज राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य और जिले स्तर पर लोक अदालतों का आयोजन होता है जिसके चलते कई विवाद मामलों का निस्तारण सुलह के आधार पर ही हो जाता है अर्थात वहां पर मुकदमे की जरूरत ही नहीं पड़ती है।

SUBSCRIBE TO OUR
YOUTUBE CHANNEL
DHYEYA TV QR
ध्येय TV
BATEN UP KI QR
बातें यूपी की

निर्यात तैयारी सूचकांक (ईपीआई) रिपोर्ट, 2022 के मुख्य पहलू और इसकी आवश्यकता

'बाजारों का विस्तार करके, राजस्व उत्पन्न करके, उत्पादकता में सुधार करके और विशेषज्ञता की सुविधा प्रदान करके निर्यात देश में विकास को बढ़ावा देता है जिससे वे राष्ट्र के आर्थिक विकास का अभिन्न अंग बन जाते हैं। विकास के वाहक के रूप में निर्यात का लाभ उठाने के लिए किसी देश की तैयारियों का निरंतर और व्यापक मूल्यांकन महत्त्वपूर्ण होता है।' भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्थाओं में से एक है जिसकी आर्थिक वृद्धि में निर्यात महत्त्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। 1990 के दशक की शुरुआत में वैश्वीकरण के आगमन के साथ, वैश्विक व्यापार में भारत की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है। 2022 में वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात भारत के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 22.74% रहा जो 1990 में रहे 7.05% हिस्से से लगभग तीन गुना अधिक था, जबकि हर देश की अपनी परिस्थितियां होती हैं। भारत अपने विशाल आकार, जटिलता और आंतरिक विविधता को देखते हुए अलग खड़ा है। इसलिए, भारत के निर्यात के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करने के लिए राज्य और जिला स्तरों पर महत्त्वपूर्ण अंतर के साथ उप-राष्ट्रीय स्तर पर निर्यात का निरंतर मूल्यांकन आवश्यक है।

सन्दर्भः

हाल ही में नीति आयोग ने भारत के राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के लिए 'निर्यात तैयारी सूचकांक (EPI) 2022' नामक रिपोर्ट का तीसरा संस्करण जारी किया। यह रिपोर्ट नीति आयोग के उपाध्यक्ष श्री सुमन बेरी ने जारी की।

निर्यात प्रदर्शन सूचकांक, 2022:

- ईपीआई 2022 रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकांश 'तटीय राज्यों' ने अच्छा प्रदर्शन किया है जिसमें तमिलनाडु, महाराष्ट्र, कर्नाटक और गुजरात राज्य सभी श्रेणियों के राज्यों में देश भर में निर्यात तैयारी सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य रहे हैं।
- तमिलनाडु 80.89 के कुल स्कोर के साथ राज्यों में सबसे ऊपर था, जबकि महाराष्ट्र 78.20 के स्कोर के साथ दूसरे और कर्नाटक 76.36 तीसरे स्थान पर रहा।
- पहाड़ी राज्यों में उत्तराखंड 59.13 शीर्ष स्थान पर है जिसके बाद हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा, सिक्किम का स्थान है।
- हरियाणा 63.65 लैंडलॉक राज्यों के बीच चार्ट में सबसे ऊपर है जिसके बाद तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पंजाब, मध्य प्रदेश और राजस्थान का स्थान रहा।
- छोटे राज्यों की श्रेणी में गोवा 51.58 पहले स्थान पर रहा। जम्मू-कश्मीर, दिल्ली, अंडमान और निकोबार तथा लद्दाख क्रमशः दूसरे, तीसरे, चौथे और पांचवें स्थान पर रहे।

रिपोर्ट की प्रमुख विशेषताएंः

- रिपोर्ट में वित्त वर्ष 2022 में भारत के निर्यात प्रदर्शन के साथ-साथ इसके क्षेत्र-विशिष्ट और जिला-स्तरीय व्यापारिक निर्यात रुझानों का व्यापक विश्लेषण प्रस्तुत किया गया है।
- ईपीआई 2022 रिपोर्ट चार स्तंभों- 'नीति, व्यापार पारिस्थितिकी तंत्र, निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र और निर्यात प्रदर्शन' में राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करती है। सूचकांक में 56 संकेतकों का उपयोग किया गया है जो राज्य और जिला स्तर दोनों पर निर्यात के संदर्भ में राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों की निर्यात तैयारियों को समग्र रूप से कैप्चर करते हैं।
  1. **नीति**- यह राज्य और जिला स्तर पर निर्यात-संबंधी नीति पारिस्थितिकी तंत्र को अपनाने के साथ-साथ संस्थागत ढांचे के आधार पर राज्यों तथा संघ शासित प्रदेशों के प्रदर्शन का मूल्यांकन करता है।
  2. **व्यवसाय पारिस्थितिकी तंत्र**- यह किसी राज्य/संघ राज्य क्षेत्र में प्रचलित कारोबारी माहौल के साथ-साथ व्यवसाय-सहायक अवसंरचना की सीमा और राज्य/संघ राज्य क्षेत्रों की परिवहन कनेक्टिविटी का आंकलन करता है।
  3. **निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र**- यह निर्यातकों को प्रदान की जाने वाली व्यापार सहायता के साथ-साथ राज्य में निर्यात संबंधी बुनियादी ढांचे तथा नवाचार को बढ़ावा देने के लिए राज्य में अनुसंधान और विकास की व्यापकता पर केंद्रित है।
  4. **निर्यात निष्पादन**- यह एक उत्पादन आधारित संकेतक है जो पिछले वर्ष की तुलना में किसी राज्य के निर्यात की वृद्धि को मापता है। यह वैश्विक बाजारों पर इसके निर्यात संकेंद्रण और पदचिह्न का विश्लेषण करता है।
- ये स्तंभ आगे दस उप-स्तंभों निर्यात संवर्धन नीति, संस्थागत ढांचा, व्यावसायिक वातावरण, अवसंरचना, परिवहन कनेक्टिविटी, निर्यात बुनियादी ढांचा, व्यापार समर्थन, आर एंड डी बुनियादी ढांचा, निर्यात विविधीकरण और विकास अभिविन्यास पर आधारित हैं।

उद्देश्यः

- महामारी के बाद के दौर में भारतीय निर्यात ने महामारी के बाद की आपूर्ति श्रृंखला के मुद्दों और भू-राजनीतिक कारकों द्वारा उत्पन्न चुनौतियों का सफलतापूर्वक सामना करके लचीलापन साबित किया है। इस गति को बनाए रखने के लिए भारत का उद्देश्य राज्यों और आगे के जिलों को निर्यात केंद्रों के रूप में बढ़ावा देकर एक वैश्विक निर्यात प्लेयर बनना है।
- रिपोर्ट का मुख्य उद्देश्य निर्यात तैयारियों में सुधार करने में राज्यों की सहायता करना है जिससे भारत के निर्यात प्रदर्शन में वृद्धि हो सकती है। रिपोर्ट राज्य सरकारों को निर्यात के लिए अपनी संदर्भ-विशिष्ट चुनौतियों का समाधान बनाने के लिए प्रोत्साहित करती है। राज्य अपने लिए अद्वितीय उत्पादों को बढ़ावा देकर और उन्हें वैश्विक बाजार तक पहुंचने में मदद करके अपनी जन्मजात

विविधता का भी फायदा उठा सकते हैं।

- रिपोर्ट का उद्देश्य देश में प्रतिस्पर्धी संघवाद की सुविधा प्रदान करना है जो राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा की भावना पैदा करता है और राज्यों के बीच सहकर्मी-शिक्षा को प्रोत्साहित करता है। इसमें आगे स्वीकार किया गया है कि राज्यों की निर्यात तैयारियों के व्यापक मूल्यांकन के लिए महत्त्वपूर्ण संकेतकों जैसे कि निर्यात डेटा की उत्पत्ति का स्रोत और सेवा निर्यात का आंकलन करने की आवश्यकता है क्योंकि वर्तमान में उन्हें उप-राष्ट्रीय स्तर पर कैप्चर नहीं किया जा रहा है। इस सूचकांक का उपयोग करके राज्य अपने कमजोर क्षेत्रों में सुधार कर सकते हैं और अपने निर्यात प्रदर्शन को सकारात्मक रूप से प्रभावित कर सकते हैं।

Export Preparedness Index

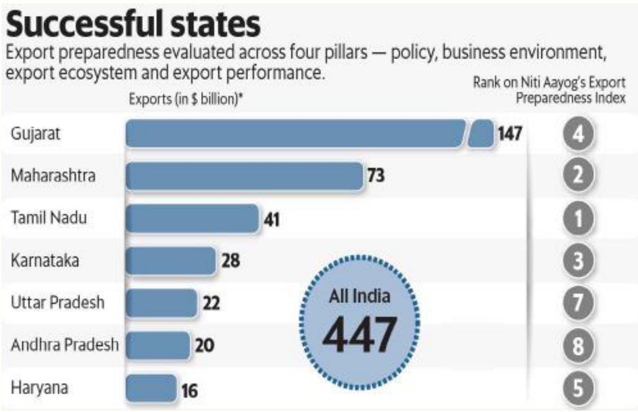

- रिपोर्ट राज्य सरकारों को निर्णय लेने में सहायता करने, ताकत की पहचान करने, कमजोरियों को दूर करने और व्यापक विकास को बढ़ावा देने के लिए क्षेत्र-विशिष्ट अंतर्दृष्टि प्रदान करती है।
- निर्यात आर्थिक विकास के ड्राइविंग इंजन हैं। हालांकि कई राज्यों को इसके महत्त्व का एहसास नहीं है। स्तंभों, उप-स्तंभों और संकेतकों के साथ रिपोर्ट राज्यों को यह जानने में सक्षम बनाती है कि वे निर्यात में सुधार कैसे कर सकते हैं? ये निर्यात रणनीतियों को विकसित करने के बारे में जागरूकता के संदर्भ में मौजूद ज्ञान की खाई को भर सकते हैं।
- यह सूचकांक हितधारकों को रणनीतियों की पहचान करने और मापदंडों में सुधार करने का अधिकार देता है जो राज्य के निर्यात को प्रभावित करते हैं जिससे इसकी निर्यात प्रतिस्पर्धा बढ़ जाती है।
- यह अपने डेटा-संचालित दृष्टिकोण का उपयोग करके नीति परिवर्तनों और अनुकूल निर्यात पारिस्थितिकी तंत्र के निर्माण के लिए एक व्यापक विश्लेषण प्रदान करता है।
- प्रतिस्पर्धात्मकता संस्थान के सहयोग से नीति आयोग द्वारा निर्यात तैयारी सूचकांक राज्य व जिला स्तर पर निर्यात की जांच करता है। ईपीआई जिले को जिला हब के रूप में बढ़ावा देकर जिला स्तर से निर्यात पर केंद्रित है।
- नतीजतन, रिपोर्ट का उद्देश्य भारत को अपनी विविध शक्तियों का उपयोग करके क्षेत्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना और वैश्विक दक्षिण निर्यात बाजार में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में खुद को स्थापित करके 1 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक मूल्य के व्यापारिक निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने की दिशा में प्रेरित करना है। राज्य और केंद्र सरकार के बीच सहयोग में सुधार करते हुए भारत निरंतर निर्यात वृद्धि प्राप्त कर सकता है तथा देश में विकास के लिए इसका लाभ उठा सकता है।
- रिपोर्ट नवाचार को बढ़ावा देने के लिए अनुसंधान और विकास में लगातार निवेश की आवश्यकता पर जोर देती है जो भारत के निर्यात बास्केट की उच्च दक्षता और विविधीकरण की सुविधा प्रदान कर सकती है। यह राज्य के प्रतिस्पर्धात्मक लाभ के अनुसार नए बाजारों की पहचान और निर्यात उत्पादों की भी सिफारिश करता है।

निष्कर्षः

- भारत को 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनाने के लक्ष्य के लिए उच्च निर्यात वृद्धि दर महत्त्वपूर्ण है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए अर्थव्यवस्था को अगले चार वर्षों के दौरान 8% की औसत दर से बढ़ना होगा। भारत के निर्यात को और भी ऊंची दर से बढ़ाना होगा। जैसा कि हम 2047 को लक्षित करके कार्य कर रहे हैं कि हमें तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनना हैं, इसके लिए विनिर्माण के साथ-साथ सेवा और कृषि निर्यात में प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है। इसके लिए राज्यों के तुलनात्मक लाभों का लाभ उठाया जाना चाहिए।
- प्रतिस्पर्धी संघवाद में राज्यों की अंतर्निहित विविधता का लाभ उठाकर देश के विकास को चलाने की क्षमता है। राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों के बीच निर्यात तैयारियों का तुलनात्मक विश्लेषण एक ऐसा ढांचा पेश करता है जो देश के भीतर प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ावा देता है। नतीजतन निर्यात प्रदर्शन सूचकांक प्रतिस्पर्धी संघवाद के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम कर सकता है। यह हर राज्य के निर्यात प्रदर्शन को बढ़ा सकता है और राष्ट्र के समग्र विकास में योगदान दे सकता है।
- नीति आयोग के वरिष्ठ सलाहकार संजीत सिंह ने कहा कि 'यह रिपोर्ट राज्यों के लिए निर्यात में सुधार करने उनके दृष्टिकोण को देखने और मूल्यांकन करने के लिए एक अद्भुत संग्रह है। ईपीआई 2022 सभी राज्यों की जिला-स्तरीय निर्यात रुझानों, राज्य प्रोफाइल, श्रेणी-वार स्तंभ और उप-स्तंभ वार रैंकिंग को भी देखता है। इसके अलावा, प्रत्येक राज्य के पास रिपोर्ट में एक विस्तृत स्कोरकार्ड है जो उन्हें अपने प्रदर्शन को समझने में मदद कर सकता है।
- ईपीआई एक मजबूत कार्यप्रणाली के साथ एक डेटा-संचालित उपकरण है जिसका उद्देश्य राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को अपनी निर्यात प्रतिस्पर्धात्मकता बढ़ाने के लिए लक्षित रणनीतियों को विकसित करने में मदद करना है। ईपीआई सहकर्मी-शिक्षा को प्रोत्साहित करके उन्हें अपनी ताकत का लाभ उठाने में सक्षम बनाकर सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद की भावना को बढ़ावा देने में मदद करता है।

यूरेशिया की राजनीति पर भारत-फ्रांस और भारत-यूएई साझेदारी का प्रभाव

भारत-फ्रांस की सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सामरिक साझेदारी को और मजबूती देने के उद्देश्य से हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री ने फ्रांस की यात्रा की। दरअसल भारत-फ्रांस में स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट वर्ष 1998 में हुआ था तथा इसे अब नई ऊंचाई देने के उद्देश्य से भारत-फ्रांस का गठजोड़ और मजबूत करने हेतु भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा हुई।

- उल्लेखनीय है कि भू-रणनीतिक तौर पर भारत वर्ष 1998 से ही फ्रांस का बेहद करीबी रहा है। वर्ष 1998 में जब भारत ने पोखरण में परमाणु परीक्षण किया था, तब फ्रांस एक मात्र बड़ा देश था जो भारत के लिए तटस्थता के साथ खड़ा था। इस परीक्षण के बाद दुनिया के तमाम परमाणु संपन्न देशों ने भारत पर तरह-तरह के प्रतिबंध लगा दिए थे।
- अमेरिका, जर्मनी, जापान और ब्रिटेन ने खुले तौर पर भारत को तमाम प्रतिबंधों से घेर लिया था परन्तु फ्रांस ने उस मुश्किल दौर में भी भारत का साथ नहीं छोड़ा। दोस्ती में एक कदम आगे बढ़ते हुए फ्रांस के तत्कालीन राष्ट्रपति जाक शिराक ने भारत का दौरा भी किया था। उन्होंने भारत पर लगाए गए प्रतिबंधों को जल्द से जल्द हटाने की खुले तौर पर पैरवी भी की थी। आज भी भारत और फ्रांस के संबंध 1998 के भावों जैसे ही मजबूत हैं।
- भारत और फ्रांस के सामरिक साझेदारी के प्रमुख आधार स्तम्भ में प्रतिरक्षा, असैन्य नाभिकीय सहयोग और अंतरिक्ष सहयोग शामिल हैं। सामरिक साझेदार के रूप में दोनों देशों ने वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए मिलकर कार्य करने की प्रतिबद्धता समय-समय पर प्रदर्शित की है। दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय (भारत द्वारा संयुक्त राष्ट्र में प्रस्तावित) को जल्द से जल्द राष्ट्रों द्वारा अपनाए जाने पर बल दे रहे हैं। फ्रांस ने भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद् में स्थाई सदस्यता की दावेदारी, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रेजिम, ऑस्ट्रेलिया ग्रुप, वासेनार अरेंजमेंट और नाभिकीय आपूर्तिकर्ता समूह में सदस्यता से लगातार समर्थन किया है। फ्रांस के सहयोग और समर्थन से ही भारत एनएसजी को छोड़कर तीन नाभिकीय मुद्दों से संबंधित संगठनों का सदस्य बन गया है। फ्रांस ने एक सामरिक साझेदार के रूप में लगातार इस बात पर बल दिया है कि भारत और यूरोपीय संघ में लंबे समय से लंबित पड़े हुए मुक्त व्यापार समझौते को जल्द से जल्द संपन्न कराया जाए। भारत और फ्रांस ने अपने द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती के लिए सहयोग के कुछ नए क्षेत्रों पर बल दिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने, नवीकरणीय ऊर्जा को (विशेषकर सौर ऊर्जा को) बढ़ावा देने के लिए इंटरनेशनल सोलर अलायंस के गठन तथा विकास पर बल दिया है।

यूरेशिया क्षेत्र में भारत के लिए फ्रांस का महत्त्वः

फ्रांस के साथ भारत के भू-सामरिक, भू-आर्थिक और भू-राजनीतिक हित जुड़े हुए हैं। एक महाशक्ति के रूप में फ्रांस भारत को विविध क्षेत्रों में लाभ पहुंचा सकता है। भारत के लिए फ्रांस अग्रलिखित कारणों से जरूरी हैः

- फ्रांस यूरोपीय संघ का सदस्य है और यूरोप के बाजारों में भारत के हितों का सच्चा समर्थक भी रहा है। भारत और यूरोपीय संघ के मध्य लंबे समय से लंबित पड़े हुए मुक्त व्यापार समझौते को अंतिम रूप देने की वकालत फ्रांस कई मंचों पर खुलकर करता रहा है। फ्रांस ओईसीडी और जी-20 का महत्त्वपूर्ण सदस्य है और इन मंचों पर भारत के आर्थिक हितों का सच्चा समर्थक रहा है।
- फ्रांस की राजधानी पेरिस में स्थित फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स आतंक के वित्त पोषण को रोकने के लिए एक वैश्विक मंच है। पाकिस्तान समेत अन्य देशों के आतंकी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने की दृष्टि से फ्रांस के तत्वावधान में इस संगठन की महत्त्वपूर्ण भूमिका को सुनिश्चित किया जा सकता है।
- फ्रांस हिन्द महासागर अथवा हिन्द प्रशांत और साथ ही एशिया प्रशांत क्षेत्र की सुरक्षा को सुनिश्चित करने की दृष्टि से भी भारत के लिए आवश्यक है। हिन्द महासागर के जिबूती, रीयूनियन द्वीप तथा अबू धाबी जैसे क्षेत्रों में फ्रांस के नौसैनिक अड्डे हैं। समुद्री डकैती और चीन के हिन्द महासागर के नए क्षेत्रों में अपने वर्चस्व को बढ़ाने के प्रयास को नियंत्रित करने के लिए भारत फ्रांस गठजोड़ आवश्यक है। चीन ने वर्ष 2017 में ही अफ्रीकी देश जिबूती में अपना नौसैनिक अड्डा खोला है। इसी को ध्यान में रखकर भारत और फ्रांस ने भी मई, 2019 में जिबूती में ही वरुण सैन्याभ्यास को संपन्न किया था।
- भारत-फ्रांस ने जलवायु परिवर्तन और ग्लोबल वार्मिंग से निपटने के लिए तथा नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए वर्ष 2015 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन रूपरेखा अभिसमय के तहत पेरिस समझौते के दौरान इंटरनेशनल सोलर अलायंस के निर्माण की घोषणा की थी। शुरूआत में इसके तहत कर्क और मकर रेखा के बीच स्थित ऐसे देशों को शामिल किया गया था जिन्हें वर्ष भर सूर्य का प्रकाश मिलता हो, ऐसे 121 देशों को मिलाकर यह संगठन बनाया गया था जिसकी सदस्यता अब संयुक्त राष्ट्र के सभी देशों हेतु खोल दिया गया है। एशिया में नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में भारत को एक मजबूत शक्ति बनाने में फ्रांस का सहयोग अपेक्षित है।
- भारत और फ्रांस ने सामूहिक स्तर पर आतंकवाद से निपटने के लिए अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त कर रखी है। फ्रांस भारत के 1996 के अन्तर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक अभिसमय अंगीकृत करने संबंधी प्रस्ताव का ठोस समर्थक है। भारत पर पुलवामा आतंकी हमलों के बाद फ्रांस ने भारत को हर संभव मदद देने की बात कही थी।
- भारत और फ्रांस ने जैव आतंकवाद से निपटने के लिए एक संयुक्त अभ्यास को भी संपन्न किया है। फ्रांस ने पाकिस्तानी आतंकी हाफिज सईद को अपने राष्ट्रीय कानून में वैश्विक आतंकवादी

घोषित कर रखा है।

- भारत के अवसंरचनात्मक विकास में फ्रांस की महत्त्वपूर्ण भूमिका रही है। लोकतंत्र, मानवाधिकार और विधि के शासन के प्रति सम्मान के फ्रांसीसी दृष्टिकोण ने भारत फ्रांस के संबंधों को मजबूती दी है। फ्रांस ने भारत में रेलवे के आधुनिकीकरण और औद्योगिक गलियारों के विकास में सहयोग देने का प्रस्ताव दिया है।
- भारत और फ्रांस दोनों देशों ने अपने हिन्द-प्रशांत रणनीति के तहत पश्चिमी हिन्द महासागर क्षेत्र में अपनी सामरिक साझेदारी को बढ़ाने का निर्णय लिया है। भारत फ्रांस के साथ मिलकर इस क्षेत्र में बंदरगाह विकास, ब्लू इकोनॉमी के विकास और व्यापार, पर्यटन, अंतर्सपर्क को बढ़ावा देने की दिशा में कार्य कर रहा है। भारत फ्रांस इंडो पैसिफिक नेचुरल पार्क पार्टनरशिप को भी लांच किया जा चुका है।
- दोनों देश पश्चिमी हिन्द महासागर में किसी तीसरे देश की परियोजनाओं से सम्बद्ध होकर कार्य करने की रणनीति निर्मित कर चुके हैं। भारत, फ्रांस और वनीला द्वीपों (जिसमें कोमोरोस, मेडागास्कर, मॉरीशस तथा सेशेल्स शामिल हैं) की फ्रांस के नियंत्रण वाले रीयूनियन द्वीप में बैठक हुई जिसमें आर्थिक और विकास साझेदारी को खोजने का प्रयास किया गया है। वनीला द्वीप के निकट मोजांबिक चैनल में गैस के भंडारों की प्राप्ति पर भी भारत की नजर है।

- वर्तमान समय में भारत और फ्रांस के मध्य प्रतिरक्षा साझेदारी का विस्तार पश्चिमी हिन्द महासागर क्षेत्र तक किए जाने का निर्णय हुआ है। भारत अपने इंडो-पैसिफिक आउटरीच विजन के आधार पर हिन्द महासागर की सुरक्षा के लिए कोमोरोस और मेडागास्कर जैसे देशों के साथ अपने द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती दे रहा है। मार्च, 2018 में हिंद महासागर क्षेत्र में भारत-फ्रांस सहयोग के लिए संयुक्त सामरिक विजन को लॉन्च किया गया था। दोनों देश हिन्द प्रशांत क्षेत्र में नौगमन की स्वतंत्रता, समुद्री व्यापारिक मार्गो की स्वतंत्रता और सुरक्षा के लिए मिलकर कार्य करने की घोषणा कर चुके हैं। दोनों देशों ने समुद्री सुरक्षा सहयोग को बढ़ाने के लिए अपनी सामरिक साझेदारी को अधिक समावेशी बनाने का निर्णय किया है।
- हिंद-प्रशांत क्षेत्र के लिए भारत-फ्रांस रोडमैप को देखें तो उसमें कहा गया है कि दोनों देश आईएफसी-आईओआर, यूएई अटलांटा में ईएमएएसओएच, सेशेल्स में आरसीओसी, मेडागास्कर में आरएमआईएफसी और सिंगापुर में आरईसीएएपी के माध्यम से समुद्री सुरक्षा समन्वय को मजबूत करेंगे। फ्रांस भी संयुक्त समुद्री बलों में शामिल होने की भारत की इच्छा का समर्थन करता है।
- दोनों देश ऑस्ट्रेलिया और यूएई के साथ अपनी बहुपक्षीय व्यवस्थाओं को मजबूत करेंगे तथा क्षेत्र में नई व्यवस्थाएं बनाएंगे जिससे हिंद महासागर रिम एसोसिएशन, हिंद महासागर नौसेना संगोष्ठी, हिंद महासागर आयोग, जिबूती आचार संहिता, एडीएमएम+ और एआरएफ जैसे क्षेत्रीय मंचों पर सहयोग को मजबूत किया जा सके।

यूरेशिया क्षेत्र में भारतीय हित और संयुक्त अरब अमीरात से साझेदारीः

- भारतीय प्रधानमंत्री ने हाल ही में अपने फ्रांस दौरे के बाद संयुक्त अरब अमीरात की भी यात्रा की। संयुक्त अरब अमीरात एक महत्त्वपूर्ण खाड़ी देश है जो गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल, ओपेक तथा ऑर्गेनाइजेशन आफ इस्लामिक कोऑपरेशन जैसे संगठनों का सदस्य है जिसका भारत के साथ मुक्त व्यापार समझौता हो चुका है। दोनों देशों ने 100 बिलियन डॉलर के द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य भी तय किया है। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच समुद्री साझेदारी अभ्यास का पहला संस्करण ओमान की खाड़ी में जून, 2023 में हुआ। इस अभ्यास में आईएनएस तरकश और फ्रांसीसी जहाज सरकौफ, इंटीग्रल हेलीकॉप्टर, फ्रांस का राफेल विमान तथा संयुक्त अरब अमीरात के नौसेना समुद्री गश्ती विमानों ने भाग लिया। तीनों देशों के बीच पहले अभ्यास का उद्देश्य तीनों नौसेनाओं के बीच त्रिपक्षीय सहयोग को बढ़ाना और समुद्री वातावरण में पारंपरिक तथा गैर-पारंपरिक खतरों को दूर करने के उपायों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त करना है। यह अभ्यास वाणिज्यिक व्यापार की सुरक्षा सुनिश्चित करने और क्षेत्र में गहरे समुद्र में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने में सहयोग को बढ़ाएगा।
- भारत-फ्रांस इंडो-पैसिफिक त्रिकोणीय विकास सहयोग निधि प्रस्ताव के कार्यान्वयन की दिशा में काम करने का निर्णय भी लिया जा चुका है जिसके तहत भारत, फ्रांस और यूएई हिंद प्रशांत क्षेत्र में आपसी सहयोग को बढ़ाएंगे।

कारोबारी सुगमता और कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से कॉरपोरेट गवर्नेंस को मजबूती देने के प्रयास

कॉर्पोरेट मंत्रालय (MCA) ने भारत में न्यायालयों पर बोझ को कम करने और व्यवसाय वातावरण को बेहतर बनाने की दिशा में एक महत्त्वपूर्ण कदम उठाया है। 14 जुलाई को एमसीए ने स्पेशल एरियर क्लियरेंस ड्राइव-II के तहत 7,338 लंबित मुकदमों की वापसी की मंज़ूरी दी। इस ड्राइव का प्राथमिक उद्देश्य कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत संघटनीय अपराधों को अपराधमुक्त करना है और देश में व्यवसाय करने की सुविधा को बढ़ावा देना है। इन मुकदमों की वापसी की अनुमति देकर, संघ सरकार का उद्देश्य अदालतों में लंबित मुकदमों की संख्या को 21.86 प्रतिशत तक कम करना है जिससे अदालतों पर बोझ कम होगा और कानूनी प्रक्रिया को सुगम बनाया जा सकेगा। इस कदम से सरकार को उम्मीद है कि कॉर्पोरेट क्षेत्र में विकास को बढ़ावा मिलेगा जबकि सुदृढ़ कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचा सुनिश्चित किया जाएगा। इसे ध्यान में रखना महत्त्वपूर्ण है कि मुकदमों की वापसी केवल संघटनीय अपराधों को ही सम्मिलित करती है और यह धोखाधड़ी, जमा करने की स्वीकृति, लंबित आरोप आदि जैसे गंभीर गैर-संघटनीय अपराधों को शामिल नहीं करती। सरकार का इरादा है कि ज्यादा गंभीर उल्लंघनों से संबंधित मुकदमों के समाधान को प्राथमिकता दी जाएगी ताकि जवाबदेही सुनिश्चित हो सके और स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा की जा सके।

परिचयः

कॉर्पोरेट गवर्नेंस व्यवसाय को आकार देने और कंपनियों के सहज चलने को सुनिश्चित करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यह व्यावसायिक निदेशकों द्वारा निर्देशित और नियंत्रित किए जाने वाले नियमों, अभ्यासों तथा प्रक्रियाओं का संगठन है जिसका उद्देश्य पारदर्शिता, जवाबदेही और नैतिक निर्णय लेना है। भारत में सरकार ने कॉर्पोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस (EoDB) पहल और कंपनी अधिनियम, 2013 के माध्यम से महत्त्वपूर्ण कदम उठाए हैं। यह ईओडीबी के प्रयासों के महत्त्व को खोजता है और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए इसके संभावित लाभों को उजागर करता है।

- **संयुक्त अपराधों की समझः** संयुक्त अपराध वे अपराध होते हैं जिनके बारे में आरोपी और प्रभावित पक्ष के बीच समझौते की संभावना होती है। कंपनी अधिनियम, 2013 के संदर्भ में संयुक्त अपराध आम तौर पर प्रक्रियात्मक चूकों, अनुपालन न मानने या किसी उल्लंघनों से संबंधित होते हैं जिनका साझा असर स्टेकहोल्डर्स या समाज पर प्रभाव नहीं पड़ता। इन अपराधों को नियमित धनराशि या विधि द्वारा प्रदान किए गए अन्य साधनों के माध्यम से बदल सकते हैं।

दंडमुक्ति का महत्त्वः

व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देनाः

- संयुक्त अपराधों के दंडमुक्त कर देने से व्यावसायिक गतिविधियों के लिए विनियामक परिदृश्य को सरल बनाया जाएगा। कंपनियां, खासकर स्टार्टअप्स और छोटे व्यापार में कई कानूनी प्रावधानों का पालन करने में चुनौतियों का सामना करती हैं। छोटी चूक के लिए दंड के भय को कम करके, व्यापार कोर गतिविधियों और विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं जिससे अधिक सुविधाजनक व्यावसायिक वातावरण प्राप्त होगा।

निवेश और उद्यमिता को प्रोत्साहित करनाः

- संयुक्त अपराधों की दंडमुक्ति भारत को एक व्यावसायिक फ्रेंडली पर्यावरण प्रदान करने के लिए एक सकारात्मक संकेत भेजती है। यह कदम निवेशकों के आत्मविश्वास को बढ़ा सकता है तथा निवेश और उद्यमिता की गतिविधियों में वृद्धि होने की संभावना है जो अंततः आर्थिक विकास को पोषण करेगी।

न्यायिक बोझ को कम करनाः

- भारत की कानूनी प्रणाली बड़ी संख्या में मामलों के बोझ तले दबी हुई है जिनमें छोटे कॉर्पोरेट गैर-अनुपालन से संबंधित मामले भी शामिल हैं। गैर-अपराधीकरण से अदालतों और अन्य विवाद समाधान तंत्रों पर बोझ कम करने में मदद मिलेगी जिससे उन्हें अधिक महत्त्वपूर्ण मामलों पर ध्यान केंद्रित करने तथा अधिक कुशलता से न्याय देने की अनुमति मिलेगी।

सुधारित अनुपालन संस्कृतिः

- मामूली अपराधों के अत्यधिक दंडनीयकरण से कंपनियों को अनुप्रियता से अपनी गलतियों की सूचना देने और उन्हें सुधारने से रोक सकता है। डीक्रिमिनलाइजेशन न्यायिक प्रक्रिया को खोलकर इसे और निष्पक्ष तरीके से बदलने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे नैतिक अभ्यास को कंपनी के अंदर बढ़ावा मिलता है जो कॉर्पोरेट इकाईयों के भीतर नैतिकता को बढ़ावा देता है।

अपराधों के लिए जुर्माने का प्रावधानः

- डीक्रिमिनलाइजेशन के माध्यम से दण्डों को उस अपराध की गंभीरता के अनुरूप बनाया जा सकता है जिससे कंपनियों और निदेशकों के साथ न्यायपूर्वक व्यवहार सुनिश्चित किया जा सकता है।
- कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत संयुक्त अपराधों की डीक्रिमिनलाइजेशन भारत में व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा देने की दिशा में एक प्रगतिशील कदम का प्रतीक है। यह कदम कंपनियों पर अनावश्यक बोझ को कम करने और अनुपालन को प्रोत्साहित करने के माध्यम से उद्यमिता तथा आर्थिक विकास के लिए एक उपयुक्त परिवेश पैदा करने की उम्मीद है। हालांकि यह सुनिश्चित करना महत्त्वपूर्ण है कि डीक्रिमिनलाइजेशन और अधिक गंभीर अपराधों के अनुशासन को सुनिश्चित करने के बीच एक संतुलन स्थापित किया जाए। इससे स्टेकहोल्डर्स के हितों की रक्षा और कॉर्पोरेट पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बनाए रखना संभव

होगा।

कंपनी अधिनियम 2013 का अवलोकन: निगमित शासन में एक उदाहरणीय परिवर्तन

कंपनी अधिनियम 2013 भारत में कंपनियों के गठन, परिचालन और नियामकन को व्यावसायिक तथा नैतिक दृष्टिकोण से नियंत्रित करने वाला महत्त्वपूर्ण अधिनियम है। इसे पूर्व कंपनी अधिनियम 1956 को स्थानांतरित करके 1 अप्रैल, 2014 को प्रभावी होने पर लागू किया गया था। इस अधिनियम का उद्देश्य कंपनियों में नैतिक शासन को बढ़ावा देना, पारदर्शिता को बढ़ावा देना, हिस्सेदारों और निवेशकों के हितों की रक्षा करना तथा भारत में व्यवसाय करने को सरल बनाना है। निम्नलिखित कुछ मुख्य दिशानिर्देश हैं जो कंपनी अधिनियम 2013 के विषय हैं:

- **कंपनियों के गठन:** इस अधिनियम में विभिन्न प्रकार की कंपनियों जैसे निजी कंपनियां, सार्वजनिक कंपनियां और एक-व्यक्ति कंपनियों के गठन के लिए विधि तथा आवश्यकताओं की व्याख्या की गई है। इसमें न्यूनतम पूंजी आवश्यकता, निदेशकों की संख्या और पंजीकरण प्रक्रिया भी स्पष्ट की गई है।
- **निगमित शासन:** कंपनी अधिनियम 2013 कंपनियों को जिम्मेदारी पूर्वक और नैतिक रूप से संचालित करने के लिए निगमित शासन पर जोर देता है। यह निजी निदेशकों के स्थापना, लेखा समितियों की स्थापना, नियमित वित्तीय रिपोर्टिंग और संरक्षण की आवश्यकता को विधायीन करता है।
- **हिस्सेदारों के अधिकार और संरक्षण:** यह अधिनियम हिस्सेदारों के अधिकारों की सुरक्षा करता है जो शेयरहोल्डर लोकतंत्र, मताधिकारों और प्रतिनिधित्वकर्ताओं की नियुक्ति के लिए विधायीन करता है। यह इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ीपूर्वक गतिविधियों को रोकने का उद्देश्य रखता है जो निवेशकों के हितों को क्षति पहुंचा सकते हैं।
- **कॉर्पोरेट सामाजिक जिम्मेदारी:** कंपनी अधिनियम 2013 ने ऐसी कुछ कंपनियों के लिए सीएसआर की अवधारणा को प्रस्तुत किया जो विशिष्ट मानदंडों को पूरा करती हैं। यह अनिवार्य करता है कि इन कंपनियों ने अपने लाभ के कुछ प्रतिशत को समाज के लाभ और संवृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए खर्च करें।
- **इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ीपूर्वक गतिविधि को रोकना:** इस अधिनियम में इनसाइडर ट्रेडिंग और धोखाधड़ीपूर्वक गतिविधियों को रोकने के लिए प्रावधान शामिल हैं। यह गैर-पालन के लिए दंड लगाता है और निवेशकों के हितों की सुरक्षा के लिए कठोर नियमों को प्रचारित करता है।

निगमित शासन पर पहलों का प्रभाव:

व्यावसायिकता की सुविधा और कंपनी अधिनियम 2013 के परिवर्तनीय प्रयासों ने भारत में निगमित शासन पर एक व्यापक प्रभाव डाला है।

- **बेहतर निवेशक विश्वास:** व्यावसायिक प्रक्रियाओं को सुगठित करने और कॉर्पोरेट जिम्मेदारियों को बढ़ाने के माध्यम से इस पहल ने निवेशकों के विश्वास को काफी सुधारा है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेशों में वृद्धि और भारतीय कंपनियों का विश्वस्तरीय छाप बढ़ना इसका सूचक है।
- **नैतिक व्यावसायिक अभ्यास:** निजी निदेशकों, हिस्सेदार भागीदारी और सीएसआर के महत्त्वपूर्ण होने के कारण नैतिक व्यावसायिक अभ्यास में परिवर्तन आया है। कंपनियां अब अपनी रणनीतियों को सुस्थिर विकास के लक्ष्यों के साथ लक्षित करती हैं जिससे दीर्घकालिक मूल्य सृजन होता है।
- **संवेदनशील कॉर्पोरेट जिम्मेदारी:** अनिवार्य सीएसआर खर्च ने समाज और पर्यावरण पर सकारात्मक प्रभाव डाला है। इससे समुदाय विकास और पर्यावरण संरक्षण परियोजनाओं में किये जा रहे निवेश से राष्ट्र की प्रगति को बढ़ावा मिलता है।

चुनौतियाँ और आगे की दिशा:

ये पहल सार्थक प्रगति को बढ़ाने में कामयाब रही हैं, लेकिन कुछ चुनौतियाँ अभी भी हैं, जैसे:

- **पालन और अनुपालन:** प्रगतिशील कानूनों के बावजूद पालन और अनुपालन समस्याएँ बनी रहती हैं। नियामक निकायों को कठोरता से कारपोरेट गवर्नेंस के सिद्धांतों का पालन सुनिश्चित करना होगा और अनुपालन न करने वाले इकाईयों के खिलाफ कदम उठाने होंगे।
- **बोर्ड विविधता को बढ़ाना:** कंपनियों को बोर्ड विविधता पर ध्यान केंद्रित करने की आवश्यकता है, न केवल जेंडर के मामले में, बल्कि दक्षता सेट और अनुभवों के मामले में भी। विविधता पूर्ण बोर्ड सूचित निर्णय लेने और बेहतर रिस्क प्रबंधन करने के लिए मार्गदर्शक हो सकते हैं।
- **विनियमन और लचीलेपन का संतुलन स्थापित करना:** कड़े विनियमन और व्यापारिक लचीलापन के बीच सही संतुलन स्थापित करना महत्त्वपूर्ण है। विनियमन को बदलते व्यावसायिक परिदृश्यों के अनुरूप बनाए रखना जरूरी है।

निष्कर्ष:

बिजनेस की आसानी और कंपनी अधिनियम 2013 के माध्यम से कारपोरेट गवर्नेंस को मजबूत करने के प्रयास ने भारत के व्यावसायिक परिदृश्य में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है। ये पहल निवेशकों के विश्वास को सुधारने, नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं को प्रोत्साहित करने और कॉर्पोरेट जिम्मेदारी को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। इस प्रकार भारत विश्व के लिए एक कॉर्पोरेट गवर्नेंस ढांचा पैदा कर सकता है जो अधिक निवेश आकर्षित करता है और सतत व्यावसायिक विकास सुनिश्चित करता है। इस महत्त्वपूर्ण मिशन को पूरा करने के लिए भारतीय सरकार ने सभी लंबित मुद्दों की समग्र समीक्षा के लिए एक समिति का गठन किया। यह समिति विशेष रूप से भुगतानीय अपराधों के लिए लंबे समय से लंबित मुद्दों को लक्षित करता है। इस साहसिक कदम के माध्यम से भारत सरकार का मकसद व्यावसायिक क्षेत्र में अधिक बिजनेस फ्रेंडली माहौल बनाना है जो निवेश को प्रोत्साहित करता हो।

भारत में सोशल मीडिया पर बढ़ते अपराध हेतु डिजिटल विनियमन की आवश्यकता

केन्द्र सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की जगह एक ऐसे कानून को मंजूरी दी है जो सोशल मीडिया प्लेटफार्मों सहित डिजिटल सेवाओं को सही दिशा देते हुए इस क्षेत्र में जरूरी विनियमन कर सके। डिजिटल इंडिया विधेयक के जरिए ऐसा करने का प्रयास किया जाएगा। इसी के संदर्भ में यह प्रश्न भी खड़ा हुआ है कि आज जिस तरह से सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स का इस्तेमाल कई अपराधों, दुष्प्रचार, अफवाहों और सांप्रदायिक सोच को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। उससे निपटने के लिए क्या भारत सरकार के पास कोई राष्ट्रीय कानून या नेशनल पॉलिसी है जो सोशल मीडिया को प्रभावी तरीके से रेगुलेट कर सके जिससे सोशल मीडिया मूलतः सकारात्मक विचार और अभिव्यक्ति का साधन ही बने न कि अपराध प्रसारक यंत्र? विचार और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक मूल अधिकार है जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद-19 के तहत संवैधानिक संरक्षण प्रदान किया गया है जिसमें मीडिया या प्रेस की भी स्वतंत्रता शामिल है। सोशल मीडिया साइट्स को किस स्तर तक यह अधिकार मिले? इस पर सोचना आज आवश्यक हो गया है।

सोशल मीडिया विनियमन जरूरी क्यों?

- सोशल मीडिया नेटवर्किंग साइट्स पर लोगों की वर्चुअल प्राइवेसी के उल्लंघन से जुड़े मामले लगातार बढ़े हैं। इसे ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने डाटा प्रोटेक्शन विधेयक, 2022 के ड्राफ्ट को मंजूरी दे दी है। यह विधेयक हमारे डाटा को सुरक्षित रखने और प्राइवेसी को मेंटेन रखने में मदद करेगा। सुप्रीम कोर्ट द्वारा निजता को मौलिक अधिकार माना गया है। इसीलिए इस विधेयक का भारत में डिजिटल व्यक्तिगत डाटा (Digital Personal Data In India) के प्रसंस्करण पर अधिकार क्षेत्र होगा। इसमें ऑनलाइन, ऑफलाइन और डिजिटलीकृत डाटा शामिल है।
- आतंकी संगठनों ने इन साइट्स का इस्तेमाल आतंकी विचाराधारा के प्रसार, जेहाद और कट्टरता को फैलाने के लिए किया है। युवाओं को गुमराह करके उन्हें आतंकी संगठनों में भर्ती कराने के कई मामले सामने आए हैं जिनकी पुष्टि नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, कई राज्यों के आतंकवाद निरोधक दस्तों (ATS) और खुफिया एजेंसियों ने किया है। ऑनलाइन जेहाद और उग्रवाद के मामले भी दर्ज किए गए हैं जहां सोशल मीडिया पर तालिबानी सोच तथा आईएसआईएस की विचारधारा को बढ़ावा देने की कोशिश की गई है। सोशल मीडिया साइट्स का इस्तेमाल धार्मिक कट्टरता को बढ़ावा देने और धर्म विशेष के लोगों को गुमराह करने के लिए कैसे किए गए हैं? इसका प्रमाण पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) जैसे संगठनों की कार्यवाही में देखा जा सकता है जिसे भारत सरकार ने प्रतिबंधित संगठन घोषित कर दिया है।
- अनुच्छेद-370 का जम्मू कश्मीर से हटना, राम मंदिर का मुद्दा, यूनिफॉर्म सिविल कोड, हिजाब प्रकरण, राष्ट्रगान की अनिवार्यता, मदरसों में शिक्षा प्रणाली के विनियमन के मुद्दे, शहरों, मार्गों के नाम में परिवर्तन, वाराणसी में ज्ञानवापी मुद्दा, जुमे की नमाज के दौरान हिंसा, अग्निपथ योजना के खिलाफ नौजवानों का विरोध-प्रदर्शन, एनआरसी और सीएए जैसे कानूनों का विरोध, कृषक आंदोलन आदि ऐसे अनेक घटनाएं सामने आई हैं जब सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल सांप्रदायिक ध्रुवीकरण, उग्रता, हिंसा, अपराध, शत्रुता की भावना फैलाने के लिए अलग-अलग धर्मों द्वारा अपने निजी हितों को ध्यान में रखते हुए किया गया। सोशल मीडिया अपराध से जुड़े रजिस्टर्ड मामलों और ऐसे कितने मामलों का निपटारा किया गया? यदि इस बात पर आंकड़ा प्राप्त करना होता है तो सोशल मीडिया क्राइम से जुड़े मामले को निपटाने में मदद मिल सकती है। ऐसा क्राइम डेटा बेस एनसीआरबी को रखना चाहिए। यहां यह भी जानना आवश्यक है कि ऐसे डेटा बेस न रखने के बावजूद एनसीआरबी के मुताबिक फेक प्रोफाइल से जुड़े 2019 में 85, 2020 में 149 और 2021 में 123 साइबर क्राइम मामले रजिस्टर किए गए थे। सोशल मीडिया फ्लेटफॉर्म्स पर फेक यूजर्स पर निगरानी रखने के लिए लंबे समय से सरकारी पहचान पत्र के साथ वैलिडेट करने की चर्चा हो रही है, वहीं केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर तथा इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया अकाउंट्स को आधार या सरकार की तरफ से जारी किए जाने वाले दूसरे पहचान पत्र के साथ लिंक करने की किसी भी योजना को सिरे से खारिज किया है।
- देश में बढ़ता डिजिटलीकरण, टेली डेंसिटी, इंटरनेट सुविधाओं (4G, 5G, 6G) नेटवर्क ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी और वाईफाई की सुविधा दूरसंचार कंपनियों द्वारा सस्ते दर पर डाटा उपलब्ध कराना, ऐप्स का अनियंत्रित प्रसार, एंड्रॉयड फोन की हैंडलिंग के बारे में बड़ी आबादी को जानकारी न होते हुए भी इसका लगातार इस्तेमाल करना आदि कई कारण हैं जिन्होंने सोशल मीडिया तथा संचार नेटवर्कों के प्रयोग को आसान तो बनाया है पर सुरक्षित नहीं।
- भारत में व्हाट्सएप उपयोगकर्ता की संख्या लगभग 53 करोड़, यूट्यूब उपयोगकर्ता की 44.8 करोड़, फेसबुक उपयोगकर्ता की 41 करोड़, इंस्टाग्राम उपयोगकर्ता की 33 करोड़ और ट्विटर उपयोगकर्ता की 2.5 करोड़ है। मार्च, 2023 में भारत की टेली डेंसिटी 84.51 प्रतिशत थी। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नवीनतम आंकड़ों के अनुसार शहरी टेली डेंसिटी लगभग 133.81 प्रतिशत हो गई है, जबकि रूरल टेली डेंसिटी में भी वृद्धि होकर 57.71 प्रतिशत तक हो गई है।

सोशल मीडिया के विनियमन के प्रयास:

- इनफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यानी आईटी एक्ट 2000 की धारा-67 में प्रावधान किया गया है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आपत्तिजनक पोस्ट करता है या फिर शेयर करता है, तो उसके खिलाफ मामला दर्ज किया जा सकता है। इसका मतलब यह है कि यदि कोई टिक टॉक, शेयर चैट, फेसबुक, ट्विटर समेत किसी भी

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पोस्ट करके अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने की कोशिश करता है, तो उसके खिलाफ आईटी की धारा-67 के तहत कार्यवाही की जाती है। आईटी एक्ट की धारा-67 में कहा गया है कि अगर कोई पहली बार सोशल मीडिया पर ऐसा करने का दोषी पाया जाता है, तो उसे तीन साल की जेल हो सकती है, साथ ही 5 लाख रुपये का जुर्माना भी देना पड़ सकता है। इतना ही नहीं, अगर ऐसा अपराध फिर दोहराया जाता है, तो मामले के दोषी को 5 साल की जेल हो सकती है और 10 लाख रुपये तक का जुर्माना देना पड़ सकता है।

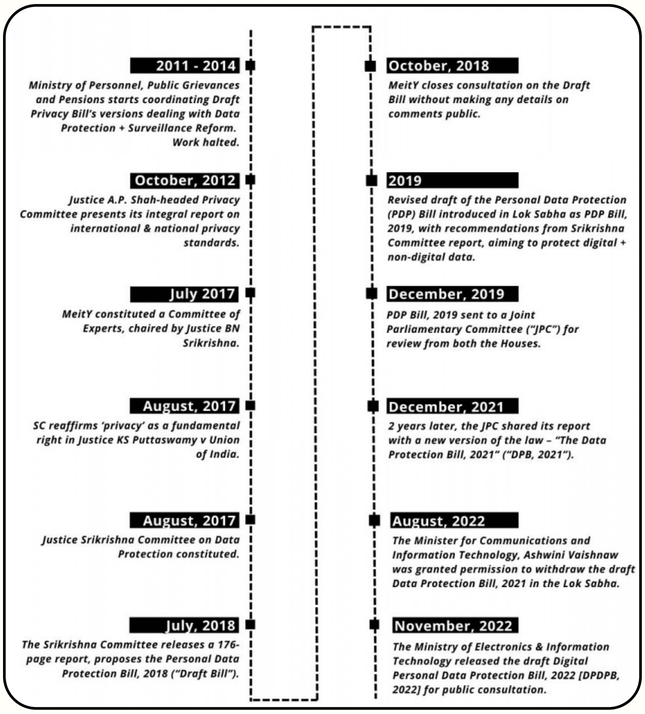

- आईपीसी की धारा-153A के जरिए भी सोशल मीडिया अपराधों को नियंत्रित किया जाता है। यह धारा उनके खिलाफ लगाई जाती है जो धर्म, नस्ल, भाषा, निवास स्थान या फिर जन्म स्थान के आधार पर अलग-अलग समुदायों के बीच नफरत फैलाने और सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। इस धारा के तहत तीन साल की जेल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।
- केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म्स के लिए 2021 में नई गाइडलाइंस जारी की थी। दशकों पुराने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट में संशोधन को लेकर सरकार लंबे समय से काम कर रही थी कि सोशल मीडिया और ओटीटी पर आपत्तिजनक कंटेंट को रोकने और नियमन के लिए क्या किया जाए? इसके बाद सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने 2021 में नए कोड ऑफ एथिक्स जारी किए जिसमें ऑनलाइन कंटेंट को लेकर नए नियम और कानून बनाए गए।
- सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती संस्थानों के लिए दिशा-निर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 के भाग-3 के तहत शक्तियां केंद्रीय सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय द्वारा प्रशासित हैं। ये दिशा निर्देश स्पष्ट रूप से इस बात का उल्लेख करते हैं कि सोशल मीडिया और ओटीटी प्लेटफॉर्म पर जाने वाले कंटेंट के नियमन तथा नियंत्रण के अधिकार या शक्तियां राज्य सरकारों या जिला मजिस्ट्रेटों या पुलिस आयुक्तों को नहीं सौंपी गई हैं।
- सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया को चेतावनी जारी कर चुका है जिसमें ऑनलाइन सट्टेबाजी प्लेटफार्मों के विज्ञापन से बचने के लिए कहा गया है। प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, सोशल और ऑनलाइन मीडिया में ऑनलाइन सट्टेबाजी वेबसाइटों/प्लेटफार्मों के विज्ञापनों के अनेक मामले पाए जाने के बाद यह चेतावनी जारी की गई। चेतावनी में कहा गया है कि देश के अधिकांश हिस्सों में सट्टेबाजी और जुआ अवैध है तथा उपभोक्ताओं को विशेष रूप से युवाओं और बच्चों के लिए अत्यधिक वित्तीय व सामाजिक-आर्थिक जोखिम पैदा करते हैं। इसमें यह भी बताया गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी पर इन विज्ञापनों का बड़े पैमाने पर इस निषिद्ध गतिविधि को बढ़ावा मिलता है। इसमें बताया गया है कि ऑनलाइन सट्टेबाजी के विज्ञापन भ्रामक हैं और उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, केबल टीलीविजन नेटवर्क विनियमन अधिनियम, 1995 के तहत विज्ञापन कोड तथा भारतीय प्रेस परिषद द्वारा प्रेस परिषद अधिनियम, 1978 के तहत निर्धारित पत्रकारिता आचरण के मानदंडों के अनुरूप नहीं हैं।
- कुल मिलाकर कह सकते हैं कि सोशल मीडिया का प्रसार एक ओर जहां नागरिकों को सशक्त बनाता है, वहीं दूसरी तरफ कुछ गंभीर चिंताओं और परिणामों को भी जन्म देता है जो हाल के वर्षों में कई गुना बढ़ गए हैं। इन चिंताओं को समय-समय पर संसद और इसकी समितियों, न्यायिक आदेशों तथा देश के विभिन्न हिस्सों में नागरिक समाज के विचार-विमर्श सहित विभिन्न मंचों पर उठाया गया है। ऐसी चिंताएं पूरी दुनिया में भी उठ रही हैं जो एक गंभीर अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बनता जा रहा है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कुछ बहुत ही परेशान करने वाली घटनाएं देखी गई हैं। फर्जी खबरों के लगातार प्रसार ने कई मीडिया प्लेटफार्मों को तथ्य-जांच तंत्र बनाने के लिए मजबूर कर दिया है। महिलाओं की विकृत छवियों और रिवेंज पोर्न से संबंधित सामग्री को साझा करने के लिए सोशल मीडिया के बड़े पैमाने पर दुरुपयोग ने अक्सर महिलाओं की गरिमा को खतरे में डाल दिया है। कॉर्पोरेट प्रतिद्वंद्विता को स्पष्ट रूप से अनैतिक तरीके से निपटाने के लिए सोशल मीडिया का दुरुपयोग व्यवसायों हेतु एक प्रमुख चिंता का विषय बन गया है। प्लेटफार्मों के माध्यम से अपमानजनक भाषा, अश्लील सामग्री और धार्मिक भावनाओं के प्रति अनादर के मामले बढ़ रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में अपराधियों तथा राष्ट्र-विरोधी तत्वों द्वारा सोशल मीडिया के दुरुपयोग की बढ़ती घटनाएं कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए नई चुनौतियां लेकर आई हैं। इनमें आतंकवादियों की भर्ती के लिए प्रलोभन, अश्लील सामग्री का प्रसार, वैमनस्य फैलाना, वित्तीय धोखाधड़ी, हिंसा भड़काना तथा सार्वजनिक व्यवस्था आदि शामिल हैं। इन सब बातों को देखते हुए नेशनल सोशल मीडिया पॉलिसी की जरूरत समझ में आती है।

1. जन विश्वास विधेयक 2023 में संशोधन को मंजूरी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा जन विश्वास विधेयक 2023 में संशोधन को मंजूरी दे दी गई है। इसके अंतर्गत 42 अधिनियमों में 183 अपराधों का गैर-अपराधीकरण करने का प्रावधान किया गया है।

विशेषताएं:

- विधेयक के तहत कुछ अपराधियों को गैर-अपराधीकरण केवल मौद्रिक दंड लगाकर अपराध की श्रेणी से बाहर कर दिया गया है। उदाहरण के तौर पर एक कानूनी अनुबंध का उल्लंघन करके व्यक्तिगत जानकारी का खुलासा करने पर 3 साल तक की कैद या 5 लाख तक का जुर्माना है, जबकि विधेयक में इसके स्थान पर 25 लाख तक का जुर्माना लगाया गया है।
- यह विधेयक विभिन्न अपराधों के लिए जुर्माना तथा दंड में बढ़ोतरी करता है। हर 3 साल में जुर्माना और अर्थदंड न्यूनतम राशि का 10% बढ़ाया जाएगा।
- नए प्रावधानों को लागू करने के लिए एक न्याय निर्णय अधिकारी को नियुक्त किया जा सकता है। इसके साथ ही अपीलीय तंत्र के माध्यम से व्यक्तियों की समस्याओं का समाधान होगा।

विधेयक की आवश्यकता:

- राष्ट्रीय न्यायिक डाटा ग्रिड के अनुसार अभी भी भारतीय अदालतों में 4.3 करोड़ मामले लंबित हैं जो कि अदालतों पर भारी दबाव बढ़ाते हैं।
- इस तरह के छोटे अपराध इज ऑफ डूइंग बिजनेस को प्रभावित करते हैं।
- वर्तमान समय में जेलों में में क्षमता से अधिक कैदी रह रहे हैं जो भारतीय आपराधिक न्याय व्यवस्था पर प्रश्न चिन्ह है।

चिंताएं:

- अधिनियम के तहत अपराधियों को हटाने से गोपनीयता संबंधी समस्या पैदा हो सकती है। उदाहरण के तौर पर डाक वस्तुओं को अवैध रूप से खोलने पर डाकघर अधिकारियों को 2 साल की जेल व जुर्माना है, परंतु विधेयक से यह प्रावधान हटाया गया है।
- ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन की रिपोर्ट 'जेल्ड फॉर डूइंग बिजनेस' के अनुसार, भारत में आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित करने वाले लगभग 843 आर्थिक कानूनों, नियमों और विनियमों में 26,630 से अधिक जेल की सजाएं हैं।

आगे की राह:

उपर्युक्त सुधारों से मानवाधिकार के संरक्षण में वृद्धि, न्यायपालिका के बोझ में कमी तथा व्यावसायिक गतिविधियों में तेजी देखने को मिल सकती हैं। सरकार को इससे जुड़ी चिंताओं पर ध्यान देते हुए अनावश्यक आर्थिक एवं सामाजिक बाधाओं को दूर करते रहना होगा जो कि सुशासन की दिशा में एक अच्छी पहल होगी।

2. 13.5 करोड़ लोग पिछले 5 वर्षों में बहुआयामी गरीबी से निकले: नीति आयोग

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नीति आयोग की एक रिपोर्ट में कहा गया कि भारत में 2015-16 और 2019-21 के बीच कुल पांच वर्षों में 13.5 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में गरीबी तेजी से कम हुई है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- भारत में बहुआयामी गरीबों की संख्या में 9.89 प्रतिशत अंकों की उल्लेखनीय गिरावट दर्ज की गई है जो 2015-16 में 24.85% से 2019-21 में 14.96% हो गयी।
- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में सबसे तेज गिरावट दर्ज की गई है जो 32.59% से घटकर 19.28% हो गई, जबकि शहरी क्षेत्रों में गरीबी 8.65% से घटकर 5.27% हो गई।
- रिपोर्ट में 36 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के साथ-साथ 707 प्रशासनिक जिलों के लिए बहुआयामी गरीबी अनुमान लगाया गया जिसमें सबसे तेज कमी उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, ओडिशा और राजस्थान में देखी गई।
- पांच वर्षों में एमपीआई मूल्य 0.117 से आधा होकर 0.066 हो गया और गरीबी की तीव्रता 47% से घटकर 44% हो गई जिससे भारत 2030 की निर्धारित समयसीमा से पहले एसडीजी लक्ष्य 1.2 (बहुआयामी गरीबी को कम से कम आधे से कम करने) को प्राप्त करने की राह पर अग्रसर है।
- नीति आयोग ने कहा कि स्वच्छता, पोषण, वित्तीय समावेशन, पेयजल और बिजली तक पहुंच में सुधार हुआ है तथा सरकार के सहयोग से इन क्षेत्रों में महत्त्वपूर्ण प्रगति देखी गयी है।
- पोषण अभियान और एनीमिया मुक्त भारत जैसी योजनाओं ने स्वास्थ्य के क्षेत्र में अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।
- प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के माध्यम से सब्सिडी वाले खाना पकाने के ईंधन की कमी में 14.6 प्रतिशत अंक के सुधार के साथ जीवन में सकारात्मक बदलाव आया है।
- सौभाग्य, प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री जन धन योजना और समग्र शिक्षा जैसी पहलों ने भी देश में बहुआयामी गरीबी को कम करने में महत्त्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन किया है।

राष्ट्रीय बहुआयामी गरीबी सूचकांक (NMPI) क्या है?

- राष्ट्रीय एमपीआई के तहत स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर के साथ-साथ 12 एसडीजी लक्ष्य जिनमें पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृत्व स्वास्थ्य, स्कूली शिक्षा के वर्ष, स्कूल में उपस्थिति, खाना पकाने का ईंधन, स्वच्छता, पीने का पानी, बिजली, आवास, संपत्ति और बैंक खाते आदि को मापते हैं।

आगे की राह:

भारत की राष्ट्रीय एमपीआई की बेसलाइन नवंबर 2021 पर

आधारित यह रिपोर्ट राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण-5 (2019-21) और एनएफएचएस-4 (2015-16) के बीच बहुआयामी गरीबी को कम करने में भारत की प्रगति का प्रतिनिधित्व करता है।

3. सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए नए दिशानिर्देश

चर्चा में क्यों?

सुप्रीम कोर्ट ने शीर्ष अदालत में वकीलों को 'वरिष्ठ अधिवक्ता' के रूप में नामित करने के लिए नए दिशानिर्देश जारी किए हैं। ये निर्देश इंदिरा जयसिंह बनाम सुप्रीम कोर्ट मामले में फैसले के बाद जारी किए गए थे जो नए मानदंडों को निर्देशित करते हैं। ये 2018 में अदालत द्वारा जारी किए गए पहले के दिशानिर्देशों का स्थान लेंगे जिसमें वरिष्ठ अधिवक्ता पद के लिए न्यूनतम आयु 45 वर्ष होगी। यदि नाम की सिफारिश भारत के मुख्य न्यायाधीश या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश द्वारा की गई है तो यह आयु सीमा लागू नहीं होगी।

वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए समिति:

- वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम से संबंधित मामलों को स्थायी समिति द्वारा निपटाया जाएगा।
- समिति का गठन:
  - भारत के मुख्य न्यायाधीश इसके अध्यक्ष
  - भारत के सर्वोच्च न्यायालय के दो वरिष्ठ न्यायाधीश
  - भारत के महान्यायवादी
  - बार एसोसिएशन का एक सदस्य जिसे अध्यक्ष और सदस्यों द्वारा नामित किया जाता है।
- यह समिति वर्ष में दो बार बैठक करेगी और जिसका एक स्थायी सचिवालय होगा जिसके सदस्यों का निर्णय समिति के अन्य सदस्यों के परामर्श से भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा किया जाएगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित होने की पात्रता:

- एक वकील के रूप में कम से कम 10 वर्ष या एक वकील तथा एक जिला और सत्र न्यायाधीश के रूप में या किसी भी न्यायाधिकरण के न्यायिक सदस्य के रूप में सुप्रीम कोर्ट में वरिष्ठ वकील के रूप में नामित होने के लिए कम से कम 10 वर्ष का अनुभव हो।

प्रैक्टिस का क्षेत्र:

- उम्मीदवार का प्रैक्टिस मुख्य रूप से उच्चतम न्यायालय के समक्ष होना चाहिए, लेकिन विशेष न्यायाधिकरणों के समक्ष डोमेन विशेषज्ञता और प्रैक्टिस वाले अधिवक्ताओं को रियायत दी जा सकती है।

आयु:

- उम्मीदवार की आयु कम से कम 45 वर्ष होनी चाहिए, जब तक कि समिति द्वारा आयु सीमा में छूट न दी जाए।
- पूर्व न्यायाधीश को आवेदन करने से रोक है, यदि वे पहले से ही कहीं और कार्यरत हैं।

बिंदु आधारित मूल्यांकन:

- दिशानिर्देशों में एक बिंदु-आधारित प्रणाली निर्धारित की गई है जिसके माध्यम से उम्मीदवारों को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के लिए मूल्यांकन किया जा सकता है।

क्या उम्मीदवार के पदनाम पर पुनर्विचार किया जा सकता है?

- पूर्ण न्यायालय किसी व्यक्ति को वरिष्ठ अधिवक्ता के रूप में नामित करने के अपने फैसले की समीक्षा कर सकता है। यदि अधिवक्ता को आचरण का दोषी पाया जाता है, तो पूर्ण न्यायालय को ऐसे अधिवक्ताओं को वरिष्ठ अधिवक्ता नामित होने से वंचित कर सकता है।

4. राजस्थान न्यूनतम आय विधेयक

चर्चा में क्यों?

हाल ही में राजस्थान सरकार ने 'राजस्थान न्यूनतम गारंटी आय विधेयक, 2023' पेश किया है। विधेयक की प्रभावशीलता राज्य की संपूर्ण वयस्क आबादी को गारंटीकृत मजदूरी या पेंशन से कवर करने का प्रयास करती है।

न्यूनतम आय विधेयक के बारे में:

- विधेयक के तहत राज्य के सभी परिवारों को हर साल 125 दिनों के लिए रोजगार की गारंटी दिया गया है।
- वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं को न्यूनतम 1,000 रुपये प्रति माह पेंशन का प्रावधान है।
- इसके अलावा सरकान ने बेरोजगार महिलाओं और दिव्यांगजनों हेतु रु. 4500 प्रतिमाह भत्ता देने की गारंटी दिया है।
- बेरोजगार युवकों को भी विधेयक में रु. 4000 प्रतिमाह देने का प्रावधान है।
- महत्त्वपूर्ण बात यह है कि पेंशन में वित्तीय वर्ष 2024-2025 से हर साल 15% की दर से बढ़ोतरी की जाएगी।

विधेयक में तीन व्यापक श्रेणियां हैं:

- न्यूनतम गारंटीकृत आय का अधिकार।
- गारंटीकृत रोजगार का अधिकार जो मनरेगा योजना का समर्थन करता है।
- गारंटीकृत सामाजिक सुरक्षा पेंशन का अधिकार जिसमें सरकार को इस योजना के लिए प्रति वर्ष 2500 करोड़ रुपये के अतिरिक्त खर्च का अनुमान है जो समय के साथ बढ़ सकता है।

विधेयक के प्रमुख प्रावधान:

- **न्यूनतम गारंटीकृत आय:** राजस्थान के प्रमुख कार्यक्रम 'शहरी क्षेत्रों के लिए इंदिरा गांधी शहरी गारंटी योजना' के साथ-साथ ग्रामीण क्षेत्रों में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MGNREGA) के माध्यम से प्रत्येक वयस्क को वर्ष में 125 दिनों के लिए न्यूनतम रोजगार की गारंटी दी गई है।
- **गारंटीकृत रोजगार:** रोजगार के अधिकार में कहा गया है कि शहरी या ग्रामीण रोजगार योजना में काम के बाद न्यूनतम भुगतान

"किसी भी मामले में साप्ताहिक, एक पखवाड़े से अधिक नहीं" किया जाना चाहिए।

विधेयक के पीछे तर्क:

- यह विधेयक सामाजिक न्याय के सिद्धांत का समर्थन करता है जो कमजोर वर्ग के उत्थान में सहायक होगा। यह व्यक्तियों के साथ निष्पक्षता और सम्मान के साथ व्यवहार करके वंचित वर्ग को न्याय देता है। यह मुद्रास्फीति से राहत प्रदान करेगा क्योंकि वस्तुओं की कीमतें दिन-प्रतिदिन बढ़ रही हैं।

आगे की राह:

यह विधेयक जरूरतमंदों और समाज के वंचित वर्ग के लिए बहुत फायदेमंद साबित होगा। विधेयक न केवल आय की गारंटी देता है, बल्कि कानून द्वारा रोजगार और पेंशन की भी गारंटी देता है। यह राज्य के निवासी के लिए सामाजिक सुरक्षा हासिल करने की दिशा में एक अग्रणी कदम है।

5. प्रतिबंधित ई-सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइटों को नोटिस

चर्चा में क्यों?

स्वास्थ्य मंत्रालय ने चिंता व्यक्त की है कि ई-सिगरेट अभी भी ऑनलाइन और स्थानीय विक्रेताओं के पास उपलब्ध है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने भारत में प्रतिबंधित ई-सिगरेट बेचने वाली 15 वेबसाइटों को नोटिस भेजकर उत्पादों का विज्ञापन और बिक्री बंद करने का निर्देश दिया है।

ई-सिगरेट क्या हैं?

- ई-सिगरेट एक बैटरी चालित वेपोराइजर है जो तम्बाकू धूम्रपान के लिए लोकप्रिय है। यह निकोटीन तरल को गर्म करता है जिसे जलवाष्प और निकोटीन के धुएं में बदल देता है। इसमें मौजूद तरल निकोटीन के मिश्रण को ई-जूस भी कहा जाता है।
- वनस्पति ग्लिसरीन (टूथपेस्ट जैसे सभी प्रकार के भोजन और व्यक्तिगत देखभाल उत्पादों में उपयोग की जाने वाली सामग्री), प्रोपलीन ग्लाइकोल (एक विलायक जो आमतौर पर फॉग मशीनों में उपयोग किया जाता है) तरल निकोटीन जूस या ई-जूस में भी पाए जाते हैं। प्रोपलीन ग्लाइकोल वह घटक है जो वाष्प धुआं पैदा करने में मदद करता है।
- ई-सिगरेट को इलेक्ट्रॉनिक निकोटीन डिलीवरी सिस्टम के रूप में भी जाना जाता है।
- कभी-कभी ई-सिगरेट के समर्थकों द्वारा यह तर्क दिया जाता है कि ई-सिगरेट द्वारा धूम्रपान करना पारंपरिक सिगरेट की तुलना में स्वास्थ्यवर्धक है क्योंकि उपयोगकर्ता केवल जल वाष्प और निकोटीन का सेवन करते हैं।

चिंताएं:

- साक्ष्यों से पता चलता है कि ये उत्पाद स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं अर्थात सुरक्षित नहीं हैं।
- ई-सिगरेट का उपयोग धूम्रपान न करने वालों और आसपास खड़े लोगों को भी बिना उसकी जानकारी तथा इच्छा के निकोटीन लेने पर मजबूर कर सकता है।
- जब उत्पाद अपेक्षित मानक के नहीं होते हैं या उपयोगकर्ताओं द्वारा छेड़छाड़ की जाती है, तब डिवाइस में विस्फोट भी होता है।
- बच्चे जहरीला ई-तरल निगल सकते हैं।
- ऐसा प्रतीत होता है कि यह घातक बीमारी न्यूरो-डीजनरेशन के के लिए भी जिम्मेदार है जो 'ट्यूमर प्रमोटर' के रूप में कार्य कर सकता है।
- ई-सिगरेट का भ्रूण पर गंभीर प्रभाव पड़ता है जिससे बच्चों में मस्तिष्क संबंधी विकार और चिंता (Anxiety Disorder in Children) हो सकती है।
- बच्चों और किशोरों, गर्भवती महिलाओं तथा प्रजनन आयु की महिलाओं पर ईएनडीएस (ENDS) के उपयोग से होने वाले दुष्प्रभावों के पर्याप्त सबूत हैं।
- सरकार ने 2019 में ई-सिगरेट पर प्रतिबंध लगाया था, लेकिन इस प्रतिबंध के बावजूद ई-कॉमर्स साइटों पर 18 साल से कम उम्र के बच्चों को भी ई-सिगरेट बेची जा रही है।
- अब इस पर अंकुश लगाने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने इलेक्ट्रॉनिक सिगरेट (उत्पादन, निर्माण, आयात, निर्यात, परिवहन, बिक्री, वितरण, भंडारण और विज्ञापन) निषेध अधिनियम के तहत उल्लंघन की रिपोर्टिंग की सुविधा के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल लॉन्च किया है।

6. प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 तथा मध्यस्थता विधेयक, 2021 को कैबिनेट की मंजूरी

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दो महत्त्वपूर्ण विधेयकों 'प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक, 2023 तथा मध्यस्थता विधेयक, 2021' को मंजूरी दी जिसे संसदीय पैनल के इनपुट को शामिल करने के लिए संशोधित किया गया था।

मध्यस्थता विधेयक 2021 क्या है?

- मध्यस्थता विधेयक एक ऐसी प्रणाली का प्रस्ताव करता है जहां नागरिक या वाणिज्यिक विवादों को पहले मध्यस्थता के माध्यम से हल किया जाता है जिसमें तत्काल अदालत या न्यायाधिकरण की भागीदारी की आवश्यकता से बचा जाता है। इस दृष्टिकोण का उद्देश्य विवाद समाधान को अधिक कुशल बनाना और न्यायिक प्रणाली पर मुकदमेबाजी के बोझ को कम करना है।

विधेयक की मुख्य बातें:

- नया कानून पार्टियों के लिए अदालत जाने से पहले मध्यस्थता के माध्यम से विवादों को सुलझाने का प्रयास करना अनिवार्य बनाता है। मध्यस्थता पूरी करने के लिए उनके पास 180 दिनों तक का समय होगा जिसे दोनों पक्षों के सहमत होने पर बढ़ाया जा सकता है।

- मध्यस्थों को पंजीकृत करने और मध्यस्थता सेवाओं की देखरेख के लिए भारतीय मध्यस्थता परिषद होगी। मध्यस्थता के माध्यम से किए गए समझौते अदालती फैसलों की तरह ही कानूनी रूप से बाध्यकारी होंगे।

प्रेस और आवधिक पंजीकरण विधेयक 2023 क्या है?

- 2023 प्रेस और पत्रिकाओं का पंजीकरण विधेयक 155 साल पुराने प्रेस तथा पुस्तकों के पंजीकरण अधिनियम, 1867 की जगह लेगा। इसका उद्देश्य कानून को सरल बनाना, आपराधिक पहलुओं को दूर करना और डिजिटल मीडिया को इसके दायरे में लाना है।
- यह नया कानून समाचार पत्रों व पत्रिकाओं के लिए पंजीकरण प्रक्रिया को और अधिक सरल बना देगा तथा प्रिंटर जानकारी का खुलासा न करने या प्रिंटिंग प्रेस चलाने के लिए दंड को हटा देगा।

विधेयक की मुख्य बातें:

- 2023 विधेयक का लक्ष्य अनियमित डिजिटल प्लेटफार्मों को त्रिस्तरीय शिकायत निवारण प्रणाली के तहत लाना है।
- डिजिटल मीडिया हाउसों को 90 दिनों के भीतर प्रेस रजिस्ट्रार जनरल के साथ खुद को पंजीकृत करना होगा तथा उल्लंघन के परिणामस्वरूप जुर्माना और पंजीकरण निलंबन/रद्द किया जा सकता है।
- 2019 के मसौदा विधेयक में डिजिटल मीडिया पर समाचार को डिजिटल प्रारूप में समाचार के रूप में परिभाषित किया गया था जिसे इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल नेटवर्क पर प्रसारित किया जा सकता है जिसमें टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो और ग्राफिक्स शामिल हैं।
- विधेयक के तहत एक अपीलीय निकाय की स्थापना की जाएगी जिसके अध्यक्ष भारतीय प्रेस परिषद के अध्यक्ष होंगे।

आगे की राह:

मध्यस्थता विधेयक मुकदमे-पूर्व मध्यस्थता को अनिवार्य बनाता है जिससे इसकी स्वैच्छिक प्रकृति के बारे में चिंताएँ बढ़ जाती हैं। मध्यस्थता परिषद में अनुभवी मध्यस्थ प्रतिनिधित्व की कमी और नियमों के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी की आवश्यकता संदिग्ध है। प्रेस और पंजीकरण विधेयक के खिलाफ भी चिंताएं व्यक्त की गई हैं जिसमें केंद्र सरकार पर डिजिटल समाचार मीडिया संस्थाओं पर नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास करने का आरोप लगाया गया है।

7. केंद्र सरकार को IAS, IPS, IFoS पेंशनभोगियों पर कार्यवाही का अधिकार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केंद्र सरकार ने भारतीय प्रशासनिक सेवा (IAS), भारतीय पुलिस सेवा (IPS) और भारतीय वन सेवा (IFoS) के पेंशनभोगियों हेतु सेवानिवृत्ति लाभ के नियमों में बदलाव किए हैं। केंद्र सरकार ने संबंधित राज्यों की सरकारों के साथ परामर्श के बाद, अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 में संशोधन किया जिसे अब अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) संशोधन नियम, 2023 कहा गया।

संशोधन के बाद किये गये परिवर्तन:

- यदि आईएएस, आईपीएस और आईएफओएस को दुर्व्यवहार या गंभीर अपराध का दोषी पाया जाता है, तो केंद्र सरकार के पास उनके खिलाफ कार्यवाही करने तथा राज्य सरकार के संदर्भ के बिना उनकी पेंशन रोकने या वापस लेने का अधिकार है।
- नए नियमों में कहा गया है कि आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के तहत आने वाले किसी भी दस्तावेज या जानकारी को संचारित करना या प्रकट करना 'गंभीर कदाचार' है और आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम के उल्लंघन से जुड़ा कोई भी अपराध 'गंभीर अपराध' के रूप में योग्य है।
- सुरक्षा और खुफिया संगठन के अधिकारी जो मीडिया में खुद को अभिव्यक्त करते हैं या संवेदनशील जानकारी प्रकट करने वाली किताबें लिखते हैं, उन्हें दुष्परिणाम का सामना करना पड़ सकता है।
- राज्य सरकार के संदर्भों पर निर्भरता को उनके संशोधित रूप में अखिल भारतीय सेवा (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ) नियम, 1958 द्वारा समाप्त कर दिया गया है।
- पहले के नियम में यदि कोई सेवानिवृत्त व्यक्ति दोषी पाया जाता था, तो केंद्र सरकार संबंधित राज्य सरकार से संदर्भ का अनुरोध करती थी।
- पेंशन रोकने या रद्द करने का केंद्र सरकार का निर्णय अब अंतिम माना जायेगा। यह संशोधन उन स्थितियों को संबोधित करने के लिए किया गया जिसमें राज्य सरकारें सेवानिवृत्त अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही के लिए संदर्भ भेजने में विफल रहीं, भले ही उन्हें जूरी द्वारा दोषी पाया गया हो।
- राज्य सरकारों के सहयोग की कमी के परिणामस्वरूप केंद्र सरकार को संबंधित अधिकारियों के खिलाफ आवश्यक कदम उठाना मुश्किल हो गया, खासकर अखिल भारतीय सेवाओं के प्रतिनिधियों के सन्दर्भ में कदम उठाते समय।
- इन तीन अखिल भारतीय सेवाओं में अधिकारियों को केंद्र सरकार द्वारा एक केंद्रीकृत प्रक्रिया के माध्यम से नियुक्त किया जाता है, लेकिन वे अपने करियर का अधिकांश हिस्सा अपने 'कैडर' असाइनमेंट के आधार पर राज्य सरकार के लिए काम करते हुए बिताते हैं।
- पिछले कुछ वर्षों में, कई राज्य सरकारों द्वारा आरोप लगाए गए हैं कि उनके संबंधित राज्यों में सेवारत अखिल भारतीय सेवा (AIS) अधिकारियों से संबंधित उनकी पूर्ववर्ती शक्तियां केंद्र सरकार द्वारा हड़पी जा रही हैं।

आगे की राह:

संघ सरकार को ऐसे किसी भी परिवर्तन करने हेतु राज्य सरकारों से परामर्श करना आवश्यक था क्योंकि अधिकारी राज्यों की सेवाओं से जुड़े होते हैं जिसमें हितों के टकराव की स्थिति बनी रहती है।

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्दे

1. मापुटो प्रोटोकॉल

चर्चा में क्यों?

मापुटो प्रोटोकॉल को अपनाए जाने के दो दशक बाद कुछ नागरिक समाज संगठनों ने 'मापुटो प्रोटोकॉल के 20 साल: अब हम कहां हैं?' नामक शीर्षक से एक ऐतिहासिक रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में अफ्रीकी महाद्वीप में प्रोटोकॉल प्रावधानों के धीमे एकीकरण और 2028 तक अफ्रीका में सार्वभौमिक अनुसमर्थन के लिए इसके विलंबित उद्देश्य पर प्रकाश डाला गया है जिसमें 12 देशों को अभी भी प्रोटोकॉल की पुष्टि करना बाकी है।

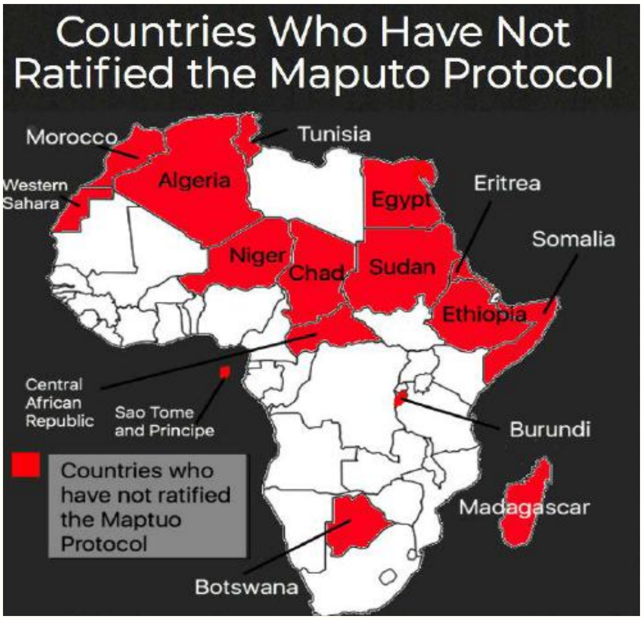

मापुटो प्रोटोकॉल क्या है?

- अफ्रीका में महिलाओं के अधिकारों पर अफ्रीकी चार्टर का प्रोटोकॉल (मापुटो प्रोटोकॉल) सबसे प्रगतिशील कानूनी ढांचे में से एक है जो स्वास्थ्य, शिक्षा, विरासत, न्याय तक पहुंच और महिला जननांग विकृति जैसी हानिकारक प्रथाओं के उन्मूलन सहित व्यापक महिलाओं के अधिकारों का प्रावधान करता है।
- 11 जुलाई, 2003 को अफ्रीकी संघ की असेंबली द्वारा अपनाया गया कानूनी रूप से बाध्यकारी यह प्रोटोकॉल, लागू होने वाली सबसे तेज मानवाधिकार संधि है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- मापुटो प्रोटोकॉल ने कुछ अफ्रीकी देशों में महिलाओं के अधिकारों को बढ़ावा दिया है। इन देशों ने भेदभाव के खिलाफ कानून बनाए हैं जिसमें बेनिन का जेंडर समानता परिवार कोड बहुविवाह को प्रतिबंधित करता है, सिएरा लियोन के जबरन विवाह की रोकथाम और इथियोपिया का स्वास्थ्य विस्तार कार्यक्रम प्रमुख है।
- हालांकि पिछले दो दशकों में, अफ्रीका में महिलाओं की श्रम शक्ति भागीदारी दर पुरुषों की तुलना में कम बनी हुई है, जबकि 24 देशों में गिरावट का अनुभव किया गया है।
- जातीय संघर्ष, कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन जैसे बाहरी कारकों से महिलाओं के आर्थिक अधिकार, अवसर तथा सामाजिक कल्याण और सुरक्षा तक पहुंच काफी प्रभावित होती है।
- एक सकारात्मक बात यह है कि संसद में प्रतिनिधित्व बढ़ने के साथ महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी में प्रगति हुई है। जैसे रवांडा की संसद के निचले सदन में महिलाओं की हिस्सेदारी में 2003 के बाद से तीन गुना वृद्धि देखी गई है।
- कोविड-19 महामारी ने बाल विवाह को समाप्त करने के प्रयासों को प्रभावित किया है। नतीजतन, 2030 तक 10 मिलियन बाल विवाह होने की संभावना है।
- महामारी ने सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रणालियों को भी प्रभावित किया जिससे प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई।

भविष्य में क्या करने की जरूरत?

अफ्रीका में महिलाओं के अधिकारों में उल्लेखनीय प्रगति को देखा गया है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि लाभ समावेशी हो, महिलाओं के स्वास्थ्य को बढ़ाने के लिए एक नई साझेदारी की आवश्यकता है। इसमें सभी समुदाय तथा धार्मिक नेताओं को शामिल करना और मापुटो प्रोटोकॉल के अनुच्छेद-IV द्वारा मांग की गई महिलाओं के खिलाफ सभी प्रकार की हिंसा को प्रतिबंधित करने के लिए कानूनों को लागू करना शामिल है।

2. वैश्विक कर्ज की स्थिति पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) ने वैश्विक ऋण पर रिपोर्ट-2023 जारी किया है। इस रिपोर्ट का शीर्षक 'कर्ज की दुनिया में वैश्विक समृद्धि पर बढ़ता बोझ' है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदु:

- रिपोर्ट में बताया गया है कि वैश्विक सार्वजनिक ऋण वर्ष 2022 में 92 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर पहुंच गया है जो वैश्विक ऋण वर्ष 2000 के बाद 5 गुना की वृद्धि दिखाता है।
- साथ ही रिपोर्ट में कहा गया है कि पिछले दशक में विकसित देशों की तुलना में विकासशील देशों में कर्ज में तेजी से बढ़ोतरी हुई है जो वैश्विक सार्वजनिक ऋण का लगभग विकासशील देशों पर 30% है।
- इस सार्वजनिक ऋण में वृद्धि का कारण जीवन यापन की लागत में उत्तरोत्तर वृद्धि, कोविड-19 महामारी और जलवायु परिवर्तन इत्यादि को माना गया है।
- साथ ही 3.3 अरब लोग उन देशों से हैं जो बुनियादी सुविधा (शिक्षा या स्वास्थ्य आदि) की तुलना में ऋण ब्याज भुगतान पर

अधिक खर्च करते हैं।

- रिपोर्ट में भारत का सार्वजनिक ऋण 2815 बिलियन अमेरिकी डॉलर है।
- रिपोर्ट के अनुसार आधे से अधिक विकासशील देश अपने सकल घरेलू उत्पाद का 1.5% से अधिक और अपने सरकारी राजस्व का लगभग 6.9% ब्याज के भुगतान पर खर्च करते हैं।

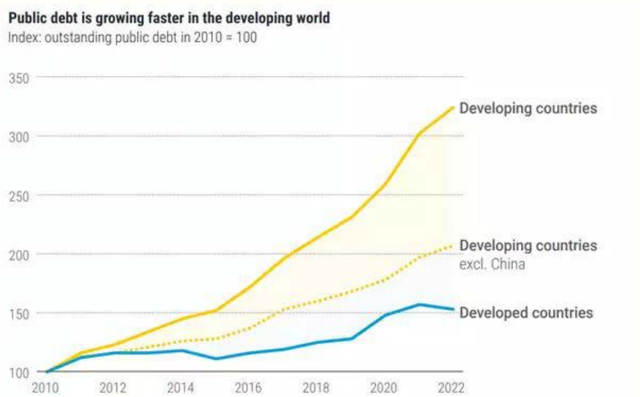

चुनौतियां:

- अंकटाड के अनुसार, विकासशील देश निजी ऋणदाताओं पर अधिक निर्भर हैं जिसके बाद ऋण अधिक महंगा होने से ऋण का पुनर्गठन अधिक जटिल हो जाता है।
- साथ ही असमान अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना ने भी विकासशील देशों की वित्त पोषण को पहुंच से बाहर और महंगा बना दिया है जिससे आर्थिक विकास की गति सुस्त पड़ गई है।
- एंटोनियो गुटेरेस ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय प्रणाली को नैतिक रुप से दिवालिया बताया जो अमीरों द्वारा स्थापित अमीर देशों के पक्ष में लेने वाला फैसला करती है।

आगे की राह:

यह सच है कि कर्ज की दुनिया में असमानता अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थाओं में अंतर्निहित है। इसीलिए महासचिव गुटेरेस ने कहा कि इस साल भारत जी-20 की अध्यक्षता कर रहा है और भारत अपने शक्ति का प्रयोग करके अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संरचना में आमूलचूल सुधार की कवायद को तेज कर सकता है जिससे विश्व व्यवस्था को सर्व-समावेशी बनाया जा सके।

3. काला सागर अनाज समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत ने काला सागर अनाज पहल को जारी रखने में संयुक्त राष्ट्र के प्रयासों के लिए समर्थन व्यक्त किया है और वर्तमान गतिरोध के शीघ्र समाधान की आशा व्यक्त की है, जबकि रूस ने काला सागर अनाज समझौते से खुद को अलग कर लिया जिसने यूक्रेन से अनाज ले जाने वाले जहाजों को सुरक्षित मार्ग देने का आश्वासन दिया था।

काला सागर अनाज समझौता क्या है?

- संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता में 22 जुलाई, 2022 को रूस ने काला सागर अनाज पहल पर सहमत जताई थी जिसके तहत मालवाहक जहाजों को ओडेसा, चोर्नोमोर्स्क और पिवडेनी के तीन यूक्रेनी बंदरगाहों से निरीक्षण के बाद (कि वे हथियार नहीं ले जा रहे हैं) यात्रा करने की अनुमति दी गयी थी।
- काला सागर में सुरक्षित मार्ग 310 समुद्री मील लंबा और तीन समुद्री मील चौड़ा है। प्रारंभ में 120 दिनों की अवधि के लिए निर्धारित, इस समझौते का उद्देश्य यूक्रेनी निर्यात (विशेषकर खाद्यान्न) के लिए एक सुरक्षित समुद्री मानवीय गलियारा प्रदान करना था। इस समझौते के तहत यूक्रेन द्वारा लगभग 32 मिलियन टन ज्यादातर मक्का और गेहूं का निर्यात किया गया है।
- यूक्रेन विश्व स्तर पर गेहूं और मक्का के सबसे बड़े खाद्यान्न निर्यातकों में से एक है तथा संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता कार्यक्रमों में एक प्रमुख योगदानकर्ता है। काला सागर में गहरे समुद्र के बंदरगाहों तक यूक्रेन की पहुँच होने से यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और मध्य- पूर्व से संपर्क करने में सक्षम बनाता है।

रूस इसे नवीनीकृत करने पर क्यों नहीं हुआ सहमत?

- रूस का दावा है कि इस समझौते के तहत उससे किए गए वादे पूरे नहीं किए गए हैं और पश्चिम द्वारा उस पर लगाए गए कई प्रतिबंधों के कारण उसे अभी भी अपने कृषि उत्पादों तथा उर्वरकों के निर्यात में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।
- हालाँकि रूस के कृषि उत्पादों पर कोई सीधा प्रतिबंध नहीं है, परन्तु रूस का कहना है कि भुगतान प्लेटफॉर्म, बीमा, शिपिंग और अन्य रसद पर बाधाएँ उसके निर्यात में बाधा डाल रही हैं।
- रॉयटर्स के अनुसार, यूरोपीय संघ (EU) अब अनाज और उर्वरक लेनदेन की अनुमति देने के लिए रूसी कृषि बैंक (रॉसेलखोजबैंक) की एक सहायक कंपनी को सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशंस (SWIFT) से जोड़ने पर विचार कर रहा है जिसे युद्ध के कारण इसे काट दिया गया था।

आगे की राह:

रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण वैश्विक स्तर पर मांग- आपूर्ति प्रभावित हुई

है। इसने खाद्यान्न की कीमतों के साथ में उर्वरक कीमत पर भी व्यापक असर डाला है। रूस द्वारा इस समझौते से बाहर निकलने का प्रभाव, विशेष रूप से विकासशील देशों में व्यापक होगा।

4. यूके ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप में हुआ शामिल

चर्चा में क्यों?

हाल ही में यूनाइटेड किंगडम औपचारिक रूप से ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप (CPTPP) के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते में शामिल हो गया है। सीपीटीपीपी को इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में 11 देशों का सबसे बड़ा मुक्त व्यापारिक गुट माना जाता है। इस कदम का लक्ष्य ब्रेक्जिट के बाद के परिदृश्य में ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था को विश्व अर्थव्यवस्था में फिर से एकीकृत करना है।

CPTPP क्या है?

- ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौता ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर और वियतनाम सहित 11 देशों का एक व्यापारिक समूह है। इस समझौते पर मार्च 2018 में हस्ताक्षर किए गए थे।
- CPTPP के सभी 11 देश एशिया-प्रशांत आर्थिक सहयोग (APEC) के भी सदस्य हैं।
- यह एक मुक्त व्यापार समझौता है जो संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व वाली पूर्व ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के बाद सहमति बनी।

CPTPP का महत्त्व:

- सीपीटीपीपी के लिए देशों से टैरिफ को समाप्त करने या उल्लेखनीय रूप से कम करने और सेवाओं तथा निवेश बाजारों को खोलने के लिए मजबूत प्रतिबद्धताएं बनाने की आवश्यकता है।
- इस गुट में प्रतिस्पर्धा, बौद्धिक संपदा अधिकार और विदेशी कंपनियों की सुरक्षा को संबोधित करने वाले नियम भी शामिल हैं। इस आवश्यक प्रावधान ने व्यापारिक वस्तुओं और सेवाओं पर 99% टैरिफ में कटौती की।
- यह पर्यावरण के दुरुपयोग, जैसे कि असंधारणीय कटाई और अत्यधिक मछली पकड़ने पर भी रोक लागाता है।

ब्रिटेन के लिए लाभ:

- यूनाइटेड किंगडम इस गुट में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है।
- इस कदम को ब्रेक्जिट डील के बाद ब्रिटेन द्वारा हासिल की गई बड़ी सफलता माना जा रहा है। यह ब्रिटिश व्यवसायों को 500 मिलियन से अधिक लोगों के बाजार तक व्यापार पहुंच और इंडो-पैसिफिक क्षेत्र में रणनीतिक उपस्थिति प्रदान करेगा। इससे देश की अंतर्राष्ट्रीय भू-राजनीतिक और आर्थिक ताकत को भी बढ़ावा मिलेगा।
- इस सौदे से लंबे समय तक अर्थव्यवस्था में सालाना 1.8 बिलियन डॉलर (2.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर) का सकल घरेलू उत्पाद जुड़ने की उम्मीद है।
- यह सदस्यता ब्रिटेन को सीपीटीपीपी में चीन के शामिल होने के खिलाफ वीटो शक्ति भी प्रदान करेगी। इससे हिंद-प्रशांत क्षेत्र में ब्रिटेन की शक्ति को बढ़ेवा मिलेगा।

भारत और CPTPP:

- भारत सरकार ने इस गठबंधन से बाहर निकलने का विकल्प चुना है क्योंकि वह अपने अन्य साझेदारों पर अधिक श्रम और पर्यावरण मानक स्थापित करना चाहती है। सीपीटीपीपी मसौदे में निवेश सुरक्षा, मेजबान राज्य के नियामक प्राधिकरण के लिए सुरक्षा उपाय और व्यापक पारदर्शिता मानकों को लागू करने के लिए अविश्वसनीय रूप से विशिष्ट आवश्यकताएं शामिल हैं।

आगे की राह:

यह कदम अत्यधिक वैश्विक विपरीत परिस्थितियों में यूके की अर्थव्यवस्था के लिए एक आशा की किरण प्रस्तुत करता है। इस कदम के प्रभावी क्रियान्वयन से अंततः एपीईसी, आरसीईपी और आसियान जैसी मौजूदा साझेदारियों के परिणामों को एकीकृत करके इंडो-पैसिफिक क्षेत्र को लाभ होगा।

5. सूडान संघर्ष

चर्चा में क्यों?

जिनेवा स्थित गैर-लाभकारी संगठन 'आंतरिक विस्थापन निगरानी केंद्र' द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, अप्रैल 2023 में भड़के संघर्ष के कारण सूडान में लगभग 2,231,523 विस्थापन दर्ज किए गए हैं। यह संख्या देश में पिछले दस वर्षों में संयुक्त कुल विस्थापन के बराबर है।

ऐसे विस्थापनों के पीछे कारण:

1. राष्ट्रीय कारण:

- सूडानी सशस्त्र बलों (SAF) और रैपिड सपोर्ट फोर्सेज (RSF) के बीच उत्तरी राज्यों और खार्तूम शहरों में शुरू हुई थी जो बाद में दारफुर और कोर्डोफान राज्यों तक फैल गई।
- इन राज्यों में से खार्तूम में अकेले अब तक 1,559,798 आंतरिक विस्थापनों की उच्चतम संख्या दर्ज की गई है।

2. जातीय कारण:

- ब्लू नाइल क्षेत्र में अधिकांश विस्थापन हौसा और फंज जनजातियों के बीच संघर्ष के कारण होते रहे हैं। हालाँकि इसे कुछ हद तक हल कर लिया गया है क्योंकि इन जनजातियों ने हिंसा से दूर रहने और विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से सुलझाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
- पश्चिमी दारफुर क्षेत्र में विस्थापन भूमि और संसाधनों को लेकर अरब तथा गैर-अरब जातीय समूहों के बीच जातीय संघर्ष के भी कारण है। इससे स्थायी मानवीय आपातकाल की स्थिति में भी बनी हुई है।
- इन संघर्ष के कारण अप्रैल के बाद से क्रमशः पश्चिम, दक्षिण, मध्य और उत्तरी दारफुर में लगभग 664,033 विस्थापन दर्ज किए गए हैं।

3. राजनीतिक कारण:

- सत्ता की लड़ाई के अलावा क्लेप्टोक्रेसी (एक ऐसी सरकार जहां अधिकारी राजनीतिक रूप से भ्रष्ट और आर्थिक रूप से स्वार्थी हों) भी सूडान की अस्थिरता के पीछे प्रमुख कारणों में से एक रही है। नेता सत्ता और व्यक्तिगत एजेंडे के लिए लड़ते हैं, व्यापक आबादी की कीमत पर राष्ट्र की संपत्ति का विनियोग करते हैं।

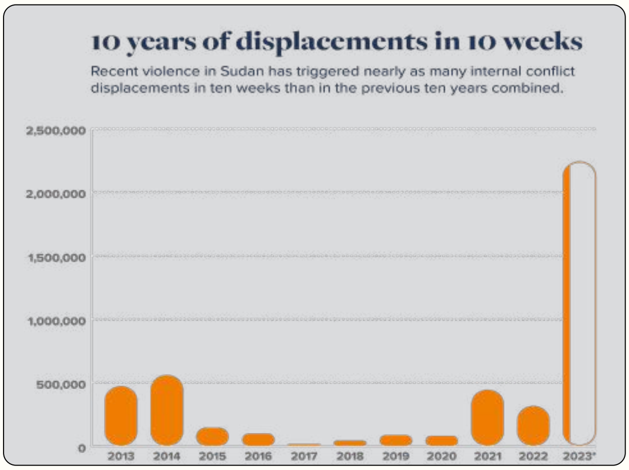

सूडान संकट के लिए वैश्विक एजेंडा:

- सूडान की रणनीतिक स्थिति और इसके समृद्ध कृषि संसाधनों ने क्षेत्रीय शक्ति संघर्षों को आकर्षित किया है। इस क्षेत्र में कई देशों के निहित स्वार्थ हैं। उदाहरण के लिए, अमेरिका रूसी प्रभाव का मुकाबला करना चाहता है ताकि अल-बशीर को उखाड़ फेंका जाए। सऊदी अरब और यूएई सूडान की इस अस्थिरता को क्षेत्र में अपने वैचारिक प्रभाव का दावा करने के अवसर के रूप में देखते हैं। इसी तरह रूस, अमेरिका सहित अन्य प्रमुख पश्चिमी अर्थव्यवस्थाओं से प्रतिबंधों का सामना कर रहा है, इसीलिए अफ्रीकी क्षेत्रों में रूस अपनी उपस्थिति का विस्तार करने का प्रयास कर रहा है।

भारतीय पहलू:

- सूडान और भारत दोनों के बीच प्राचीन काल यानी सिंधु घाटी सभ्यता से ही संबंध रहे हैं। वर्तमान में दोनों देश सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने में कामयाब रहे हैं। भारत इस क्षेत्र के लोगों के सर्वांगीण विकास और समृद्धि के बारे में मुखर रहा है।
- आर्थिक पहलू से भी सूडान की स्थिरता भारत के लिए जरूरी है क्योंकि चीन के बाद भारत सूडान का दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक है। रणनीतिक रूप से लाल सागर में चीनी उपस्थिति का मुकाबला करने के लिए सूडान भारत के लिए महत्त्वपूर्ण है।

आगे की राह:

इस युग में जब एशिया और अफ्रीका वर्तमान दुनिया का संभावित भविष्य हैं, सूडान में नागरिक नेतृत्व वाले प्रशासन पर जोर दिया जाना चाहिए। आज वैश्विक विश्व व्यवस्था में किसी भी क्षेत्र की अस्थिरता किसी न किसी रूप में पूरे विश्व को प्रभावित करती है। इसके अलावा, एक राष्ट्र अपने लोगों से बनता है और सत्ता या जातीयता के नाम पर उनके खिलाफ कोई भी अत्याचार कभी भी प्रशंसनीय नहीं होता है।

6. सिंधु जल समझौता

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सिंधु नदी तंत्र के पानी के बंटवारे पर दक्षिण एशिया के देश (भारत-पाकिस्तान) सिंधु जल समझौते में हेग स्थित स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) के दिए गए एक निर्णय के प्रावधानों को भारत ने अस्वीकार कर दिया और भविष्य में इस समझौते की शर्तों में बड़े बदलाव की मांग उठाई है।

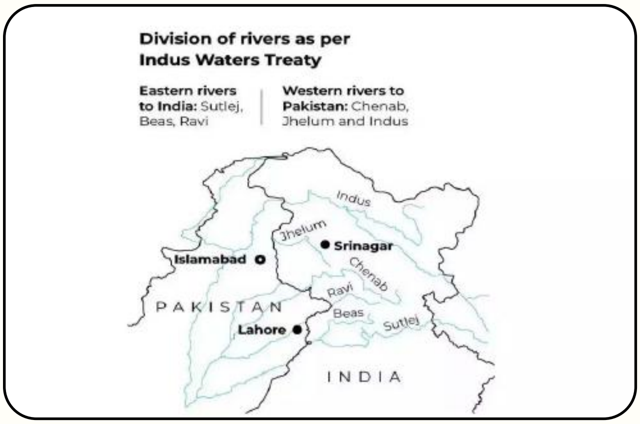

विवाद के मुख्य बिंदु:

- पाकिस्तान का आरोप है कि भारत के दो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट (किशनगंगा व रतले) के संयंत्रों की तकनीकी डिजाइन, जल प्रवाह, पर्यावरणीय प्रभाव इस संधि का उल्लंघन करती है।
- वर्ष 2016 में पाकिस्तान ने वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व में तटस्थ विशेषज्ञ से अपना अनुरोध वापस ले लिया और प्रस्ताव को स्थायी मध्यस्थता न्यायालय (PCA) में रखा।
- यद्यपि भारत ने वर्ल्ड बैंक के नेतृत्व वाले तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया। तत्पश्चात विश्व बैंक ने दोनों देशों के अनुरोध प्रस्ताव पर रोक लगा दी और दोनों देशों को परमानेंट इंडस

कमीशन (PIC) के माध्यम से समाधान का आग्रह किया।

- परिणामस्वरूप वर्ल्ड बैंक और स्थायी मध्यस्थता न्यायालय द्वारा अलग-अलग कार्यवाही प्रारंभ की गई।

संधि के पुनः वार्ता से भारत को लाभः

- अपस्ट्रीम राज्य के हिसाब से भारत को सबसे ज्यादा फायदा होगा।
- पंजाब और हरियाणा जैसे राज्यों का भूजल की मात्रा बहुत नीचे जा चुकी है और सतलज-यमुना लिंक परियोजना (SYL) की वजह से विवाद होते रहते हैं जिससे इन राज्यों का जल विवाद बंटवारा के कम होने की संभावना है।
- कश्मीर में आतंकवादी गुटों को पाकिस्तान द्वारा बढ़ावा देना जो कि पीएम मोदी ने वर्ष 2016 में 'पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते हैं' को दोहराया था।

भारत को हानिः

- अगर भारत ऐसा करता है तो पानी स्टोरेज के लिए बड़े-बड़े बुनियादी आधारभूत संरचना का विकास करना होगा क्योंकि यह क्षेत्र भूकंप रोधी 5 जोन में आता है, इससे भविष्य में खतरा बढ़ जाएगा।
- बुनियादी ढांचे के विकास के परिणामस्वरूप पाकिस्तान द्वारा इन डैम पर आतंकवादी गतिविधियों को बढ़ावा देकर नुकसान पहुंचाया जा सकता है जिसके भी गंभीर परिणाम हो सकते हैं।
- अपेक्षाकृत कमजोर देश के तौर पर पाकिस्तान किसी भी मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय रंग देने में सक्षम होने पर बातचीत की मेज पर उसकी स्थिति काफी मजबूत होगी।

आगे की राहः

संधि के मूलभूत समझौते में जिस गाइडेड मैकेनिज्म या चरणबद्ध तरीके से बातचीत के जरिए विवाद निपटाने की बात की गई है, भारत उस स्थिति पर जोर दे रहा है जिसमें किसी भी देश को नुकसान न हो।

7. श्रीलंका के राष्ट्रपति की भारत यात्रा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे भारत-श्रीलंका राजनयिक संबंधों की 75वीं वर्षगांठ के अवसर पर भारत की यात्रा पर आये। इसी वर्ष भारतीय मूल के तमिल समुदाय श्रीलंका में अपने आगमन के 200 वर्ष भी पूर्ण कर रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर घोषणा किया कि श्रीलंका में भारतीय मूल के तमिल नागरिकों के लिए 75 करोड़ रुपये की विभिन्न परियोजनाएं लागू की जाएंगी। इसके अलावा भारत, श्रीलंका के उत्तरी और पूर्वी क्षेत्रों में विकास कार्यक्रमों में भी योगदान देगा।

विजन दस्तावेज के मुख्य बिंदुः

- भारत श्रीलंका आर्थिक साझेदारी विजन का उद्देश्य पांच क्षेत्रों में आपसी संबंधों को मजबूत करना है।
- **समुद्री कनेक्टिविटी**- इसके तहत दोनों देश कोलंबो, त्रिकोंमाली और कांकेसंथुरई में बंदरगाहों तथा लॉजिस्टिक बुनियादी ढांचे के विकास में सहयोग करेंगे। इसके साथ ही नागपट्टिनम (भारत) व कांकेसंथुरई (श्रीलंका) के बीच यात्री नौकायन सेवाएं फिर से शुरू की जायेंगी।
- **हवाई कनेक्टिविटी**- इस क्षेत्र में चेन्नई और जाफना के बीच उड़ानों की आवाजाही में वृद्धि करना तथा श्रीलंका में अन्य स्थानों के लिए हवाई कनेक्टिविटी का पता लगाना भी विजन दस्तावेज में शामिल हुआ।
- **ऊर्जा और विद्युत कनेक्टिविटी**- इसके अंतर्गत नवीकरणीय ऊर्जा का विकास करना तथा ग्रीन हाइड्रोजन और ग्रीन अमोनिया की खोज में सहयोग करना प्रमुख है। इसके साथ ही एक बहु-उत्पाद पैट्रोलियम पाइपलाइन का निर्माण किया जाएगा तथा अपतटीय घाटियों में हाइड्रोकार्बन की संयुक्त खोज और उत्पादन को प्रोत्साहन दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त सामपुर सौर ऊर्जा परियोजना और एलएनजी अवसंरचना पर समझौता ज्ञापन के कार्यान्वयन में तेजी लाई जाएगी।
- **व्यापार आर्थिक और वित्तीय कनेक्टिविटी**- पशुपालन और डेयरी के क्षेत्र में विकास की संयुक्त घोषणा की गई है तथा श्रीलंका में यूपीआई आधारित डिजिटल भुगतान का संचालन शुरू करने पर सहमति बनी। श्रीलंका में निवेश को सुगम बनाया जाएगा तथा आर्थिक एवं प्रौद्योगिकी सहयोग समझौते पर विचार विमर्श किया जाएगा।
- **पीपल टू पीपल कनेक्टिविटी**-इसका उद्देश्य भारत और श्रीलंका में बौद्ध, रामायण तथा अन्य धार्मिक स्थलों को पर्यटन के लिए लोकप्रिय बनाया जाएगा। साथ ही साथ दोनों पक्षों के शैक्षणिक संस्थानों के बीच सहयोग को बढ़ावा दिया जाएगा।

आगे की राहः

पिछले साल आए आर्थिक और राजनीतिक संकट से श्रीलंका में गृहयुद्ध जैसे हालात पैदा हो गए। इन परिस्थितियों से न केवल श्रीलंका के लिए अपितु भारत के लिए भी समस्या का समाधान खोजना महत्त्वपूर्ण हो गया था। भारत की नेवरहुड फर्स्ट पॉलिसी और सागर विजन में श्रीलंका का एक महत्त्वपूर्ण स्थान है, इसलिए एक स्थिर, सुरक्षित और समृद्ध श्रीलंका न केवल भारत के हित में है, बल्कि पूरे इंडियन ओसियन रीजन के हित में है।

पर्यावरणीय मुद्दे

1. हूलॉक गिब्बन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हूलॉक गिब्बन (जो पूर्वोत्तर राज्यों में पाई जाने वाली वानर की एक प्रजाति है) के संरक्षण के लिए कदम उठाया गया है। यह प्रजाति विलुप्त होने वाले वानरों की 20वीं प्रजाति बन गई है।

हूलॉक गिब्बन के बारे में:

- हूलॉक गिब्बन, सभी वानरों में छोटा और तेज वानर होता है। यह एशिया के दक्षिणपूर्वी भाग में उष्णकटिबंधीय और उपोष्णकटिबंधीय जंगलों में पाया जाता है। हूलॉक गिब्बन, भारत के उत्तर-पूर्व में पाए जाने वाले 20 प्रजातियों में से एक है। इसकी अनुमानित जनसंख्या 12,000 है।
- ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क के अनुसार, हूलॉक गिब्बन सभी वानरों की तरह बेहद बुद्धिमान, विशिष्ट व्यक्तित्व और झुंड में रहने वाले हैं। गिब्बन प्रजाति की वर्तमान संरक्षण स्थिति चिंताजनक है। 1900 के बाद से गिब्बन प्रजाति के वितरण और आबादी में गिरावट देखी गई है। इसकी उष्णकटिबंधीय वर्षावनों में पाई जाने वाली सबसे छोटी आबादी है।

ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क (GGN) की मुख्य बातें:

- भारत में पेड़ों की कटाई के कारण हूलॉक गिब्बन को मुख्य रूप से खतरा है क्योंकि इससे इनके आवास की क्षति होती है।
- पूर्वोत्तर में वानर की दो प्रजातियाँ पाई जाती हैं:
  - पूर्वी हूलॉक गिब्बन (हूलॉक ल्यूकोनेडिस) जो अरुणाचल प्रदेश के एक विशिष्ट क्षेत्र में पाया जाता है।
  - पश्चिमी हूलॉक गिब्बन (हूलॉक हूलॉक) जो पूर्वोत्तर के असम एवं अन्य क्षेत्रों में पाये जाते हैं।
- ग्लोबल गिब्बन नेटवर्क की स्थापना भागीदारी संरक्षण नीतियों, कानूनों और कार्यों को बढ़ावा देने एशिया की प्राकृतिक विरासत के संरक्षण तथा उनके आवासों की सुरक्षा व संरक्षण के दृष्टिकोण से की गई थी।

सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी (CCMB) की रिसर्च:

- CCMB, हैदराबाद ने 2021 में आनुवंशिक विश्लेषण के आधार पर भारत में वानर की केवल एक प्रजाति का विवरण दिया है। इसने पहले के शोध को खारिज कर दिया कि पूर्वी हूलॉक गिब्बन अपने बाहरी सतह के रंग के आधार पर एक अलग प्रजाति थी।
- CCMB ने पश्चिमी हूलॉक गिब्बन और पूर्वी हूलॉक गिब्बन की दोनों आबादी 1.48 मिलियन वर्ष पहले विभाजित हो गई थी। यह भी अनुमान लगाया गया है कि गिब्बन का विस्तार 8.38 मिलियन वर्ष पहले हुआ था।
- IUCN लिस्ट में पश्चिमी हूलॉक गिब्बन को लुप्तप्राय, पूर्वी हूलॉक गिब्बन को असुरक्षित श्रेणी में रखा गए है।

आगे की राह:

खनन, बुनियादी ढाँचा, औद्योगिक विकास और अवैध शिकार हूलॉक गिब्बन प्रजाति के आवास को नष्ट कर रहे हैं, इसलिए तत्काल रूप से इस पर प्रतिबंध लगाकर इनके संरक्षण पर ध्यान देने की आवश्यकता है।

2. एवियन इंफ्लुएंजा

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन (FAO), विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) और विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन (WOAH) द्वारा जारी एक संयुक्त रिपोर्ट में कहा गया है कि जानवरों में फैल रहे एवियन इंफ्लूएंजा के प्रकोप ने मनुष्यों के संक्रमित होने के संभावित खतरों से चिंता पैदा की हैं।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- एवियन इन्फ्लुएंजा वायरस ने मुख्य रूप से पोल्ट्री फार्म, जंगली पक्षियों और स्तनधारियों सहित अन्य जानवरों को भी प्रभावित किया है। स्तनधारियों के बीच एच5एन1 एवियन इन्फ्लूएंजा की बढ़ती संख्या से वायरस के मनुष्यों को आसानी से संक्रमित करने की संभावना बढ़ गई है।
- H5N1 एवियन इन्फ्लूएंजा वायरस विशेष रूप से ग्वांगडोंग-लिनेज (Guangdong Lineage) से सम्बंधित हैं जो 1996 से पक्षियों में प्रकोप का कारण बन रहे हैं। 2020 के बाद से H5 क्लैड (Clade) 2.3.4.4b से संबंधित इस वायरस के एक प्रकार के कारण अफ्रीका, एशिया, यूरोप और अमेरिका में जंगली पक्षियों तथा मुर्गों की अधिक संख्या में मौतें हुई हैं।
- 2022 में लगभग 67 देशों ने पोल्ट्री फार्म और जंगली पक्षियों में H5N1 के प्रकोप की सूचना दी थी जिसके परिणामस्वरूप 131 मिलियन से अधिक घरेलू पोल्ट्री की हानि हुई। 2023 में अमेरिका सहित 14 देशों में प्रकोप की सूचना मिली।
- हालाँकि मनुष्यों में इन्फ्लूएंजा ए (H5N1) वायरस संक्रमण के छिटपुट मामले सामने आये हैं तथा मानव-से-मानव संचरण का जोखिम कम है। अब तक के मामले अधिकतर संक्रमित पक्षियों के निकट संपर्क और दूषित वातावरण से जुड़े हैं परन्तु एफएओ, डब्ल्यूएचओ एण्ड डब्ल्यूओएएच ने वायरस में किसी भी बदलाव के लिए सतर्कता तथा निगरानी के महत्त्व पर जोर देते हुए कहा है कि यह मनुष्यों के बीच तेजी से फैल सकता है।
- एवियन इन्फ्लूएंजा का प्रकोप स्तनधारियों को भी प्रभावित कर रहा है जिनमें फार्मेड मिंक, सील, समुद्री शेर, बिल्लियाँ और कुत्ते शामिल हैं।

स्तनधारियों से मनुष्यों को खतरा:

- H5N1 वायरस से लगभग 26 प्रजातियाँ प्रभावित हुई हैं। स्तनधारियों में बढ़ते मामलों के साथ, एवियन इन्फ्लूएंजा की महामारी ने वैश्विक चिंता पैदा की है क्योंकि स्तनधारी तथा पक्षियों की तुलना में जैविक रूप से मनुष्यों के अधिक नजदीक होते हैं जिससे मनुष्यों में वायरस के फैलने की संभावना एक महत्त्वपूर्ण

जोखिम बन जाती है।

एवियन इन्फ्लुएंजा के बारे में:

- 1971 में इन्फ्लूएंजा वायरस को पहली बार इसके संरचनात्मक एंटीजेनिक गुणों के आधार पर न्यूक्लियोप्रोटीन, हेमाग्लगुटिनिन और न्यूरोमिनिडेज के रूप में वर्गीकृत किया गया था।

आगे की राहः

एवियन इन्फ्लूएंजा के प्रकोप को रोकने के लिए उन्नत जैव सुरक्षा उपायों को लागू करना, जानवरों के प्रकोप का तेजी से पता लगाना, जानवरों और मनुष्यों में इन्फ्लूएंजा निगरानी को मजबूत करना, महामारी विज्ञान तथा वायरोलॉजिकल जांच करने से इस संक्रमण को फैलने से रोका जा सकता है।

3. पूर्वी अफ्रीकी तेल परियोजना वैश्विक जलवायु के लिए संकट

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय गैर-लाभकारी संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच (HRW) द्वारा कहा गया है कि पूर्वी अफ्रीका में निर्माणाधीन तेल पाइपलाइन परियोजना महाद्वीप के पारिस्थितिक तंत्र एवं वैश्विक जलवायु संकट के लिए खतरा उत्पन्न कर सकती है।

क्रूड ऑयल पाइपलाइन की मुख्य बातें:

- ईएसीओ परियोजना में 1 दर्जन से अधिक तेल के कुएं एवं सैकड़ों किलोमीटर की लंबी सड़कें, शिविर और अन्य बुनियादी ढांचे सहित 1,443 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन है।
- यह पाइपलाइन युगांडा और तंजानिया के माध्यम से कच्चे तेल को हिंद महासागर के तांगा बंदरगाह तक पहुंचाएगी। यह पाइपलाइन युगांडा के 178 और तंजानिया के 231 गांवों से होकर गुजरेगी।
- इस पाइपलाइन के टूटने से अपर्याप्त मात्रा में अपशिष्ट प्रबंधन और अन्य प्रदूषण से भूमि, पानी, हवा और उन पर निर्भर प्रजातियों को काफी नुकसान होगा।
- फ्रांसीसी बहुराष्ट्रीय कंपनी ने इस परियोजना को पूरा करने के लिए युगांडा, तंजानिया और चीनी कंपनी CNOOC (China National Offshore Oil Corporation) के साथ 10 बिलियन डॉलर के निवेश समझौते की घोषणा की है।
- इस पाइपलाइन परियोजना के 2025 तक पूरा होने की संभावना है।

परियोजना से जुड़ी पर्यावरणीय समस्याः

- यह परियोजना पश्चिमी युगांडा में तिलेंगा और किंगफिशर तेल क्षेत्रों को पूर्वी तंजानिया के तांगा बंदरगाह से जोड़ने वाली महत्त्वपूर्ण जीवाश्म ईंधन संरचनाओं में से एक है जिससे 379 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड निकलने का अनुमान है जो ऑस्ट्रेलिया के वार्षिक उत्सर्जन से अधिक है।
- पूर्वी अफ्रीका क्रूड ऑयल पाइपलाइन युगांडा के मर्चिसन फॉल्स नेशनल पार्क और मर्चिसन फॉल्स-अल्बर्ट डेल्टा रामसर साइट सहित समस्त पारिस्थितिक तंत्र को बाधित करेगी।

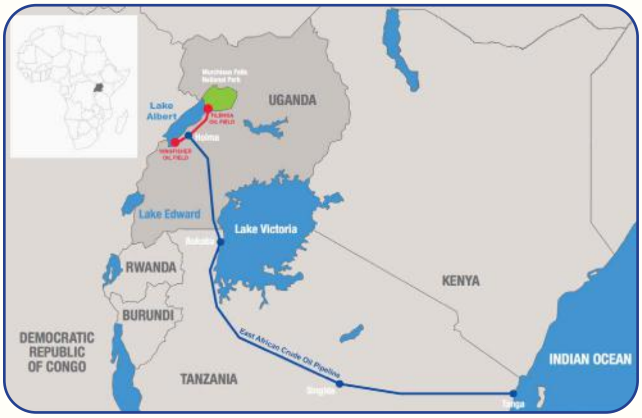

परियोजना से जुड़ी मानवीय समस्याः

- इस परियोजना के परिणामस्वरूप तंजानिया और युगांडा में 100,000 से अधिक लोगों को स्थायी रूप से बेदखल कर दिया जाएगा जिससे उनके मुआवजे को लेकर भी चिंता बढ़ जाएगी।
- हालाँकि फ्रांसीसी तेल कंपनी टोटलएनर्जीज ने मई 2023 तक तिलेंगा में 97 प्रतिशत मुआवजे का भुगतान करने का दावा किया है।

आगे की राहः

यह भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया युगांडा के हजारों किसानों के लिए गंभीर वित्तीय समस्या बन सकता है जिसमें भारी घरेलू ऋण, खाद्य असुरक्षा और स्कूल की फीस का भुगतान करने में असमर्थता आदि शामिल है जिससे बहुत से बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ेगा।

4. लुडविगिया पेरुवियाना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में नेचर कंजर्वेशन फाउंडेशन (NCF) के द्वारा कहा गया है कि पेरू तथा मध्य और दक्षिण अमेरिका के कुछ देशों में पाई जाने वाले 'लुडविगिया पेरुवियाना' नमक एक जलीय खरपतवार ने केरल सीमा एवं तमिलनाडु के हिल स्टेशन 'वलपराई' में हाथियों के आवास और चारागाह क्षेत्रों को खतरे में डाल दिया है।

लुडविगिया पेरुवियाना (Ludwigia Peruviana) क्या है?

- यह तमिलनाडु के 22 प्राथमिकता वाले आक्रामक पौधों में से

एक है।

- यह जल निकायों के किनारे तेजी से बढ़ने वाली घास है जो हिल स्टेशन के आस-पास अधिकांश दलदल क्षेत्र को संक्रमित करती है।
- इसे स्थानीय रूप से 'वायल' के नाम से जाना भी जाता है जो हाथियों के खाद्य चारा एवं हरी-भरी घास को नुकसान पहुंचा रहा है।
- यह स्थानीय रूप से पेरू, मध्य और दक्षिण अमेरिका के क्षेत्रों में पाया जाता है तथा अद्राभूमि क्षेत्रों में तेजी से वृद्धि करता है। इसके छोटे एवं पीले फूलों को सजावटी पौधे के रूप में इस्तेमाल किया जाता है।
- इससे घास और देशी पौधों की वृद्धि सीमित हो गई है जो हाथियों तथा गौर सहित अन्य जानवरों के लिए स्वादिष्ट होते हैं।

हाथियों को कैसे खतरा है?

- पिछले पांच वर्षों से इस खरपतवार के बढ़ते प्रसार को देखा गया है। यह मुख्य रूप से चाय बागानों के बीच में दलदलों में फैलता है और झाड़ियों का निर्माण करता है।
- ये दलदल उत्कृष्ट घास के आवरण, सेज और जल स्रोतों के लिए जाने जाते हैं जो विशेष रूप से गौर तथा हाथी जैसे शाकाहारी जानवरों के लिए बहुत अच्छे माने जाते हैं।
- गर्मी के महीनों में घाटी में पानी और दलदलों के किनारे घास तथा सेज मिलते है, लेकिन लुडविगिया की घनी झाड़ियाँ इन घासों एवं खाद्य चारे को दबा देती हैं जिससे चारा योग्य घास खत्म हो रहे हैं। यह हाथी एवं अन्य जानवरों के लिए खतरा उत्पन्न करती है।

दलदलों पर प्रभाव:

- दलदल बड़े शाकाहारी जीवों के अलावा उभयचरों और ऊदबिलावों के आवास होतें हैं जो जल भंडारण क्षेत्रों के रूप में कार्य करते हैं जिन्हें संरक्षित करने की आवश्यकता है।
- यदि लुडविगिया को हाथ से भी उखाड़ा जाए तो मुलायम पौधा आसानी से टूट जाता है और दलदल में गिरी जड़ या टूटे हुए तने से यह दोबारा फैल जाता है।

आगे की राह:

सभी दलदलों के संरक्षण की तत्काल आवश्यकता है जिससे उन्हें लुडविगिया से मुक्त किया जाए। हालाँकि सभी दलदल इससे प्रभावित नहीं होते है परन्तु कुछ दलदलों को अधिक नुकसान होता है। उन दलदलों को चिन्हित करके उनके आक्रमण एवं प्रसार को रोकने पर ध्यान केन्द्रित करना चाहिए।

5. कूनो नेशनल पार्क को कम से कम 50 चीतों की जरूरत: रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

दक्षिण अफ्रीकी विशेषज्ञ मेरवे ने राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण के द्वारा गठित चीता संचालन समिति को कुछ अवलोकन साझा किए। अवलोकन के अनुभव एवं तथ्यों के आधार पर बताया कि जंगली बिल्लियों की संख्या स्थिर होने से पहले कम से कम 50 चीतों की आवश्यकता होगी जो भारत में जंगली बिल्लियों की आबादी के विकास में सहायता करेंगे। भारत द्वारा चीता पुनः उत्पादन योजना के तहत कूनो नेशनल पार्क में नामीबिया एवं दक्षिण अफ्रीका से 20 चीतों को छोड़ा गया था, साथ ही राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण ने अगले 5 वर्षों के भीतर नामीबिया से 50 चीते लाने का फैसला किया है।

वर्तमान स्थिति:

- पिछले कुछ महीनों में प्राप्त परिणामों ने इस प्रोजेक्ट पर प्रश्नचिन्ह खड़ा कर दिया है क्योंकि अफ्रीका से लाए गए सभी चीतों में से 8 की मृत्यु हो चुकी है।
- प्रोजेक्ट के तहत लाए गये चीतों की मृत्यु के अलग-अलग कारण बताए गए हैं-
  - » कूनो नेशनल पार्क में पड़ रही व्यापक गर्मी एवं डिहाइड्रेशन

की समस्या।

» ट्रैकिंग डिवाइस के कारण उत्पन्न संक्रमण।
» रीलोकेशन, उदाहरण के तौर पर नर चीता उदय की मृत्यु दिल के बीमारी से हुई।

विशेषज्ञ की राय:

➢ वाइल्डलाइफ एक्सपर्ट विंसेंट वैन डेर मेरवे ने तीन शावकों की मौत को सामान्य बताया है, साथ ही यह भी कहा कि भविष्य में और भी मौतें हो सकती हैं। माना जा रहा है कि चीता प्रोजेक्ट के तहत पहले साल आए 20 चीतों में से अगर 50% भी सुरक्षित रह जाते हैं, तो प्रोजेक्ट सफल माना जाएगा।

कूनो नेशनल पार्क:

➢ 2018 में राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया गया कूनो मुख्य रूप से घास का मैदान है जिसमें कूनो नदी (चंबल की सहायक नदी) बहती है। कूनो राष्ट्रीय उद्यान अपनी रणनीतिक स्थिति व विविध आवासों के कारण महत्त्वपूर्ण पारिस्थितिक प्रभाव रखता है। इसमें चीतल सांभर नीलगाय जंगली सूअर चिंकारा जैसे वन्य जीव प्राणी पाए जाते हैं।

आगे की राह:

चीता परियोजना बाड़ बंद भंडार में बनाए रखने के दक्षिण अफ्रीका मॉडल को लागू करके सीमित जोखिम का विकल्प चुन सकती है। यह मानव जनित कारकों के कारण हो रही मौतों का विश्लेषण करके चीता प्रोजेक्ट को सफल बना सकता है।

6. महादेई अभयारण्य को टाइगर रिजर्व घोषित किया जाए- बाम्बे हाई कोर्ट

चर्चा में क्यों?

बॉम्बे हाईकोर्ट की गोवा पीठ ने गोवा सरकार को राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (NTCA) के निर्देशों के बाद वन्यजीव संरक्षण अधिनियम की धारा 38-वी(1) के तहत तीन महीने के भीतर महादेई वन्यजीव अभयारण्य और अन्य निर्दिष्ट क्षेत्रों को टाइगर रिजर्व घोषित करने का निर्देश दिया है। यह निर्णय 2020 में अभयारण्य में एक बाघिन और तीन शावकों की खोज के बाद आया जिससे पर्यावरणविदों द्वारा एक टाइगर रिजर्व की मांग फिर से बढ़ गई।

महादेई अभयारण्य:

➢ गोवा में महादेई वन्यजीव अभयारण्य, राज्य के उत्तरी भाग में वालपोई गांव के पास स्थित है जो 208 वर्ग किमी क्षेत्र में फैला हुआ है। यह पश्चिमी घाट की समृद्ध जैव विविधता की रक्षा करता है जिससे गोवा अपनी सीमाओं के भीतर पूरे पश्चिमी घाट क्षेत्र की रक्षा करने वाला देश का एकमात्र राज्य बन जाता है।

➢ **वनस्पति:** अभयारण्य में कुछ सदाबहार प्रजातियों और दुर्लभ स्थानिक ऑर्किड के साथ घने नम पर्णपाती वन हैं। ये अपने पवित्र उपवनों के लिए प्रसिद्ध है जो केसर-फूल वाले सदाबहार अशोक के पेड़ जैसे दुर्लभ स्वदेशी पेड़ों को संरक्षित करता है।

➢ **जीव:** आमतौर पर चित्तीदार जानवरों में भारतीय गौर, बार्किंग हिरण, सांभर हिरण, एशियाई ताड़ के सिवेट, जंगली सूअर और अन्य शामिल हैं, जबकि दुर्लभ दृश्यों में रॉयल बंगाल टाइगर, ब्लैक पैंथर, सुस्त भालू और पतले लोरिस शामिल हो सकते हैं, जो एक लुप्तप्राय प्रजाति है।

टाइगर रिजर्व को कैसे अधिसूचित किया जाता है?

➢ भारत में किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की प्रक्रिया महत्त्वपूर्ण बाघ आबादी वाले उपयुक्त क्षेत्र की पहचान करने के साथ शुरू होती है। इसके बाद प्रस्ताव एनटीसीए को भेजा जाता है जो पारिस्थितिक, जैविक और सामाजिक-आर्थिक पहलुओं का आंकलन करता है तथा बाघ संरक्षण के लिए व्यवहार्यता का मूल्यांकन करता है।

➢ केंद्र सरकार से मंजूरी मिलने के बाद संबंधित राज्य सरकार औपचारिक अधिसूचना जारी करके कानूनी तौर पर इस क्षेत्र को टाइगर रिजर्व घोषित करती है।

➢ हाल के फैसले में उच्च न्यायालय ने कहा कि हालांकि राज्यों के पास किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने में पूर्ण विवेकाधिकार है, लेकिन डब्ल्यूएलपीए (वन्यजीव संरक्षण अधिनियम) की एनटीसीए धारा 38-वी(1) की सिफारिशें अनिवार्य हैं।

➢ 2012 के डब्ल्यूएलपीए और एनटीसीए दिशानिर्देश मानव-वन्यजीव सह-अस्तित्व को बढ़ावा देते हैं, आबादी के बड़े पैमाने पर विस्थापन को कम करते हैं और वनवासियों के अधिकारों की रक्षा करते हैं।

आगे की राह:

भारत में किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में घोषित करना स्थानीय समुदायों के पुनर्स्थापन और पुनर्वास, मानव-वन्यजीव संघर्ष, संसाधन संघर्ष, अवैध गतिविधियों, सामाजिक मुद्दों तथा आवास विखंडन जैसी चुनौतियों को प्रस्तुत करता है। इन मुद्दों को हल करने के लिए सावधानीपूर्वक योजना, सामुदायिक सहभागिता और सफल बाघ संरक्षण के लिए हितधारकों के बीच सहयोग की आवश्यकता है।

7. सबसे बड़े पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर का पिघलना

चर्चा में क्यों?

हाल ही में ड्रोन इमेजरी ने रूस के सुदूर पूर्वी क्षेत्र सखा गणराज्य में दुनिया के सबसे बड़े पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर-बटागाइका क्रेटर के वितरण का खुलासा किया है।

मुख्य खोज:

- स्थानीय वैज्ञानिकों ने साइबेरियाई क्षेत्र में बटागाइका क्रेटर में मेगास्लोप पाया है। यह औसतन एक वर्ष में 20 मीटर तक चौड़ा हो रहा है। यह भयानक विशाल सिंकहोल पर्माफ्रॉस्ट को पिघला रहा है।

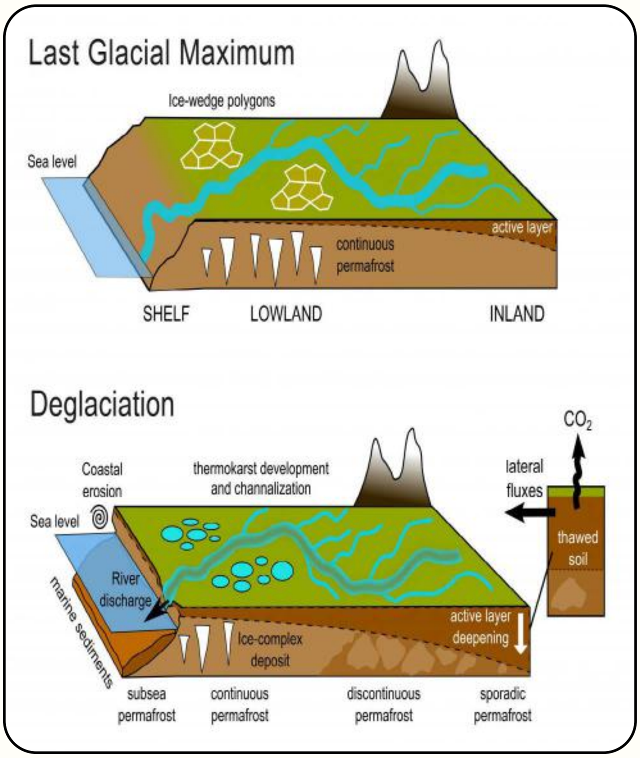

पर्माफ्रॉस्ट और महत्त्व:

- पर्माफ्रॉस्ट एक जमी हुई मिट्टी और चट्टानें हैं जो कम से कम दो साल तक सीधी होती हैं तथा ध्रुवीय परिदृश्य का बड़ा हिस्सा बनाती हैं। ग्रह के गर्म होने के कारण पर्माफ्रॉस्ट पिघल जाता है और पृथ्वी पर मेगास्लंप का निर्माण होता है।
- ध्रुवीय और पृथ्वी पारिस्थितिक तंत्र की रक्षा के लिए पर्माफ्रॉस्ट आवश्यक है। यह विभिन्न जीएचजी गैसों और कार्बन फुटप्रिंट को कम करता है। पर्माफ्रॉस्ट उच्च अल्बेडो के कारण आने वाले अधिकांश सूर्यातप को भी दर्शाता है।

बटागाइका क्रेटर:

- दुनिया का सबसे बड़ा थर्मोकार्स्ट डिप्रेशन बटागाइका क्रेटर रूस के चेर्स्की रेंज एरिया (सखा गणराज्य) में स्थित है। यह 1 किलोमीटर लंबा पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर है और यह आश्चर्यजनक दर से विस्तार कर रहा है।
- 1960 के दौरान इस क्षेत्र में वनों की कटाई के बाद बटागाइका क्रेटर का पिघलना शुरू हुआ था। बढ़ती मानवजनित गतिविधियों और जलवायु परिवर्तन से भूमि का डूबना बढ़ जाता है।
- क्रेटर के डूबने को 'गुफा या मेगा-स्लंप' भी कहा जाता है।

मेगास्लंप के प्रभाव:

- साइबेरिया (रूस) का क्षेत्र दुनिया के बाकी हिस्सों की तुलना में लगभग 2.5 गुना तेजी से पिघल रहा है। इसके परिणामस्वरूप लंबे समय तक जमे हुए टुंड्रा क्षेत्र (रूस के 65% को कवर करता है) का पिघलना होता है।

पिघलने वाले पर्माफ्रॉस्ट के परिणाम:

- सड़कों, रेलवे लाइनों की कटाई, घरों को अलग करने और पाइपलाइनों को बाधित करने जैसी तत्काल अवसंरचनात्मक क्षति।
- मीथेन जैसी ग्रीनहाउस गैसें वायुमंडल में बढ़ना।
- ग्लोबल वार्मिंग तथा जलवायु परिवर्तन को इससे और बढ़ावा मिलना।
- वार्मिंग के प्रभाव के परिणामस्वरूप लगातार जंगल की आग बढ़ना, पिघलने की गति को बढ़ा रही है।

आगे की राह:

बटागाइका क्रेटर का पिघलना पृथ्वी के लिए एक चेतावनी का संकेत है जो ग्लोबल वार्मिंग के प्रभावों का एक स्पष्ट प्रतीक बन गया है। आर्कटिक क्षेत्र में आर्थिक गतिविधियों की शुरुआत के साथ भविष्य में इसके बढ़ने की उम्मीद है। इसलिए ग्रह के पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्रों के संरक्षण के लिए जल्द ही वैश्विक सहमति का निर्माण करने की आवश्यकता है।

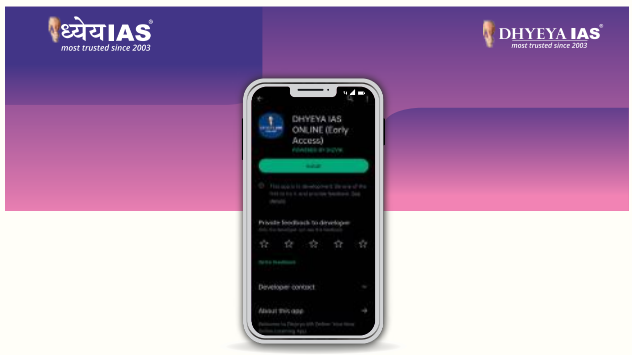

DOWNLOAD OUR
ANDROID MOBILE APP
Google Play Store

1. क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा क्रीमियन कांगो रक्तस्रावी बुखार (CCHF) वायरस के संभावित संचरण के बारे में चेतावनी जारी की गई है जो कि उच्च मृत्यु दर के लिए जाना जाने वाला एक टिक-जनित संक्रमण है।

CCHF क्या है?

- क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार (CCHF) एक वायरल रक्तस्रावी बुखार है जो टिक (Tick) द्वारा फैलता है।
- यह जानवरों के वध के दौरान और उसके तुरंत बाद विरेमिक पशु ऊतकों (जानवरों के ऊतक जहां वायरस रक्तप्रवाह में प्रवेश कर चुका है) के संपर्क के माध्यम से भी हो सकता है।
- CCHF का प्रकोप सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं के लिए खतरा है क्योंकि यह वायरस महामारी का कारण बन सकता है। इसमें उच्च मृत्यु अनुपात (10-40%) होता है संभावित रूप से अस्पताल और स्वास्थ्य सुविधा में इसका प्रकोप अधिक है।

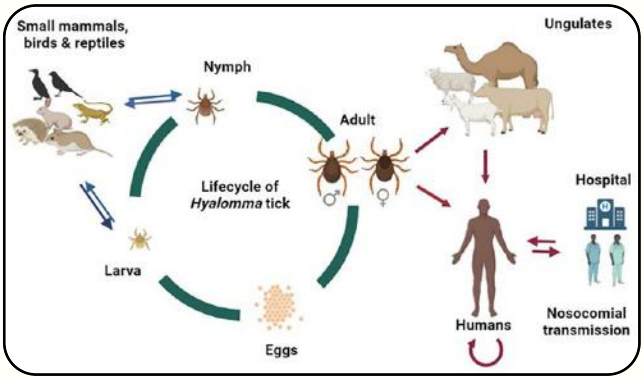

CCHF का प्रसार:

- यह वायरस टिक परिवार के कीड़ों में मौजूद होता है, इसलिए मवेशी, बकरी, भेड़ और खरगोश जैसे जानवर इस वायरस के शिकार हो सकते हैं। मनुष्यों में संचरण संक्रमित टिक या जानवरों के रक्त के संपर्क से हो सकता है।
- CCHF, संक्रामक रक्त या शरीर के तरल पदार्थ जैसे पसीना और लार के संपर्क से एक संक्रमित मानव से दूसरे में संचारित हो सकता है। टिक का प्रवासी पक्षियों द्वारा भी प्रसार किया जा सकता है जिससे वायरस लंबी दूरी तक फैल सकता है।

CCHF बुखार का इतिहास:

- यह बीमारी पहली बार 1944 में क्रीमिया प्रायद्वीप (काला सागर के पास) के सैनिकों में पाई गई थी। 1969 में यह कांगो बेसिन में पहचानी गई बीमारी क्रीमिया प्रायद्वीप के बीमारी जैसी थी, इसलिए इस बीमारी का नाम क्रीमियन-कांगो रक्तस्रावी बुखार रखा गया।
- यूरोप में इस बीमारी से पहली मौत 2016 में स्पेन में हुई थी।
- भारत में इसका पहला मामला गुजरात में पाया गया है जहाँ पर एक व्यक्ति की इस बुखार से मौत हो गई है। भारत में इस वायरस का पाया जाना एक गंभीर मुद्दा है।

CCHF के लक्षण और इलाज क्या हैं?

- मुख्य लक्षणों में बुखार, मांसपेशियों में दर्द, चक्कर आना, गर्दन में दर्द, पीठ दर्द, सिरदर्द, आंखों में दर्द, मतली, उल्टी, दस्त, पेट में दर्द और गले में खराश तथा प्रकाश के प्रति संवेदनशीलता शामिल हैं।
- अभी तक मनुष्यों या जानवरों में इस वायरस के लिए कोई टीका विकसित नहीं किया गया है। इस संक्रमण के इलाज के लिए एंटीवायरल दवा रिबाविरिन का उपयोग किया गया है।

आगे की राह:

इस संक्रमण को रोकने के लिए प्रयोगशाला परीक्षणों का उपयोग किया जा सकता है जिसमें एलिसा, एंटीजन का पता लगाना, सीरम न्यूट्रलाइजेशन, रिवर्स ट्रांसक्रिप्ट्से पॉलीमरेज चैन रिएक्शन (आरटी-पीसीआर) आदि शामिल हैं।

2. भारत ने 2022 में 93% डीपीटी3 टीकाकरण कवरेज किया दर्ज

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष (UNICEF) की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत ने 2019 के 91% उच्च स्तर को पार करके 2022 में 93% डीपीटी3 (डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस) टीकाकरण कवरेज दर्ज किया है।

रिपोर्ट की मुख्य बातें:

- केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा डब्ल्यूएचओ को दिए गए 2022 के आंकड़ों के अनुसार, कुल 25.2 मिलियन को डीपीटी-1 की पहली खुराक मिली, जबकि कुल 24.6 मिलियन लोगों को डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टेटनस की तीनों खुराक प्राप्त हुआ। कुल 25.2 मिलियन बच्चों को खसरे के टीके की पहली खुराक मिली, जबकि 23.8 मिलियन को दोनों खुराक प्राप्त हुआ।
- महाराष्ट्र सर्वाधिक टीकाकरण वाला राज्य बना जिसके 27 नगर निगमों ने अप्रैल 2022 से मार्च 2023 तक कुल 19.32 लाख शिशुओं (0-1 वर्ष) के टीकाकरण का अपना लक्ष्य हासिल करके एक बड़ी भूमिका निभाई है।
- भारत में काली खांसी के मामलों की संख्या वर्ष 2000 में 31,431 से घटकर 2022 में 4,362 हो गई। वर्ष 2000 में टेटनस के मामले 8,997 से घटकर 2022 में 65 मामले दर्ज किए गए। डिप्थीरिया के वर्ष 2000 में 5,125 मामले थे जो 2022 में घटकर 3,286 हो गए। हालांकि, खसरे के मामले में वृद्धि हुई है जो वर्ष 2000 में 38,835 से बढ़कर 2022 में 40,967 मामले सामने आए।

दक्षिण-पूर्व एशिया में सुधार:

- डब्ल्यूएचओ ने कहा कि दक्षिण-पूर्व एशिया में अन्य सभी क्षेत्रों की तुलना में सबसे ज्यादा टीकाकरण रिकवरी हुई है जिसका श्रेय मुख्य रूप से भारत और इंडोनेशिया द्वारा किए जा रहे प्रयासों को दिया जा सकता है जिसने 2022 में 85% कवरेज किया था।
- दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र में डीपीटी3 के लिए कवरेज दर 2021 में 82 प्रतिशत से बढ़कर 2022 में 91 प्रतिशत की तेज वृद्धि दर्ज की गई।

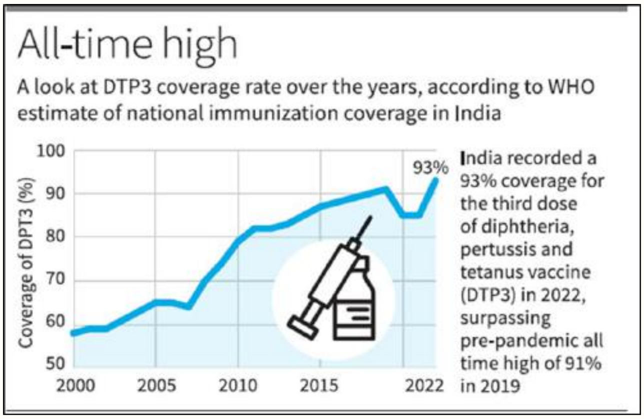

टीकाकरण कवरेज में अन्य देशों की स्थिति:

- भूटान ने 98% और मालदीव ने 99% टीकाकरण दर्ज किया है जो महामारी-पूर्व टीकाकरण दर (90%) को पार कर गये हैं।
- बांग्लादेश ने 98% और थाईलैंड ने 97% के साथ पूरे COVID-19 महामारी तथा उसके बाद भी नियमित टीकाकरण कवरेज में निरंतरता प्रदर्शित की है।
- श्रीलंका 98%, नेपाल 90%, तिमोर-लेस्ते 86% कवरेज के साथ क्रमशः 99%, 93% और 90% की महामारी-पूर्व कवरेज के करीब थे। म्यांमार 2022 में 71% डीपीटी3 कवरेज के साथ, 2019 के महामारी-पूर्व 90% कवरेज की लक्ष्य से बहुत दूर था।
- उत्तर कोरिया में COVID-19 महामारी के दौरान लगे सीमा प्रतिबंधों के कारण 2021 और 2022 में राष्ट्रीय वैक्सीन स्टॉक- आउट की सूचना मिली जिसके कारण कई एंटीजन के लिए कोई टीकाकरण नहीं हुआ परन्तु आगे कवरेज बढ़ने की उम्मीद है।

आगे की राह:

केंद्र की मिशन इंद्रधनुष योजना की सराहना करते हुए कहा गया है कि इसके द्वारा टीकाकरण से वंचित या आंशिक रूप से टीकाकरण वाले बच्चों को कवर किया गया है जिसके गहन प्रयासों से टीकाकरण कवरेज का विस्तार करने में मदद मिली है।

3. अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल ह्वासोंग-18

चर्चा में क्यों?

हाल ही में उत्तर कोरिया ने अपनी नवीनतम ह्वासोंग-18 अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल (ICBM) का परीक्षण किया। यह आईसीबीएम ठोस प्रणोदक का उपयोग करने वाली पहली मिसाइल है। ठोस प्रणोदक के इस्तेमाल से मिसाइलों की तेजी से तैनाती एवं फायर की जा सकती है।

ह्वासोंग-18 के बारे में:

- ह्वासोंग-18 एक ठोस ईंधन वाला आईसीबीएम है जिसका पहली बार परीक्षण इसी वर्ष किया गया था।
- ह्वासोंग-18 में ठोस प्रणोदक के इस्तेमाल से मिसाइलों की तेजी से तैनाती की जा सकती है। ठोस प्रणोदक तेजी से फायर कर सकते हैं और लिफ्टऑफ पर अधिक तेजी से गति कर सकते हैं।
- ठोस पदार्थों का उपयोग कई सैन्य अनुप्रयोगों के लिए किया जाता था, जैसे कि कम दूरी के रॉकेट, लेकिन इनका उपयोग किसी भी लंबी दूरी के अनुप्रयोगों के लिए नहीं किया जाता है।
- हालांकि ठोस प्रणोदक मुख्य रूप से सैन्य मिसाइल उपयोग के लिए बेहद अच्छे माने जाते हैं क्योंकि ये भंडारण योग्य होते हैं।

आईसीबीएम क्या हैं?

- ICBM एक बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं जिनकी मारक क्षमता 5,500 किमी से अधिक है। इनकी परमाणु हथियार वितरण तकनीक अच्छी होती है।
- वर्तमान में डीपीआरके (कोरियाई डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक) के अलावा, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, चीन, भारत और इजराइल ऐसे देश हैं जिनके पास भूमि-आधारित आईसीबीएम मिसाइलें हैं।

उत्तर कोरिया के आईसीबीएम परीक्षण का महत्त्व:

- उत्तर कोरिया ने वाशिंगटन घोषणा का उल्लेख करते हुए कहा है कि अमेरिका और दक्षिण कोरिया कोरियाई प्रायद्वीपीय क्षेत्र में सैन्य सुरक्षा की स्थिति को संवेदनशील बना रहे हैं तथा अमेरिका डीपीआरके के खिलाफ सैन्य बल तेज कर रहा है।
- उत्तर कोरिया ने कहा कि अमेरिका-दक्षिण कोरिया 'परमाणु सलाहकार समूह' की एक बैठक के माध्यम से हमारे राज्य के खिलाफ परमाणु हथियारों के उपयोग पर खुले तौर पर चर्चा करने की योजना बना रहे हैं जो अमेरिका-जापान-दक्षिण कोरिया "त्रिपक्षीय परमाणु गठबंधन" का मूल निकाय होगा।
- उत्तर कोरिया को आशंका है कि ये किसी भी समय कोरियाई प्रायद्वीप तथा उसके आसपास परमाणु ऊर्जा से चलने वाली पनडुब्बियों और परमाणु रणनीतिक बमवर्षकों को भेज सकते हैं।
- संयुक्त राज्य अमेरिका ने दक्षिण कोरिया में लगभग 150 टॉमहॉक मिसाइलों को ले जाने में सक्षम एक परमाणु-संचालित पनडुब्बी तैनाती की थी जिसे दक्षिण कोरिया के एक बंदरगाह शहर बुसान के बंदरगाह पर तैनात किया गया था।

आगे की राह:

जापान ने कहा कि यह मिसाइल उत्तरी जापान के ओकुशिरी द्वीप से लगभग 250 किमी पश्चिम में गिरी जो उसके सामरिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है। इस परीक्षण के बाद, नाटो शिखर सम्मेलन के दौरान लिथुआनिया में दक्षिण कोरिया ने एक आपातकालीन राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद की बैठक का आयोजन किया ताकि सदस्य देशों को इस घटना

के बारे में बताया जा सके।

4. गंबूसिया फिश

चर्चा में क्यों?

हाल ही में मलेरिया, डेंगू बुखार और मच्छरों से फैलने वाली अन्य बीमारियों से निपटने के प्रयास में आंध्र प्रदेश सरकार ने अपने कई जल निकायों में लाखों गंबूसिया मछलियाँ छोड़ी हैं।

गंबूसिया मछली (Gambusia Fish):

- गंबूसिया मछली प्रजाति प्रजनन की उच्च क्षमता प्रदर्शित करती है। उदाहरण के लिए, एक अकेली मादा गंबूसिया अपने जीवनकाल में 900 से 1200 संतानों को जन्म दे सकती है।

- यह मछली (जिसे मच्छर मछली या गैंबेजी के नाम से भी जाना जाता है) कई मीठे पानी की मछलियों की तुलना में छोटी है और दुनिया भर में मच्छरों के लार्वा के लिए जैविक नियंत्रण एजेंट के रूप में कार्य करती है।
- ये हर दिन लगभग 300 मच्छरों के लार्वा को खा सकते हैं जिससे प्रजनन करने वाले मच्छरों की संख्या सीमित हो जाती है।
- वे आम तौर पर उथले क्षेत्रों में पाए जाते हैं और दुनिया में सबसे आम मीठे पानी की मछलियों में से एक हैं।
- गंबूसिया एफिनिस (जी एफिनिस) का मूल निवास स्थान दक्षिण-पूर्वी संयुक्त राज्य अमेरिका का जलमार्ग है।
- 1928 से भारत ने मच्छर निवारण योजनाओं में मच्छरों के लार्वा के लिए जैविक नियंत्रण के रूप में मछली को शामिल किया है।

चिंता:

- गंबूसिया मछली की आक्रामक प्रकृति मौजूदा पारिस्थितिकी तंत्र के लिए खतरा पैदा करती है क्योंकि वे देशी प्रजातियों को मात दे सकती हैं और उनका शिकार कर सकती हैं।
- गंबूसिया मछली के छोड़े जाने से मीठे जल निकायों में देशी प्रजातियों को संभावित नुकसान की चिंता बढ़ गई है। गंबूसिया मछली के आक्रामक व्यवहार में जैसे मेंढकों के टैडपोल और प्रतिद्वंद्वी मछली के अंडे खाना शामिल है।
- इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर (IUCN) ने इन्हें 100 सबसे आक्रामक विदेशी प्रजातियों में से एक के रूप में सूचीबद्ध किया है।
- इसके अतिरिक्त, भारत ने इसे एक आक्रामक विदेशी प्रजाति के रूप में वर्गीकृत किया है।
- भारत में मलेरिया से निपटने के लिए 1990 के दशक में नैनीताल झील में लाए जाने के बाद, मच्छर मछली ने झील के पारिस्थितिकी तंत्र के स्वास्थ्य पर प्रभाव डाला।

आगे की राह:

विश्व स्वास्थ्य संगठन का एक प्रकाशन स्थानीय प्रजातियों और जलीय जानवरों पर संभावित नकारात्मक प्रभावों को उजागर करते हुए विदेशी मछली प्रजातियों को प्राकृतिक वातावरण में छोड़ने के खिलाफ चेतावनी देता है। इसके बजाय विशेषज्ञ देशी मछली प्रजातियों पर ध्यान केंद्रित करने की सलाह देते हैं जो प्राकृतिक रूप से मच्छरों के लार्वा को नियंत्रित करती हैं और प्राकृतिक वातावरण में सुरक्षा बढ़ाती है।

5. प्राकृतिक अनुकूलन द्वारा सिंथेटिक कोशिकाओं का विकास संभव

चर्चा में क्यों?

हाल ही में विकासवादी जीवविज्ञानी जे. टी. लेनन और उनकी टीम ने पाया है कि कम जीनोम वाला सिंथेटिक सेल एक सामान्य सेल की तरह जल्दी से विकसित हो सकता है। अपने मूल जीनों का 45% खोने के बावजूद, सिंथेटिक सेल ने 300 दिनों तक चलने वाले एक प्रयोगशाला प्रयोग में लचीलापन को अनुकूलित और प्रदर्शित किया। इससे जीनोम को नष्ट होने या विकास के माध्यम से जीवित रहने के लिए मजबूर किया जा सकता है।

सिंथेटिक सेल क्या है?

- सिंथेटिक सेल एक कृत्रिम रूप से बनाई गई कोशिका है जिसे गैर-जीवित सामग्रियों का उपयोग करके प्राकृतिक कोशिकाओं की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनमें सेलुलर मशीनरी और सिंथेटिक आनुवंशिक सामग्री जैसे आवश्यक घटक होते हैं जो प्रकृति में मौजूद नहीं होते हैं। वैज्ञानिक रासायनिक प्रक्रियाओं का उपयोग करके इन आनुवंशिक अनुक्रमों को संश्लेषित कर सकते हैं। इन्हें एक पूर्ण जीनोम बनाने के लिए इकट्ठा कर सकते हैं।
- सिंथेटिक कोशिकाओं और जीनोम में कई संभावित अनुप्रयोग होते हैं जिनमें विशिष्ट वांछित लक्षणों के साथ जीवों को डिजाइन करना,

जैव-तकनीकी उद्देश्यों (जैव ईंधन उत्पादन एवं फार्मास्यूटिकल्स या औद्योगिक एंजाइम) के लिए सूक्ष्मजीव बनाना तथा आनुवंशिक कार्यों और सेलुलर प्रक्रियाओं की हमारी समझ को आगे बढ़ाना शामिल है।

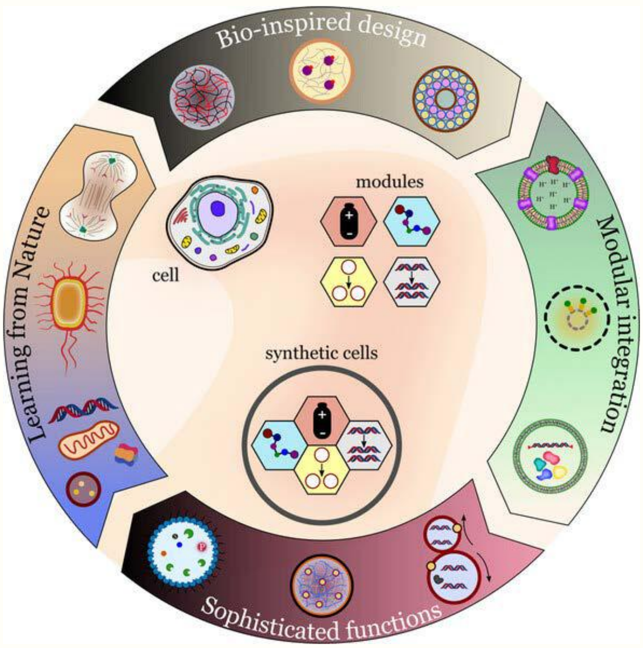

नवीनतम शोध के निष्कर्ष:

- कैलिफोर्निया के जे. क्रेग वेंटर इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं ने एक सिंथेटिक जीव, माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स जेसीवीआई-सिन 3बी का उपयोग किया जो बैक्टीरिया एम माइकोइड्स का एक छोटा संस्करण है जिसके प्राकृतिक जीनोम का 45 प्रतिशत समाप्त हो गया। 493 जीनों में, एम माइकोइड्स जेसीवीआई-सिन 3बी का न्यूनतम जीनोम किसी भी ज्ञात मुक्त-जीवित जीव में सबसे छोटा है।
- सिंथेटिक जीव को प्रयोगशाला में 300 दिनों के लिए स्वतंत्र रूप से विकसित करने की अनुमति दी गई थी, जहां उन्होंने इसके प्रदर्शन की तुलना मूल जीवाणु और एक अन्य अविकसित संस्करण से की थी। यह पाया गया कि विकसित जीवाणु में सुधार होने से मजबूत हुआ, जबकि एक भी अविकसित नहीं हुआ।
- अध्ययन से पता चला है कि सिंथेटिक जीवन रूप विकास की प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से विकसित हो सकते हैं और खुद को पर्यावरण के अनुकूल बना सकते हैं। जीनोम के न्यूनीकरण ने प्राकृतिक अनुकूलन को बाधित नहीं किया।

अध्ययन के निहितार्थ:

शोध के निष्कर्षों के महत्त्वपूर्ण निहितार्थ हैं। वे मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं कि जीव कैसे विकसित होते हैं और रोगाणुरोधी प्रतिरोध कैसे विकसित होता है? यह ज्ञान बेहतर उपचार और टीके बनाने में मदद कर सकता है। यह एक स्वास्थ्य रणनीतियों के माध्यम से बीमारी के प्रकोप को नियंत्रित करने और रोकने के लिए भी आवश्यक है। जैसे-जैसे सिंथेटिक जीव विज्ञान प्रगति करता है, रोग महामारी विज्ञान में इसके अनुप्रयोगों का विस्तार होने की उम्मीद है जिसके बेहतर सार्वजनिक स्वास्थ्य परिणाम और रोग नियंत्रण उपाय हो सकते हैं।

6. ब्रुसेलोसिस (Brucellosis)

चर्चा में क्यों?

हाल ही में केरल के कोल्लम में सात साल की बच्ची में ब्रुसेलोसिस संक्रमण का मामला सामने आया है। ब्रुसेलोसिस एक घातक जीवाणु संक्रमण है जो आम तौर पर मवेशियों में पाया जाता है और जानवरों से मनुष्यों में संपर्क के माध्यम से फैलता है।

ब्रुसेलोसिस:

- ब्रुसेलोसिस संक्रमण ब्रुसेला बैक्टीरिया की विभिन्न प्रजातियों के कारण होता है और आमतौर पर मवेशी, सूअर, बकरी, भेड़ तथा कुत्तों को प्रभावित करता है।
- इसे भूमध्यसागरीय बुखार या माल्टा बुखार के नाम से भी जाना जाता है।
- यह जानवरों से मनुष्यों में सीधे संपर्क के माध्यम से या पशु या डेयरी उत्पादों के माध्यम से प्रेषित किया जा सकता है। यह बकरियों या भेड़ों के बिना पाश्चुरीकृत दूध या पनीर के माध्यम से भी फैलता है।
- यह दूषित हवा में सांस लेने तथा संक्रमित जानवरों के रक्त और शरीर के तरल पदार्थ को छूने से भी फैल सकता है।
- ब्रुसेलोसिस का मानव से मानव में संचरण बहुत कम है।

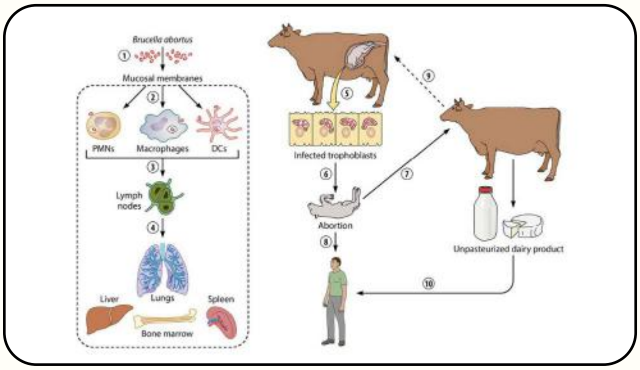

लक्षण:

- यह जीवाणु संक्रमण मनुष्यों में संक्रमित होने के कुछ दिनों से लेकर कुछ महीनों तक लक्षण दिखाना शुरू कर सकता है। इसके लक्षण फ्लू के लक्षणों के समान हैं जैसे: बुखार, ठंड लगना, भूख न लगना या एनोरेक्सिया (एक मनोवैज्ञानिक विकार जिसमें वजन बढ़ने के डर से व्यक्ति कम खाता है) कमजोरी, जोड़ों का दर्द और थकान आदि।

भारत में ब्रुसेलोसिस:

- यह भारत में स्थानिक है जिससे डेयरी उद्योग को भारी आर्थिक नुकसान होता है जैसे: बाँझपन, गर्भपात, कमजोर संतान का जन्म होना, उत्पादकता में कमी आदि।

विश्व में ब्रुसेलोसिस:

- ब्रुसेलोसिस संयुक्त राज्य अमेरिका में दुर्लभ है, जबकि दक्षिणी यूरोप (जैसे-पुर्तगाल, स्पेन, तुर्की, इटली, ग्रीस, दक्षिण फ्रांस) पूर्वी यूरोप, मध्य अमेरिका, एशिया, अफ्रीका और मध्य पूर्व एशियाई जैसे देशों में इसकी सामान्य उपस्थिति है।
- ब्रुसेलोसिस ने चीन में 3,000 से अधिक लोगों को संक्रमित किया है।

उपचार और सरकारी उपाय:

- इसका इलाज आमतौर पर एंटीबायोटिक्स (रिफैम्पिन और डॉक्सीसाइक्लिन) से किया जाता है। पालतू जानवरों का उचित टीकाकरण और प्रसंस्कृत डेयरी उत्पादों तथा मांस के प्रयोग पर सावधानी का पालन किया जाना चाहिए।
- इससे पहले 2020 में, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान ने डेयरी क्षेत्र में ब्रुसेलोसिस की रोकथाम के लिए ब्रुसेला अबॉर्टस एस19 वैक्सीन विकसित की थी।

आगे की राह:

ग्रामीण भारत में टीकाकरण की कमी और पशुपालन क्षेत्र में सेवाओं के अपर्याप्त प्रावधान के कारण मानव में ब्रुसेलोसिस काफी कम है। इसलिए प्रभावी रोकथाम के लिए मनरेगा और ग्राम-सभा जैसी एजेंसियों की भागीदारी से टीकाकरण तथा जागरूकता कार्यक्रम चलाए जा सकते हैं।

7. एंडोमेट्रियोसिस से बैक्टीरियल लिंक: रिसर्च

चर्चा में क्यों?

साइंस ट्रांसलेशनल मेडिसिन में प्रकाशित एक नए अध्ययन ने बैक्टीरिया के संक्रमण और एंडोमेट्रियोसिस के बीच एक संभावित लिंक का खुलासा किया है जो महिलाओं में एक दर्दनाक स्थिति होती है। एंडोमेट्रियोसिस वाली 60% महिलाओं में फ्यूसोबैक्टीरियम नामक एक बैक्टीरिया पाया गया था। यह खोज इंगित करती है कि रोगाणु रोग के विकास में शामिल हो सकते हैं और फ्यूसोबैक्टीरियम को लक्षित करने के लिए एंटीबायोटिक दवाओं का उपयोग संभावित रूप से घाव के आकार तथा आवृत्ति को कम कर सकता है। यह नॉन-इनवेसिव उपचार के लिए सहायक हो सकता है।

एंडोमेट्रियोसिस (Endometriosis) क्या है?

- एंडोमेट्रियोसिस एक प्रजनन रोग है जो दुनिया भर में लगभग 10% महिलाओं को प्रभावित करता है। यह तब होता है जब गर्भाशय (एंडोमेट्रियम) के समान ऊतक गर्भाशय के बाहर बढ़ता है जो आमतौर पर श्रोणि क्षेत्र, अंडाशय, फैलोपियन ट्यूब आदि में होता है।
- गलत स्थान पर स्थित यह ऊतक मासिक धर्म चक्र के दौरान हार्मोनल परिवर्तनों का जवाब देता है जिससे सूजन, निशान और घावों का निर्माण होता है। इन लक्षणों में श्रोणि दर्द, भारी रक्तस्राव, बांझपन, थकान और अवसाद शामिल हैं।
- भारत में लगभग 42 मिलियन महिलाएं इस स्थिति से प्रभावित हैं। हालांकि सांस्कृतिक बाधाओं और मिथकों के साथ बीमारी की खराब समझ के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में निदान में देरी और उपचार सुविधाओं की अनुपलब्धता होती है।

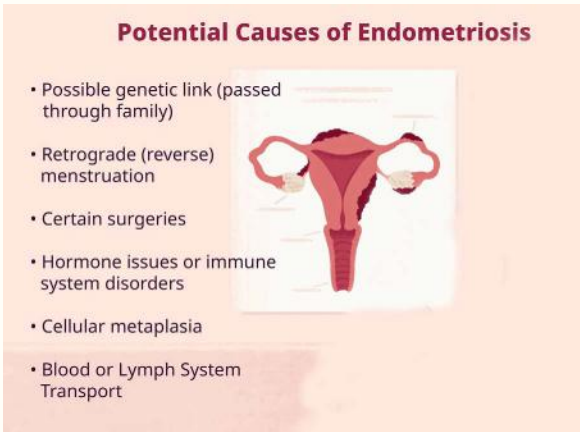

एंडोमेट्रियोसिस निदान और उपचार में सुधार:

- भारत में महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस के निदान और उपचार में सुधार के लिए स्वास्थ्य सेवा प्रदाताओं, नीति निर्माताओं, शोध कर्ताओं और रोगी वकालत समूहों सहित विभिन्न हितधारकों को शामिल करते हुए एक व्यापक दृष्टिकोण की आवश्यकता होती है।

आगे की राह:

एंडोमेट्रियोसिस और जीवाणु संक्रमण को जोड़ने वाले अध्ययन द्वारा लाखों महिलाओं को प्रभावित करने वाली इस व्यापक स्थिति के इलाज के लिए नए रास्ते की खोज हुई है। एंटीबायोटिक्स संभावित उपचार के रूप में उम्मीद दिखाते हैं, लेकिन स्थिति पैदा करने में बैक्टीरिया की भूमिका को पूरी तरह से समझने के लिए आगे का शोध आवश्यक है। एक बहु-विषयक दृष्टिकोण को बढ़ावा देकर प्रारंभिक पहचान और बेहतर प्रबंधन प्राप्त किया जा सकता है जो एंडोमेट्रियोसिस के साथ रहने वाली भारत में महिलाओं के लिए समग्र कल्याण तथा जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाता है।

1. केंद्र सरकार ने चावल की बिक्री के लिए ई-नीलामी में किया बदलाव

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में भारतीय खाद्य निगम (FCI) ने बढ़ती खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए गेहूं के बाद चावल की पहली बार ई-नीलामी शुरू की है। पहले ई-नीलामी दौर में खुले बाजार बिक्री योजना (OMSS) के तहत चावल के लिए छोटे व्यापारियों को शामिल किया जायेगा।

ई-नीलामी से जुड़ी मुख्य बातें:

- खुले बाजार बिक्री योजना-घरेलू (OMSS-D) के तहत ई-नीलामी के नवीनतम दौर में तीन राज्यों जिनमें कर्नाटक, केरल (प्रत्येक में 100 मीट्रिक टन) और महाराष्ट्र (90 मीट्रिक टन) में 290 मीट्रिक टन चावल बेचा गया है।
- भारतीय खाद्य निगम ने पहले दौर में 3.88 लाख टन चावल बेचने की योजना बनाई थी, लेकिन कुल पांच बोली लगाने वालों को केवल 170 टन ही बेचा गया।
- एफसीआई के अनुसार, ओएमएसएस के तहत चावल की बिक्री 31 मार्च, 2024 तक जारी रहेगी और बिक्री प्रत्येक सप्ताह ई-नीलामी के जरिए होगी।
- चावल की ई-नीलामी इसकी उपलब्धता में सुधार और खुदरा कीमतों में वृद्धि को रोकने के लिए शुरू की गई है क्योंकि चावल के स्टॉक में पिछले दो वर्षों की तुलना में 13 प्रतिशत की कमी देखी गई जिसमें अल नीनो के कारण मौसम संबंधी व्यवधानों की संभावना से चावल उत्पादन तथा खरीद दोनों प्रभावित हुई थी।
- कर्नाटक को खुली बाजार बिक्री योजना से बाहर रखा गया है और प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत मांग को पूरा करने के लिए वर्तमान में लगभग 360 लाख टन अनाज की आवश्यकता पर जोर दिया गया है।
- एफसीआई ने पहले ही खाद्यान्नों की बढ़ती खुदरा कीमतों को नियंत्रित करने के लिए थोक उपभोक्ताओं और व्यापारियों को बफर स्टॉक से 4 लाख टन गेहूं और 5 लाख टन चावल बेचने की घोषणा की थी।

भारतीय खाद्य निगम (FCI) के बारे में:

1965 में देश में खाद्यान्नों विशेष रूप से गेहूं की भारी कमी को देखते हुए खाद्य निगम अधिनियम, 1964 के अंतर्गत भारतीय खाद्य निगम (एफ.सी.आई.) की स्थापना की गई थी।

आगे की राह:

खुले बाजार बिक्री योजना (घरेलू) के तहत भारतीय खाद्य निगम गेहूं और चावल के स्टॉक को समय-समय पर ई-नीलामी के माध्यम से पूर्व-निर्धारित कीमतों पर बेचता है ताकि खाद्यान्न, विशेषकर गेहूं की कमी के मौसम में आपूर्ति बढ़ाई जा सके तथा खुले बाजार की कीमतों को नियंत्रित किया जा सके।

2. भारत और यूएई के बीच स्थानीय मुद्रा समझौते पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों?

भारत और यूएई देशों के बीच आर्थिक सहयोग को आगे बढ़ाने के लिए पीएम मोदी की हालिया अबू धाबी यात्रा के दौरान स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) के समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) क्या है?

- एलसीएस प्रणाली इस मामले में द्विपक्षीय व्यापार के उद्देश्य से स्थानीय मुद्राओं यानी भारतीय रुपया और यूएई दिरहम के उपयोग की अनुमति देती है। यह भारत की पहली एलसीएस व्यवस्था है जिसका उद्देश्य सीमा पार लेनदेन में बदलाव लाना है।

स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) के लाभ:

एलसीएस पर हस्ताक्षर बढ़ती भारत-यूएई साझेदारी में हासिल किया गया एक महत्त्वपूर्ण पहल है जिसे 2022 में एक आभासी शिखर सम्मेलन के दौरान जारी विजन स्टेटमेंट में भी रेखांकित किया गया है। इस संदर्भ में यह निम्नलिखित लाभों का वादा करता है:

- इससे लेनदेन लागत और प्रसंस्करण समय कम होने की उम्मीद है जिससे द्विपक्षीय व्यापार की मात्रा तथा गति में वृद्धि होगी।
- यह व्यापारियों और व्यवसायों को आपसी समझौते के आधार पर भुगतान मुद्रा चुनने की सुविधा प्रदान करेगा।
- यह विनिमय दर जोखिमों और उच्च वैश्विक मुद्रास्फीति को रोकने में मदद करेगा जैसा कि वर्तमान भू-आर्थिक स्थितियों के माध्यम से दिखाई देता है। इस प्रकार, यह विदेशी मुद्रा पर निर्भरता कम करके घरेलू मुद्रा को मजबूत करेगा।
- इसके अलावा यह विभिन्न स्थानीय मुद्रा परिसंपत्तियों जैसे सरकारी प्रतिभूतियों, औद्योगिक बांड, शेयर बाजार आदि में अधिशेष के निवेश की अनुमति देता है। यह सहयोग के लिए नए रास्ते प्रदान करने के साथ-साथ विकास सुनिश्चित करेगा।
- यह लेनदेन लागत में कटौती करके, विशेष रूप से कम कुशल तथा कम आय वाले लोगों द्वारा प्रेषण के हस्तांतरण की सुविधा प्रदान करेगा।
- साथ ही यह दोनों देशों के बीच हस्ताक्षरित व्यापक आर्थिक साझेदारी समझौते (CEPA) में परिकल्पित तरजीही व्यापार शर्तों को बढ़ाएगा।

सहयोग के अन्य क्षेत्र:

- एलसीएस के अलावा अबू धाबी में आईआईटी दिल्ली के एक परिसर की स्थापना के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। यह आईआईटी की अकादमिक उत्कृष्टता को वैश्विक स्तर पर बढ़ाएगा और भारतीय प्रवासियों को भी महत्त्वपूर्ण लाभ पहुंचाएगा।
- दोनों देशों के भुगतान और संदेश प्रणाली को आपस में जोड़ने के लिए एक और समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसके परिणामस्वरूप भारत का यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (UPI) यूएई के

इंस्टेंट पेमेंट प्लेटफॉर्म (IPP) से जुड़ जाएगा।

- इसके साथ ही कार्ड स्विच को लिंक करने से विभिन्न भुगतान सेवा प्रदाताओं के बीच संचार तथा लेनदेन की सुविधा मिलेगी।

आगे की राह:

स्थानीय मुद्राओं में व्यापार के साथ-साथ भुगतान संदेश प्रणालियों का अंतर्संबंध भारत-यूएई आर्थिक संबंधों को एक नया आयाम प्रदान करेगा। अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए भारत को अन्य देशों के साथ इसका प्रयोग बढ़ाना चाहिए।

3. अग्रिम प्राधिकरण योजना

चर्चा में क्यों?

विदेश व्यापार महानिदेशालय (DGFT) ने विदेश व्यापार नीति के तहत अग्रिम प्राधिकरण योजना लागू की है। इस योजना का लक्ष्य निर्यात उद्देश्यों के लिए इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देना है।

इस योजना के बारे में:

- अग्रिम प्राधिकरण योजना का उद्देश्य नए उपायों की शुरुआत करके निर्यातकों के लिए व्यापार सुविधा को बढ़ाना और प्रक्रियाओं को सुव्यवस्थित करना है। यह उन इनपुट के शुल्क-मुक्त आयात की अनुमति देता है जिन्हें सीधे निर्यात उत्पाद में शामिल किया जाता है।
- किसी भी इनपुट के अलावा पैकेजिंग सामग्री, ईंधन, तेल और उत्प्रेरक (जो उत्पादन या निर्यात की प्रक्रिया में उपभोग/उपयोग किया जाता है) की अनुमति है।
- इनपुट की पात्रता इनपुट-आउटपुट मानदंडों के आधार पर क्षेत्र-विशिष्ट मानदंड समितियों द्वारा निर्धारित की जाती है।
- इस योजना के तहत प्रावधानित शुल्क मुक्त आयात के उत्पादों को घरेलू बाजार में बेचने की अनुमति नहीं है।

इस योजना का महत्त्व:

- ये उपाय कई व्यापार सुविधा उपायों के माध्यम से अग्रिम प्राधिकरण को सरल बना देंगे। इसके परिणामस्वरूप अंततः निर्यातकों के लिए बदलाव का समय कम होगा, व्यापार करने में आसानी होगी और बोझ अनुपालन में कमी आएगी।
- इससे निर्यात क्षेत्र में आयात-प्रेरित मुद्रास्फीति भी कम होगी और निवेशक अधिक निर्यात करने के लिए प्रोत्साहित होंगे।

प्राधिकरण की प्रक्रिया:

- DGFT ने मानदंड निर्धारण प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने के लिए पिछले वर्षों में तय किए गए तदर्थ मानदंडों का एक उपयोगकर्ता-अनुकूल तथा खोज योग्य डेटाबेस बनाया है।

विदेश व्यापार नीति-2023:

- विदेश व्यापार नीति 2023 वर्ष 2030 तक वस्तुओं और सेवाओं के निर्यात के लिए 2 ट्रिलियन डॉलर का लक्ष्य निर्धारित करती है। FTP 2023 चार प्रमुख स्तंभों पर आधारित है- छूट (ऋण, शुल्क या दंड में कमी), सहयोग के माध्यम से निर्यात को बढ़ावा देना, व्यापार करने में आसानी और उभरते क्षेत्रों (ई-कॉमर्स, जिला निर्यात केंद्रों का विकास करना तथा स्कोमेट नीति को सुव्यवस्थित करना)पर ध्यान देना।

DGFT:

- विदेश व्यापार महानिदेशालय एक सरकारी निकाय है जो देश की विदेश व्यापार नीति को लागू करने और भारत में निवेश के लिए जिम्मेदार है। यह भारत सरकार के वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के निकाय से जुड़ा हुआ है।

आगे की राह:

भारत ने आने वाले 3-4 वर्षों तक 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने का लक्ष्य रखा है परन्तु निर्यात क्षेत्र को मजबूत किए बिना यह लक्ष्य पूरा नहीं होगा। पूंजी और भौतिक बुनियादी ढांचे का निर्माण तथा आपूर्ति शृंखला की रुकावटों का निवारण (जो निर्यात आकार को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है) भी एक बहुत ही महत्त्वपूर्ण कार्य है।

4. केंद्र सरकार ने गैर-बासमती सफेद चावल के निर्यात पर लगाया प्रतिबंध

चर्चा में क्यों?

हाल ही में खाद्य विभाग द्वारा दिये गये सुझाव के बाद केंद्र सरकार ने घरेलू बाजार में मूल्य वृद्धि पर अंकुश लगाने के लिए गैर-बासमती चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया है।

प्रतिबंध लगाने का मुख्य कारण:

- केंद्र सरकार ने कहा कि कीमतों को कम करने के साथ-साथ घरेलू बाजार में उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए सितंबर 2022 से 20% निर्यात शुल्क लगाने के बावजूद गैर-बासमती चावल की खुदरा कीमतों में पिछले एक महीने में 3% और पिछले वर्ष में 11.5% की वृद्धि हुई है।
- इसका निर्यात सितंबर-मार्च 2021-22 की अवधि के दौरान 33.66 लाख मीट्रिक टन से बढ़कर सितंबर-मार्च 2022-23 में 42.12 एलएमटी हो गया था।
- वित्त वर्ष 2023-24 में चावल की इस किस्म का लगभग 15. 54 लाख मीट्रिक टन निर्यात किया गया था, जबकि वित्त वर्ष 2022-23 के दौरान केवल 11.55 LMT ही निर्यात किया गया।
- निर्यात में तेज वृद्धि को भू-राजनीतिक परिदृश्य के कारण उच्च अंतर्राष्ट्रीय कीमतें, अल नीनो और अन्य चावल उत्पादक देशों में चरम जलवायु परिस्थितियों जैसे कारकों के लिए जिम्मेदार ठहराया जा सकता है।
- वित्त वर्ष 2023-24 रबी सीजन में खराब फसल और पूर्व-दक्षिण भारत में कम बारिश तथा उत्तरी भारत में भारी बारिश के कारण खरीफ फसल की खराब बुआई की संभावनाओं से भारत में चावल की कीमतें पिछले तीन महीनों में 20-30% बढ़ गई हैं। धान के न्यूनतम समर्थन मूल्य में 7% की बढ़ोतरी ने भी मूल्य वृद्धि में योगदान दिया है।

उबला (Parboiled) चावल के निर्यात में छूट:

- देश से निर्यात होने वाले कुल चावल में गैर-बासमती सफेद चावल

की हिस्सेदारी लगभग 25% है। हालांकि, गैर-बासमती चावल (उबला हुआ चावल) और बासमती चावल की निर्यात नीति में कोई बदलाव नहीं हुआ है जिसकी चावल निर्यात में एक बड़ी हिस्सेदारी है। इससे यह सुनिश्चित होगा कि किसानों को अंतर्राष्ट्रीय बाजार में लाभकारी कीमतों का लाभ मिलता रहेगा।

प्रतिबंध लगाने का वैश्विक कारण:

- अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष द्वारा कहा गया है कि काला सागर के माध्यम से यूक्रेनी अनाज के लेन-देन के समझौते से रूस के बाहर निकलने से वैश्विक खाद्य असुरक्षा बढ़ने का खतरा है, विशेष रूप से कम आय वाले देशों में खाद्य कीमतें बढ़ सकती हैं।

आगे की राह:

निर्यात पर अंकुश से घरेलू चावल की कीमतों को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है, परन्तु इससे भारत के चावल निर्यात पर काफी असर पड़ सकता है और वैश्विक कीमतें बढ़ सकती हैं जिससे अफ्रीका के कुछ देशों पर असर पड़ सकता है जो भारतीय चावल पर बहुत अधिक निर्भर हैं। ये आमतौर पर वियतनाम, थाईलैंड और पाकिस्तान द्वारा बेचे जाने वाले अनाज से सस्ते होते हैं।

5. भारत के आधिकारिक डेटा सम्बन्धी सांख्यिकी पर नई स्थायी समिति का गठन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा जारी आधिकारिक डेटा की विश्वसनीयता तथा पारदर्शिता बढ़ाने के लिए सांख्यिकी पर एक नई स्थायी समिति (SCoS) का गठन किया है।

इस स्थाई समिति का महत्त्व:

डेटा गुणवत्ता संबंधी मुद्दों का समाधान:

- हाल के वर्षों में एनएसओ के कुछ डेटा, विशेष रूप से राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय द्वारा किए गए घरेलू सर्वेक्षणों की विश्वसनीयता पर प्रश्नचिन्ह लगाया गया है। सरकार ने 'डेटा गुणवत्ता के मुद्दों' का हवाला देते हुए 2017-18 में दो प्रमुख एनएसएसओ घरेलू सर्वेक्षणों के परिणामों को रोक दिया था। परिणामतः खुदरा मुद्रास्फीति, जीडीपी और गरीबी अनुमान जैसे आर्थिक संकेतक 2011-12 के पुराने आंकड़ों पर आधारित होने से मौजूदा विश्वसनीयता में कमी आई है।

ट्रस्ट के पुनर्निर्माण में SCoS की भूमिका:

- एससीओएस से डेटा गुणवत्ता संबंधी चिंताओं को दूर करने और भारत के आधिकारिक आंकड़ों में विश्वास के पुनर्निर्माण में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाने की उम्मीद है।
- व्यक्तिगत सर्वेक्षणों और डेटासेट पर सलाह देने के अलावा, समिति सम्बंधित आंकड़ों की बेहतर व्याख्या सुनिश्चित करने के लिए डेटा उपयोगकर्ताओं को संवेदनशील बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करेगी।
- सर्वेक्षण परिणामों को अंतिम रूप देने में एनएसओ की सहायता करके, समिति का लक्ष्य भारत के वास्तविक आंकड़ों की विश्वसनीयता को बहाल करके पारदर्शिता लाना है।

उन्नत समन्वय और एकीकरण:

- अपने विस्तारित अधिदेश के साथ एससीओएस विभिन्न मंत्रालयों और विभागों में सांख्यिकीय गतिविधियों को बेहतर समन्वय तथा एकीकरण की सुविधा प्रदान करेगा जिससे डेटा दोहराव और असंगति जैसी समस्या कम होगी।

पारदर्शिता और जवाबदेही में वृद्धि:

- एससीओएस का लक्ष्य डेटा का नियमित प्रसार और प्रकाशन सुनिश्चित करना, पारदर्शिता तथा जवाबदेही को बढ़ावा देने के लिए सांख्यिकीय प्रक्रिया में हितधारकों और विशेषज्ञों को शामिल करना है।

चुनौतियां:

- जनशक्ति, बुनियादी ढांचे, प्रौद्योगिकी या वित्त के संदर्भ में संसाधन की कमी एससीओएस के प्रभावी कार्यप्रणाली में बाधा बन सकती है।
- विभिन्न स्रोतों या प्लेटफार्मों के माध्यम से विभिन्न नियमों के साथ डेटा तक पहुंच और उनका उपयोग करने से कानूनी या संस्थागत बाधाएं उत्पन्न हो सकती हैं।
- राजनीतिक सार्वजनिक दबाव या संवेदनशील, विवादास्पद डेटा के उत्पादन या जारी करने में हस्तक्षेप कर सकता है।

आगे की राह:

इस समिति का लक्ष्य डेटा गुणवत्ता के मुद्दों को हल करना और भारत के आर्थिक संकेतकों एवं गरीबी अनुमानों के आकलन में व्याप्त अविश्वास की कमी को दूर करना है। सांख्यिकी पर नई स्थायी समिति की स्थापना भारत के आधिकारिक डेटा की गुणवत्ता और विश्वसनीयता में सुधार के लिए एक महत्त्वपूर्ण प्रयास है। ऐसा करने से भारत नीतिगत निर्णय लेने और सतत विकास को बढ़ावा देने के लिए सटीक तथा समय पर विभिन्न आंकड़ों पर भरोसा कर सकता है।

6. भारत-इंडोनेशिया आर्थिक एवं वित्तीय संवाद

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत-इंडोनेशिया के वित्त मंत्रियों ने भारत-इंडोनेशिया आर्थिक और वित्त संवाद मंच लॉन्च किया है। सहयोग और दोनों देशों के बीच वैश्विक मुद्दों की साझा समझ को बढ़ावा देने के लिए इस पहल की शुरूआत हुई।

आर्थिक एवं वित्तीय संवाद प्लेटफार्म:

- भारत-इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय संवाद G-20 वित्त मंत्रियों तथा सेंट्रल बैंक गवर्नर्स (FMCBG) बैठक-2023 के दौरान शुरू किया गया है।
- यह मंच अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक और वित्तीय मामलों पर सहयोग बढ़ाने के लिए स्थापित किया गया है। यह दोनों देशों के आर्थिक नीति

निर्माताओं और वित्तीय नियामकों के लिए एक साझा मंच भी प्रदान करेगा।

- इससे आर्थिक समन्वय को बढ़ावा मिलेगा जिससे फिनटेक के क्षेत्र में तकनीकी जुड़ाव मजबूत होगा।
- भारत-इंडोनेशिया के बीच मजबूत और सहयोगात्मक जुड़ाव दक्षिण-पूर्व तथा हिंद-प्रशांत क्षेत्र में भारत के नेतृत्व को भी बढ़ावा देगा।

भारत और इंडोनेशिया संबंध:

- लुक ईस्ट पॉलिसी और उसके बाद 2014 में एक्ट ईस्ट पॉलिसी लागू होने के बाद भारत-इंडोनेशिया के बीच द्विपक्षीय संबंध अधिक गतिशील तथा बहुपक्षीय हो गए हैं।
- इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार बनकर उभरा है। भारत इंडोनेशिया में पॉम ऑयल का सबसे बड़ा खरीददार है। इसके अलावा कोयला, खनिज, रबर, लुगदी और कागज का प्रमुख आयातक भी है।
- इंडोनेशिया को भारत से परिष्कृत पेट्रोलियम उत्पाद, कृषि-उत्पाद, दूरसंचार और वाणिज्यिक वाहन इत्यादि जैसे निर्यातित वस्तुओं की एक विस्तृत श्रृंखला प्राप्त होती है।
- दोनों देशों के बीच दो सहस्राब्दियों से घनिष्ठ सांस्कृतिक और वाणिज्यिक संपर्क रहा है। बौद्ध विरासत से लेकर रामायण महाकाव्य तक के सांस्कृतिक संबंध दोनों देशों के बीच एक मजबूत संपर्क सूत्र हैं।
- इंडोनेशिया भी हिंद-प्रशांत क्षेत्र में एक रणनीतिक स्थिति रखता है क्योंकि यह मलक्का जलडमरूमध्य के महत्त्वपूर्ण चोक पॉइंट के पास स्थित है।

आगे की राह:

भारत और इंडोनेशिया विविध मंचों पर विविध रूपों में आपस में सहयोग बढ़ा रहे हैं। यह दोनों अर्थव्यवस्थाओं में विकास को बढ़ावा देने और दक्षिण पूर्व एशिया को दुनिया की व्यापक आर्थिक तथा वित्तीय स्थिरता योग्य बनाए रखने के लिए महत्त्वपूर्ण है। इससे क्षेत्र में चीन की आक्रामकता का भी मुकाबला किया जा सकेगा।

7. एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप में पीएफसी शामिल

चर्चा में क्यों?

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC) ने 'एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप (ATFSG)' में शामिल होकर एक उपलब्धि हासिल किया है। यह एशियाई देशों में सतत संक्रमण वित्त को प्रोत्साहित करने के लिए जापानी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय द्वारा संचालित एक पहल है। इस पहल का हिस्सा बनने के लिए पीएफसी प्रभावी और कुशल ऊर्जा संक्रमण वित्तपोषण में नीतिगत विचारों को विकसित करके भारत के दृष्टिकोण को आवाज देगा।

पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड (PFC):

- यह भारत सरकार के विद्युत मंत्रालय के स्वामित्व के तहत एक भारतीय केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम है जिसे प्रतिष्ठित 'महारत्न' का दर्जा दिया गया है।
- इसे 1986 में एक सबसे बड़ी इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी के रूप में शामिल किया गया था जो विद्युत क्षेत्र के लिए समर्पित है।
- इसने भारत के विद्युत क्षेत्र की रीढ़ के रूप में भारत के विद्युतीकरण में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

मुख्य बिंदु:

- पीएफसी ने गोवा में जी-20 शिखर सम्मेलन में द्विपक्षीय मंत्रिस्तरीय बैठक के दौरान विद्युत और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर. के. सिंह तथा जापान सरकार के आर्थिक, व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के यासुतोशी निशिमुरा की उपस्थिति में एटीएफएसजी के शामिल होने की घोषणा की। यह सहयोग ऊर्जा संक्रमण और शुद्ध शून्य उद्देश्य के वित्तपोषण को आगे बढ़ाने के लिए एशियाई देशों के बीच सहयोग को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

एशिया संक्रमण वित्त अध्ययन समूह (ATFSG):

- ATFSG की स्थापना 2021 में निजी वित्तीय संस्थान द्वारा इस मान्यता के आधार पर की गई थी कि यह वित्त कार्बन तटस्थता प्राप्त करने में सक्षम होने के लिए एशियाई अर्थशास्त्र में एक महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
- ATFSG एशियाई देशों हेतु स्थायी संक्रमण वित्त को बढ़ावा देने के लिए जापानी अर्थव्यवस्था, व्यापार और उद्योग मंत्रालय की एक पहल है।

आगे की राह:

ATFSG में शामिल होने से उच्च ग्रीन हाउस उत्सर्जन को कम करने और जलवायु तटस्थ तथा टिकाऊ अर्थव्यवस्था में संक्रमण को चलाने में मदद करेगा। ये हरित उत्पादन विधियों में निवेश कर सकते हैं या जहां तक संभव हो पर्यावरण फुट प्रिंट को कम कर सकते हैं जहां कोई हरित प्रौद्योगिकियां अभी तक उपलब्ध नहीं हैं। यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करने और नेट जीरो उद्देश्यों को प्राप्त करने में सहायक होगा जो भारत के लिए प्रमुख चिंता का विषय है।

1. हेनले पासपोर्ट इंडेक्स

चर्चा में क्यों?

हाल ही में हेनले पासपोर्ट इंडेक्स, 2023 में भारत पिछले वर्ष के 87वें स्थान से 80वें स्थान पर पहुंच गया है। हालांकि भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा-मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले देशों की संख्या अपरिवर्तित (57) बनी हुई है।

इंडेक्स के बारे में:

- हेनले पासपोर्ट इंडेक्स दुनिया के सभी पासपोर्टों की रैंकिंग तैयार करता है, जहां उस देश के धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं।
- इस सूचकांक में 199 विभिन्न देशों के पासपोर्ट और 227 विभिन्न यात्रा गंतव्य शामिल हैं। यह सूचकांक हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा जारी किया जाता है।

पूर्व में भारत की रैंकिंग:

- 2014 में 52 देशों में भारतीय पासपोर्ट धारकों को वीजा मुक्त पहुंच की अनुमति देने के साथ भारत 76वें स्थान पर था, लेकिन इसका प्रदर्शन समान नहीं रहा है। यह 2015 में 88वें (51 देशों में वीजा मुक्त पहुंच), 2016 में 85वें, 2017 में 87वें, 2018 में 81वें, 2019 और 2020 में 82वें और 2021 में 81वें स्थान पर रहा है।

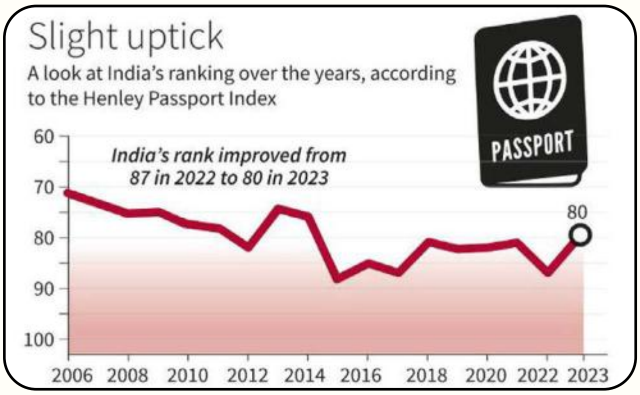

अन्य देशों की स्थिति:

- इंडेक्स में पांच वर्षों तक शीर्ष स्थान पर रहने वाले जापान को पीछे छोड़कर सिंगापुर ने प्रथम स्थान प्राप्त किया जिसके नागरिक दुनिया भर के 227 में से 192 यात्रा स्थलों पर वीजा-मुक्त यात्रा कर सकते हैं।
- दूसरे स्थान पर जर्मनी, इटली और स्पेन हैं, जबकि तीसरे स्थान पर जापान के साथ ऑस्ट्रिया, फिनलैंड, फ्रांस, लक्जमबर्ग, दक्षिण कोरिया और स्वीडन हैं।
- ब्रिटेन को दो स्थानों के सुधार होने से चौथे स्थान पर पहुंच गया, जबकि अमेरिका की रैंक में एक दशक से चली आ रही गिरावट जारी रही। इस वर्ष दो पायदान गिरकर आठवें स्थान पर पहुंच गया।

हेनले ओपननेस इंडेक्स के बारे में:

- इस सूचकांक के माध्यम से वीजा-मुक्त पहुंच देशों की रैंकिंग तैयार की गई है जहाँ केवल चार देशों को वीजा-मुक्त पहुंच की अनुमति देने वाले भारत को कुल 97 देशों में से 94वां स्थान प्राप्त हुआ।
- इस सूचकांक में सबसे नीचे चार देश अफगानिस्तान, उत्तर कोरिया, पापुआ न्यू गिनी और तुर्कमेनिस्तान हैं जिन्होंने किसी भी पासपोर्ट के लिए वीजा-मुक्त पहुंच की अनुमति नहीं देने के लिए शून्य अंक प्राप्त किया है।
- सर्वाधिक 20 वीजा-मुक्त वाले देशों में कंबोडिया को छोड़कर सभी छोटे द्वीप राष्ट्र या अफ्रीकी राज्य हैं। बुरुंडी, कोमोरो द्वीप समूह, जिबूती, गिनी-बिसाऊ, मालदीव, माइक्रोनेशिया, मोजाम्बिक, रवांडा, समोआ, सेशेल्स, तिमोर-लेस्ते और तुवालु जैसे 12 देश हैं जो दुनिया के सभी 198 पासपोर्टों पर वीजा-मुक्त या वीजा-ऑन-अराइवल की सुविधा प्रदान करते हैं।

आगे की राह:

खाड़ी सहयोग परिषद (GCC) के देशों ने आम तौर पर ओपननेस की दिशा में औसत से अधिक बदलाव प्रदर्शित किए हैं, विशेष रूप से 2018 के बाद से संयुक्त अरब अमीरात का ओपननेस स्कोर 58 से बढ़कर 80 (22 अंक) और ओमान का 71 से बढ़कर 106 (35 अंक) हो गया है।

2. जम्मू-कश्मीर की नमदा कला

चर्चा में क्यों?

केंद्रीय कौशल विकास और उद्यमिता तथा इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने यूनाइटेड किंगडम (UK) को निर्यात के लिए नमदा कला उत्पादों की पहली खेप को हरी झंडी दिखाई।

नमदा कला के बारे में:

- इसकी शुरुआत 16वीं शताब्दी में हुई थी जब मुगल सम्राट अकबर अपने घोड़ों को ठंड से बचाने के लिए एक आवरण बनवाना चाहते थे।

- इसे शाह-ए-हमदान नाम के एक सूफी संत ने कश्मीरियों से परिचित कराया था।
- नमदा बुने हुए कपड़े से बना एक प्रकार का पारंपरिक कश्मीरी गलीचा है जो फर्श को ढकने के काम आता है।
- इसे सामान्य बुनाई प्रक्रिया के बजाय फेल्टिंग तकनीक के माध्यम से भेड़ के ऊन से बनाया जाता है।

- नमदा की विशिष्टता इसके जटिल विषयों और पुष्प पैटर्न में निहित है जो प्रकृति से प्रेरित हैं।
- डिजाइन में अक्सर फूल, पत्तियां, कलियाँ और फल होते हैं जो देखने में आकर्षक लगते हैं।
- नमदा कला केवल कश्मीर तक ही सीमित नहीं है बल्कि ईरान, अफगानिस्तान और भारत सहित कई अन्य एशियाई देशों में भी प्रचलित है।

नमदा कला को पुनर्जीवित करने के लिए सरकार की पहल:

- 1998 और 2008 के बीच नमदा शिल्प के निर्यात में लगभग 100 प्रतिशत की गिरावट आई थी।
- इस शिल्प को संरक्षित करने के लिए सरकार द्वारा कौशल भारत के पायलट प्रोजेक्ट के तहत एक परियोजना शुरू की गयी।
- इस परियोजना के तहत लगभग 2,200 उम्मीदवारों को नमदा शिल्प की कला में प्रशिक्षित किया गया है।
- यह परियोजना कौशल विकास के क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी-भागीदारी मॉडल का एक बड़ा उदाहरण स्थापित करती है क्योंकि इसे स्थानीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।
- इस पहल को मीर हस्तशिल्प, श्रीनगर कालीन प्रशिक्षण और बाजार केंद्र के सहयोग से लागू किया गया है।
- यह परियोजना 2021 में शुरू की गई थी।

प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना (PMKVY) क्या है?

- यह योजना 2015 में कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय द्वारा शुरू की गयी थी जिसे कौशल विकास निगम द्वारा प्रशासित किया जाता है।
- इसका उद्देश्य देश के युवाओं को रोजगार क्षमता बढ़ाने और विभिन्न क्षेत्रों में कौशल अंतर को कम करने के लिए उद्योग-प्रासंगिक कौशल प्रदान करके सशक्त बनाना है।

आगे की राह:

यह 'नया भारत, नए अवसर, नई समृद्धि' के दृष्टिकोण के साथ पूरी तरह से मेल खाता है जो इस बात पर जोर देता है कि कौशल विकास अवसर और नई समृद्धि पैदा करता है। भारत के युवाओं को कौशल प्रदान करने और उन्नत करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता प्रदर्शित करती है। मीर हस्तशिल्प, श्रीनगर कालीन प्रशिक्षण और बाजार केंद्र जैसे स्थानीय उद्योग भागीदारों के सहयोग से नमदा कला को वैश्विक पहचान मिली है।

3. प्राचीन जहाज निर्माण की टंकाई पद्धति

चर्चा में क्यों?

हाल ही में संस्कृति मंत्रालय और भारतीय नौसेना ने प्राचीन सिलाई वाली 2000 साल पुरानी जहाज निर्माण विधियों (टंकाई विधि) को पुनर्जीवित करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया।

टंकाई विधि के बारे में:

- टंकाई विधि एक प्राचीन जहाज निर्माण तकनीक है जिसमें जहाजों का निर्माण कीलों के प्रयोग के बजाय लकड़ी के तख्तों को एक साथ सिलकर किया जाता है।
- यह विधि जहाजों को लचीलापन और स्थायित्व प्रदान करती है जिससे उन्हें उथले तथा रेतीली चट्टानों से होने वाले नुकसान की आशंका कम हो जाती है।
- यूरोपीय जहाजों के आगमन से जहाज निर्माण तकनीकों में बदलाव आया, लेकिन जहाज सिलने की यह कला भारत के कुछ तटीय क्षेत्रों में बची हुई है, मुख्यत: छोटी स्थानीय मछली पकड़ने वाली नौकाओं के लिए।

महत्त्व:

- भारतीय नौसेना पूरे प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन और निष्पादन की निगरानी करेगी।
- भारतीय नौसेना की भागीदारी निर्बाध परियोजना प्रबंधन, सुरक्षा और परिशुद्धता के उच्चतम मानकों का पालन सुनिश्चित करेगी।
- भावी पीढ़ियों के लिए सांस्कृतिक विरासत और ज्ञान के संरक्षण के लिए।
- हिंद महासागर के तटीय देशों के साथ प्राचीन व्यापार संबंधों को पुनर्जीवित करना।
- यह परियोजना हिंद महासागर में ऐतिहासिक बातचीत में अंतर्दृष्टि प्राप्त करना चाहती है जिसने पारंपरिक नौवहन तकनीकों का उपयोग करके प्राचीन समुद्री मार्गों पर नौकायन द्वारा भारतीय संस्कृति, ज्ञान प्रणालियों, परंपराओं, प्रौद्योगिकियों और विचारों के प्रवाह को सुविधाजनक बनाया।
- **सांस्कृतिक गौरव:** परियोजना अपने नागरिकों के बीच भारत की समृद्ध समुद्री विरासत पर गर्व की भावना पैदा करेगी।

आगे की राह:

कला महत्त्वपूर्ण सांस्कृतिक मूल्य रखती है परन्तु बिना संरक्षण के वह धीरे-धीरे लुप्त हो जाती है। भारत की समृद्ध समुद्री विरासत और सांस्कृतिक इतिहास को संरक्षित करने के लिए सिले हुए जहाज निर्माण पद्धति का पुनरुद्धार महत्त्वपूर्ण है। इसका उद्देश्य समुद्री स्मृति को पुनर्जीवित करना और अपने नागरिकों के बीच भारत की समृद्ध समुद्री

विरासत पर गर्व की भावना पैदा करना है।

4. राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022

चर्चा में क्यों?

हाल ही में भारत की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू ने कोयला, खान और संसदीय मंत्रालय द्वारा आयोजित राष्ट्रपति भवन (नई दिल्ली) में प्रतिष्ठित राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार 2022 प्रदान किया।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार के बारे में:

- कोयला एवं खान मंत्रालय प्रत्येक वर्ष तीन श्रेणियों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार प्रदान करता है:
  - लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार।
  - राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार।
  - भूविज्ञान के विभिन्न क्षेत्रों में राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार।
- इस पुरस्कार को 1966 में स्थापित किया गया था।
- राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार (NGA) उन असाधारण व्यक्तियों और संगठनों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने भूविज्ञान के क्षेत्र में उत्कृष्टता, समर्पण तथा नवाचार का प्रदर्शन किया है।
- यह पुरस्कार खनिज और अन्वेषण, बुनियादी भूविज्ञान, अनुप्रयुक्त भूविज्ञान, खनन तथा सतत खनिज विकास के क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं।
- वर्ष 2009 से पहले इस पुरस्कार को राष्ट्रीय खनिज पुरस्कार के नाम से जाना जाता था।

चयन की प्रक्रिया:

- इस पुरस्कार के विजेता का चयन करने के लिए तीन स्तर की समितियाँ होती हैं।
- पुरस्कार निर्माण प्राधिकरण ने अनुशासन-वार मूल्यांकन और जांच के लिए प्रथम स्तर की समितियों के रूप में 4 अनुभागीय जांच समितियों तथा दूसरे स्तर की समिति के रूप में विशेषज्ञों की एक स्क्रीनिंग समिति का गठन किया है।

राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022:

- राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार-2022 के लिए कुल 173 नामांकन प्राप्त हुए थे। हालाँकि तीन पुरस्कार श्रेणियों के तहत वैध नामांकन की संख्या केवल 168 थी।
- कुल 12 पुरस्कारों में एएमए ने केवल 10 पुरस्कारों का चयन किया है जिसमें 4 व्यक्तिगत पुरस्कार, 3 टीम पुरस्कार और 3 संयुक्त पुरस्कार शामिल हैं। व्यक्तिगत पुरस्कारों में लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार और राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार के लिए एक अन्य पुरस्कार भी शामिल हैं।
- लाइफटाइम अचीवमेंट के लिए राष्ट्रीय भूविज्ञान पुरस्कार डॉ. ओम नारायण भार्गव को प्रदान किया गया जो पिछले चार दशकों में हिमालय में अपने अग्रणी काम के लिए जाने जाते हैं।
- राष्ट्रीय युवा भूवैज्ञानिक पुरस्कार बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के सहायक प्रोफेसर डॉ. अमिय कुमार सामल को प्रदान किया गया जिन्होंने भारतीय ढाल के विभिन्न आर्कियन क्रेटन के नीचे उप-महाद्वीपीय लिथोस्फेरिक मेंटल की विविधता को समझने में महत्त्वपूर्ण योगदान दिया है।

आगे की राह:

इन पुरस्कारों में कोयला, लिग्नाइट, कोल बेड मीथेन की खोज, आर्थिक या रणनीतिक महत्त्व की खोज, नवीन तकनीकों का अनुप्रयोग और तेल, प्राकृतिक गैस, शेल गैस की खोज तथा अन्वेषण भी शामिल है।

5. महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट

चर्चा में क्यों?

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा संयुक्त रूप से जारी एक हालिया रिपोर्ट में बताया गया है कि विभिन्न देशों में मुश्किल से 1% महिलाएं ही उच्च लैंगिक समानता और महिला सशक्तीकरण के साथ रहती हैं।

संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के प्रमुख बिन्दु:

- रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया भर में केवल 60% महिलाएं ही अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग कर पाती हैं।
- जहां तक प्रमुख मानव विकास आयामों का सवाल है, महिलाएं पुरुषों की तुलना में 28% कम उपलब्धि हासिल कर पाती हैं।
- दुनिया भर में 90% से अधिक महिलाएँ निम्न या मध्यम महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता वाले देशों में रहती हैं।
- विश्लेषण किए गए 114 देशों में से 85 देशों में महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता कम या मध्यम है।
- रिपोर्ट में पाया गया है कि किसी भी देश ने पूर्ण महिला सशक्तीकरण या लैंगिक समानता हासिल नहीं की है। इसके अलावा उच्च लैंगिक असमानता वाले किसी भी देश ने उच्च महिला सशक्तीकरण हासिल नहीं किया है।
- इस रिपोर्ट में भारत की स्थिति मध्यम मानव विकास के बावजूद कम महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता के कारण चिंताजनक है।

कार्यवाही की आवश्यकता:

रिपोर्ट में निम्नलिखित नीतिगत कार्यवाहियों की आवश्यकता पर जोर दिया गया है:

- **स्वास्थ्य नीतियां:** सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज प्रदान करते समय यह महिलाओं के यौन और प्रजनन स्वास्थ्य पर भी ध्यान केंद्रित करती है।
- **शिक्षा:** शिक्षा में समानता के लिए साक्षरता दर, कौशल और अवसरों में अंतर को कम करना आवश्यक है। इसके अलावा मातृत्व समस्या पर ध्यान देने की जरूरत है तथा एसटीईएम में महिलाओं की भागीदारी बढ़ानी होगी।
- **कार्य-जीवन संतुलन:** इसमें सस्ती और गुणवत्तापूर्ण शिशु देखभाल, क्रेच सुविधाएं, माता-पिता की छुट्टी, घर से काम जैसी लचीली कार्य व्यवस्था जैसी सेवाएं शामिल हैं ताकि एक मां के रूप में महिलाओं की भूमिका से समझौता न हो।
- **समान भागीदारी:** सार्वजनिक जीवन के सभी क्षेत्रों में लैंगिक

समानता हासिल करने के लिए लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए और कार्य योजनाएँ तैयार की जानी चाहिए। भेदभावपूर्ण कानूनों और प्रथाओं को समाप्त करके इसे पूरक बनाया जाना चाहिए।

- **हिंसा को संबोधित करना:** बदलते समय के साथ महिलाओं के खिलाफ हिंसा के स्वरूप भी बदल गए हैं। इसमें एक व्यापक ढांचे की आवश्यकता है जो मुख्य रूप से रोकथाम और त्वरित परीक्षण पर केंद्रित हो।

आगे की राह:

महिला सशक्तीकरण एवं लैंगिक समानता एक दूसरे के पूरक हैं तथा 21वीं सदी में जेंडर की विस्तारित धारणा के बारे में बात करते हैं। यह समावेशी विकास के अंतिम लक्ष्य को साकार करने के लिए सभी हितधारकों की ओर से समर्पित प्रयासों की मांग करता है।

6. कुत्तों में मिला दवा प्रतिरोधी सुपरबग

चर्चा में क्यों?

दिल्ली विश्वविद्यालय और मैकमास्टर विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने दिल्ली के आवारा कुत्तों के कान में सुपरबग कैंडिडा ऑरिस की पहली लाइव कल्चर का पता लगाया है। निष्कर्षों से पता चलता है कि पालतू जानवर सुपरबग के लिए जलाशय के रूप में कार्य कर सकते हैं जिससे पालतू जानवरों से मनुष्यों में संक्रमण के संभावित संचरण के लिए चिंताएं बढ़ सकती हैं। दवा प्रतिरोधी कवक गंभीर संक्रमण और व्यापक अस्पताल के प्रकोप का कारण बन सकता है।

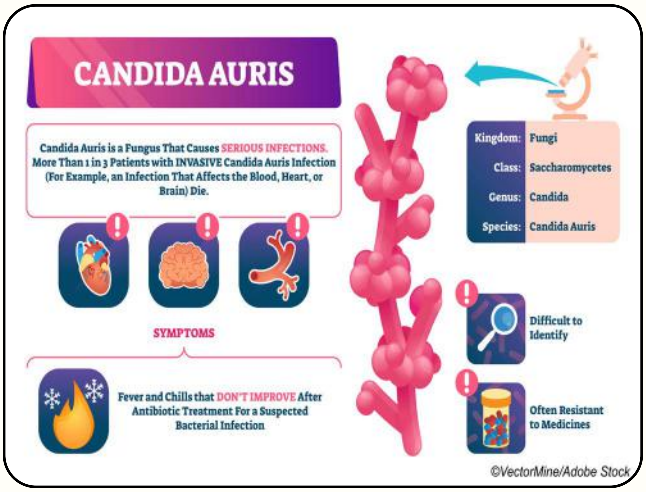

कैंडिडा ऑरिस, सुपरबग क्या है?

- कैंडिडा ऑरिस कवक की एक प्रजाति है जो मनुष्यों में गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा संक्रमण पैदा कर सकती है। इसे एक सुपरबग माना जाता है क्योंकि इसने आमतौर पर इस्तेमाल की जाने वाली कई एंटिफंगल दवाओं के लिए प्रतिरोध विकसित किया है जिससे इसका इलाज करना मुश्किल हो गया है।
- ऑरिस को संग्रहीत सेब की सतह पर ज्वारीय दलदल में, अत्यधिक उच्च लवणता वाले वातावरण के अपशिष्ट जल में भी खोजा गया है जिससे पता चला कि यह कठोर परिस्थितियों में जीवित रह सकता है।
- ऑरिस शरीर के विभिन्न हिस्सों में संक्रमण पैदा कर सकता है जिसमें रक्तप्रवाह तथा घाव शामिल हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने इसे दुनिया के चार 'महत्त्वपूर्ण प्राथमिकता' फंगल रोगजनकों में से एक घोषित किया है।

सुपरबग एक खतरा क्यों हैं?

- **एंटीबायोटिक प्रतिरोध:** मल्टीड्रग प्रतिरोधी जीव आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित करते हैं जिससे पारंपरिक उपचार पूरी तरह से अप्रभावी हो जाते हैं और संक्रमण का इलाज करना कठिन हो जाता है।
- **इलाज करना मुश्किल:** उनके प्रतिरोध के कारण सुपरबग संक्रमण का इलाज करना चुनौतीपूर्ण होता है जिससे लंबी बीमारियां, चिकित्सा लागत में वृद्धि और मृत्यु दर की उच्च दर होती है।
- **व्यापक संक्रमण:** सुपरबग स्वास्थ्य देखभाल सेटिंग्स में तेजी से फैल सकते हैं और व्यापक तथा गंभीर प्रकोप पैदा करने की क्षमता रखते हैं जिससे कमजोर आबादी जैसे- बुजुर्ग, बच्चे और इम्युनोकॉम्प्रोमाइज्ड व्यक्ति अधिक जोखिम में पड़ सकते हैं।
- **एक स्वास्थ्य दृष्टिकोण:** सुपरबग जानवरों और पर्यावरण को भी प्रभावित करते हैं। कृषि और पशु चिकित्सा में एंटीबायोटिक का उपयोग जानवरों में प्रतिरोध के विकास तथा प्रसार में योगदान कर सकता है जिसे बाद में मनुष्यों में प्रेषित किया जा सकता है।

आगे की राह:

सुपरबग संक्रमण का इलाज अक्सर अधिक महंगा और समय लेने वाला होता है जिससे स्वास्थ्य देखभाल की लागत बढ़ जाती है। सुपरबग के खतरे को संबोधित करने के लिए जिम्मेदार एंटीबायोटिक उपयोग को बढ़ावा देना, संक्रमण की रोकथाम तथा नियंत्रण उपायों को मजबूत करना, नई रोगाणुरोधी दवाओं को विकसित करना और उभरते प्रतिरोध के अनुसंधान में निवेश करना आवश्यक है।

7. रुद्रगिरि पहाड़ी रॉक कला का आकर्षक मिश्रण

चर्चा में क्यों ?

हाल ही में आंध्र प्रदेश के रुद्रगिरि पहाड़ी पर एक शैल चित्र खोजा गया है जो मेसोलिथिक काल के प्रागैतिहासिक शैल चित्रों और काकतीय राजवंश की उत्कृष्ट कलाकृति के संयोजन का संकेत करती हैं।

भित्ति चित्र से जुड़ी मुख्य बातें:

- रुद्रगिरि पहाड़ी की पहली गुफा दक्षिणी छोर से शुरू होकर बालि और सुग्रीव के बीच युद्ध को चित्रित करते हुए एक कथात्मक भित्तिचित्र प्रस्तुत करती है। ये दोनों आकृतियां युद्ध के मैदान में गदा लिए खड़ी हैं और उनके चेहरे पर एक दृढ़ संकल्प प्रदर्शित हो रहा है।
- इस आकृति में राम को सुग्रीव के पीछे खड़े होकर, बालि पर तीर

चलाते हुए दिखाया गया है। इस आकृति से रूपरेखाओं की उत्पत्ति और काल निर्धारण का पता चलता है।

- बीच की गुफा में शंख और अग्नि वेदी (यज्ञ वेदी) के पवित्र प्रतीकों के साथ हनुमान जी का एक भव्य रेखाचित्र प्रदर्शित किया गया जो पर्यटकों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करता है।
- हनुमान जी को अपने दाहिने हाथ में संजीवनी बूटी की पहाड़ी ले जाते हुए दिखाया गया है जो लक्ष्मण के जीवन को बचाने के लिए उनके साहस को प्रदर्शित करता है।
- तीसरी गुफा में मेसोलिथिक युग के प्रागैतिहासिक शैलचित्र प्रदर्शित किये गयें हैं। इसमें हनुमान जी की सुंदर आकृति को चित्रित किया गया है जो 'अंजलि' मुद्रा में अपने हाथ जोड़े हुए हैं।

रुद्रगिरि पहाड़ी के बारे में:

- यह आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में अत्चमपेट (Atchampet) मंडल के ओरवाकल्लू गांव में स्थित एक प्रसिद्ध ऐतिहासिक अतीत और पुरातात्विक स्थल है।
- यह पूर्वी घाट में स्थित पांच प्राकृतिक रूप से बने चट्टानी आश्रय स्थलों में से एक है। ये आश्रय स्थल लगभग 5000 ईसा पूर्व मेसोलिथिक युग के दौरान लोगों के रहने के काम में आते थे।
- इस पहाड़ी के दक्षिणी छोर पर स्थित दो प्राकृतिक गुफाएँ भी प्रसिद्ध काकतीय साम्राज्य के असाधारण भित्तिचित्रों को प्रदर्शित करती हैं।

काकतीय राजवंश से संबंध:

- काकतीय राजवंश के गणपति देव महाराजा (1199-1262 ईस्वी) मुप्पावरम मंदिर के संस्थापक थे जिन्होंने रुद्रगिरि में पाए जाने वाली प्राचीन भित्ति विरासत को संरक्षण दिया था।
- रुद्रगिरि के शैल आश्रयों पर बने शानदार भित्तिचित्रों तथा वारंगल जिले के मुप्पावरम और पांडवुलागुट्टा में खोजे गए भित्तिचित्रों के बीच समानता पायी गई है। ऐसा माना जाता है कि रुद्रगिरि में चित्रित रामायण के दृश्य मुप्पावरम की कलाकृतियों से सम्बंधित हैं।

आगे की राह:

ये गुफाएँ काकतीय काल की कलात्मक प्रतिभा को प्रदर्शित करती हैं जो सफेद काओलिन और विभिन्न रंगों से प्राप्त ये पेंटिंग रामायण के मनोरम दृश्यों को दर्शाती हैं। ये 13वीं शताब्दी ईस्वी की रचना को महत्त्व और अंतर्दृष्टि प्रदान करती हैं।

मुख्य परीक्षा हेतु संभावित अभ्यास प्रश्न

1. भारत में सोशल मीडिया पर बढ़ते अपराधों के संदर्भ में हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा डाटा प्रोटेक्शन विधेयक 2022 के ड्राफ्ट की विवेचना करें।

2. भारत-फ्रांस ने अपनी सामरिक साझेदारी के 25 वर्ष पूरे किए हैं। हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा का विश्व और भारतीय परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करें।

3. भारतीय संविधान की प्रस्तावना में नागरिकों को राजनीतिक, सामाजिक व आर्थिक न्याय देने की बात की गई है। भारतीय कानून मंत्री द्वारा 18वीं अखिल भारतीय विधिक सेवा बैठक में नि:शुल्क टेली लॉ सेवा देने की घोषणा इस लक्ष्य को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होगी? विवेचना कीजिए।

4. भारत में इस वर्ष मौसमी घटनाओं में असाधारण रूप से विविधता आई है जिससे मानसून के मौसम में कहीं चरम सूखा तो कहीं भारी बारिश दर्ज की गई जो जलवायु परिवर्तन का सूचक है। भारत में प्राकृतिक आपदा प्रबंधन नीति का उल्लेख करते हुए इसे और अधिक प्रभावी बनाने पर चर्चा करें।

5. बहुआयामी गरीबी क्या है? हाल ही में नीति आयोग द्वारा भारत में बहुआयामी गरीबी पर जारी रिपोर्ट का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

6. हाल ही में संयुक्त राष्ट्र की व्यापार और विकास सम्मेलन (UNCTAD) द्वारा जारी वैश्विक रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं तथा चुनौतियों का उल्लेख करें।

7. काला सागर अनाज समझौता क्या है? भारत के संदर्भ में इसके निहितार्थ की विवेचना करें।

8. पर्माफ्रास्ट क्या है? हाल ही में रूस के सबसे बड़े पर्माफ्रास्ट क्रेटर के पिघलने संबंधित रिपोर्ट के संभावित परिणामों की विवेचना करें।

9. स्थानीय मुद्रा निपटान (LCS) क्या है? भारत-यूएई के बीच स्थानी मुद्दा निपटान समझौते के लाभ और चुनौतियों की चर्चा करें।

10. नमदा कला क्या है? इस कला को पुनर्जीवित करने में भारत सरकार के प्रयासों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

11. महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता पर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के प्रमुख बिंदुओं का उल्लेख करते हुए इसे प्राप्त करने में आवश्यक नीतिगत कार्यवाहियों का संक्षेप में उल्लेख करें।

12. भारत सरकार की क्रेडिट गारंटी योजना क्या है? हाल ही में मत्स्य पशुपालन व डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन तथा डेयरी विभाग की नई क्रेडिट गारंटी योजना के उद्देश्य और महत्त्व का वर्णन करें।

13. अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जो विपक्ष को सरकार की बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती देने की अनुमति देता है। अविश्वास प्रस्ताव तथा विश्वास प्रस्ताव की संवैधानिक प्रक्रिया का उल्लेख करते हुए इसके लोकतांत्रिक निहितार्थों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करें।

14. केंद्र सरकार की नारी अदालत (पहल) क्या है? इसके लक्षित क्षेत्रों, उद्देश्यों और संगठन का उल्लेख करते हुए महिला सशक्तीकरण में इसके संभावित योगदान की विवेचना करें।

15. राजस्थान सरकार के न्यूनतम गारंटी आय विधेयक 2023 के प्रमुख प्रावधानों का उल्लेख करते हुए यह भारत सरकार की मनरेगा योजना के सहयोगी के रूप में सामाजिक न्याय के सिद्धांतों को प्राप्त करने में किस प्रकार सहायक होगी? विवेचना करें।

राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं की महत्त्वपूर्ण खबरें

राजस्थान में शवों के साथ विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने वाला विधेयक पारित

हाल ही में राजस्थान विधानसभा ने मृत शरीर सम्मान विधेयक, 2023 पारित किया है जिसमें मृत व्यक्तियों के रिश्तेदारों द्वारा शवों के साथ सड़कों या सार्वजनिक स्थानों पर बैठने और मुआवजे या नौकरी की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाई गई है।

विधेयक से जुड़ी मुख्य बातें:

- यह विधेयक परिवार के सदस्यों पर मृतक का 'जितनी जल्दी हो सके' अंतिम संस्कार करने का दायित्व डालता है।
- शवों को लेकर सार्वजनिक स्थानों पर बैठने पर यह अपराध की श्रेणी में आएगा जिसमें अधिकतम पांच वर्ष तक की सजा हो सकती है।
- यह विधेयक प्रत्येक मृत व्यक्ति को सम्मान के साथ अंतिम संस्कार का अधिकार प्रदान करता है।
- इस विधेयक में डीएनए प्रोफाइलिंग के साथ-साथ डिजिटलीकरण और सूचना की गोपनीयता के माध्यम से आनुवंशिक डेटा जानकारी की सुरक्षा के प्रावधान भी शामिल हैं।
- यदि परिवार के सदस्य स्थानीय पुलिस अधिकारी या कार्यकारी मजिस्ट्रेट के आदेश के बावजूद अंतिम संस्कार नहीं करते हैं, तो यह सार्वजनिक प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा।

भायखला रेलवे स्टेशन को मिला यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार

हाल ही में भायखला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को का एशिया प्रशांत सांस्कृतिक विरासत पुरस्कार प्रदान किया गया। इस पुरस्कार को पिछले वर्ष नवंबर में ही घोषित किया गया था।

मुख्य बिंदु:

- यह रेलवे स्टेशन मुंबई में स्थित 169 साल पुराना भारत के सबसे पुराने रेलवे स्टेशनों में से एक है जो अभी भी उपयोग में है।
- छत्रपति शिवाजी महाराज वास्तु संग्रहालय को पिछले वर्ष सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए यूनेस्को एशिया प्रशांत पुरस्कार 2022 में उत्कृष्टता का सर्वोच्च पुरस्कार प्रदान किया गया था।
- सांस्कृतिक विरासत संरक्षण के लिए 2000 से यूनेस्को एशिया-प्रशांत पुरस्कार प्रदान किया जाता है जो क्षेत्र में विरासत मूल्य की संरचनाओं, स्थानों और संपत्तियों को संरक्षित या पुनर्स्थापित करने में निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र की उपलब्धि को मान्यता प्रदान करता है।

जेम्स स्केया को आईपीसीसी का नया अध्यक्ष चुना गया

- हाल ही में यूनाइटेड किंगडम के जेम्स फर्ग्यूसन 'जिम' स्केया को केन्या के नैरोबी में जलवायु परिवर्तन पर अंतर सरकारी पैनल (IPCC) के नए अध्यक्ष के रूप में चुना गया। स्केया ने अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी ब्राजील की थेल्मा क्रुग को हराया। यह चुनाव नैरोबी में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के मुख्यालय में संपन्न हुआ।

आईपीसीसी (IPCC) के बारे में:

- इसका गठन विश्व मौसम विज्ञान संगठन (WMO) और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (UNEP) द्वारा 1988 में किया गया था।
- आईपीसीसी का मुख्य उद्देश्य सभी स्तरों पर सरकारों को वैज्ञानिक जानकारी प्रदान करना है जिसका उपयोग वे जलवायु नीतियों को विकसित करने के लिए कर सकते हैं।
- आईपीसीसी में वर्तमान में 195 सदस्य देश हैं जिसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड (जेनेवा) में स्थित है।

संसद ने संविधान (ST) आदेश (5वां संशोधन) विधेयक पारित किया

हाल ही में छत्तीसगढ़ के कुछ समुदायों को एसटी श्रेणी में शामिल करने के लिए संसद ने संविधान (एसटी) आदेश (5वां संशोधन) विधेयक पारित किया है।

विधेयक से जुड़ी मुख्य बातें:

- इसने संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश 1950 में संशोधन किया।
- इस विधेयक में छत्तीसगढ़ में धनुहर, धनुवार, किसान, सौंरा, सोनरा और बिंझिया समुदायों को अनुसूचित जनजातियों की सूची में शामिल करने का प्रस्ताव है।

- विधेयक में भरिया भूमिया समुदाय के पर्यायवाची के रूप में भुइंया, भुइयां और भुइयां समुदायों को शामिल किया गया है। इसमें पंडो समुदाय के नाम के तीन देवनागरी संस्करण भी शामिल हैं।
- इसके अलावा यह विधेयक संविधान आदेश में कुछ आदिवासी समुदायों के नामों को मध्य प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के हिंदी संस्करण से संबंधित नामों के साथ प्रतिस्थापित करता है। उदाहरण के लिए ओरांव, धानका और धांगड़ समुदायों के नाम प्रतिस्थापित किए जाएंगे।

2022-23 में बैंकों ने 2.09 लाख करोड़ रुपये के बैड लोन माफ किए

हाल ही में आरबीआई (RBI) द्वारा कहा गया कि मार्च 2023 की समाप्त वित्तीय वर्ष के दौरान बैंकों द्वारा ऋण माफी बढ़कर 209,144 करोड़ रुपये हो गई, जबकि एक साल पहले मार्च 2022 में यह 174,966 करोड़ रुपये और मार्च 2021 में 202,781 करोड़ रुपये थी।

मुख्य बातें:

- आरबीआई (RBI) द्वारा कहा गया कि बैंकों ने 2022-23 के दौरान 2.09 लाख करोड़ रुपये (लगभग 25.50 बिलियन अमेरिकी डॉलर) से अधिक के बैड लोन माफ किये हैं।
- पिछले पांच साल में बैंकिंग सेक्टर द्वारा कुल माफ किए गए बैड लोन 10.57 लाख करोड़ रुपये (करीब 129 अरब डॉलर) तक पहुंच गया था।
- बैंकों के इस ऋण माफी से सकल गैर-निष्पादित परिसंपत्तियों में कमी आई है।
- बैंकों का सकल एनपीए वित्त वर्ष 2018 में 10.21 लाख करोड़ रुपये से गिरकर मार्च 2023 तक 5.55 लाख करोड़ रुपये हो गया।
- कुल डिफॉल्ट ऋण (राइट-ऑफ सहित लेकिन तीन वर्षों में राइट-ऑफ से वसूले गए ऋण को छोड़कर) 10.32 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया।

पशुधन क्षेत्र के लिए 'क्रेडिट गारंटी योजना'

हाल ही में मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के तहत पशुपालन और डेयरी विभाग ने एक नई क्रेडिट गारंटी योजना शुरू करने की है।

मुख्य उद्देश्य:

- पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत इस योजना का उद्देश्य पशुधन क्षेत्र में एमएसएमई के लिए संपार्श्विक-मुक्त ऋण की सुविधा प्रदान करना है।
- इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए बैंकों और अन्य ऋण संस्थानों द्वारा एमएसएमई को वितरित ऋण के 25 प्रतिशत तक क्रेडिट गारंटी कवरेज के लिए 750 करोड़ रुपये का क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट स्थापित किया गया है।
- क्रेडिट गारंटी योजना गैर-सेवित और अल्प-सेवित पशुधन क्षेत्र के लिए वित्त तक पहुंच की सुविधा प्रदान करती है जिससे मुख्य रूप से उद्यमियों और समाज के वंचित वर्ग को ऋणदाताओं से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जा सके।
- प्रधानमंत्री आत्मनिर्भर भारत अभियान प्रोत्साहन पैकेज के तहत 15,000 करोड़ रुपये एवं पशुपालन अवसंरचना विकास निधि के तहत क्रेडिट गारंटी फंड ट्रस्ट की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

राष्ट्रपति द्वारा चार नए उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति

हाल ही में न्यायमूर्ति सुनीता अग्रवाल गुजरात उच्च न्यायालय की नई मुख्य न्यायाधीश, आलोक अराधे तेलंगाना उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति सुभासिस तालापात्रा को उड़ीसा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, न्यायमूर्ति आशीष जितेंद्र देसाई केरल उच्च न्यायालय के नए मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया, जबकि न्यायमूर्ति उज्ज्वल भुइयां को तेलंगाना मुख्य न्यायाधीश पद से सुप्रीम कोर्ट बेंच में स्थानांतरित किया गया।

उच्च न्यायालय के न्यायाधीश:

- उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत राष्ट्रपति द्वारा की जाती है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को 62 वर्ष की आयु में सेवानिवृत्त मिलती है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को संविधान के अनुच्छेद 222 के तहत स्थानांतरित किया जाता है।
- उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को केवल सिद्ध कदाचार या अक्षमता के लिए उसी प्रकार से पद से हटाया जाता है जिस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है।

भारत-लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

भारत-लाओ पीपुल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ने शिक्षा, स्वास्थ्य, जल सुविधा और आईटी के क्षेत्र में पांच त्वरित प्रभाव परियोजनाओं के कार्यान्वयन के लिए पांच समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौता ज्ञापन की महत्त्वपूर्ण बातें:

- वियनतियाने (लाओ पीडीआर) में दोनों देशों के बीच विदेश कार्यालय परामर्श के तीसरे दौर के दौरान समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।
- भारतीय पक्ष का नेतृत्व विदेश मंत्रालय में सचिव (पूर्व) सौरभ कुमार ने किया और लाओ पीडीआर का नेतृत्व उप विदेश मंत्री फोक्से खैखाम्फिथौने ने किया।
- दोनों पक्षों ने द्विपक्षीय संबंधों के स्पेक्ट्रम की व्यापक समीक्षा की और विकास साझेदारी, आर्थिक तथा व्यापार संबंधों, कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, रक्षा और विरासत संरक्षण में सहयोग बढ़ाने के तरीकों पर जोर दिया।
- दोनों पक्षों ने आपसी हित के क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के साथ-साथ संयुक्त राष्ट्र, आसियान और मेकांग गंगा सहयोग जैसे बहुपक्षीय मंचों के सहयोग पर भी विचारों का आदान-प्रदान किया।

भारत और एडीबी ने 200 मिलियन अमेरिकी डॉलर के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए

केंद्र सरकार व एशियाई विकास बैंक (ADB) ने जल आपूर्ति और स्वच्छता प्रणालियों का विस्तार करने तथा चयनित शहरों में शहरी लचीलेपन और विरासत को बढ़ाने के लिए 200 मिलियन डॉलर के ऋण पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते से जुड़े मुख्य बिंदु:

- यह समझौता राजस्थान सरकार को जल आपूर्ति और स्वच्छता सेवाओं का विस्तार तथा चयनित शहरी स्थानीय निकायों में रहने की क्षमता में सुधार करके बुनियादी ढांचे के अंतराल को कम करने की प्रतिबद्धता में सहायता करेगा।
- 2020 से चल रही यह परियोजना अभी तक 1,451 किमी जल आपूर्ति पाइप तथा 1,110 किमी सीवर पाइप बिछाए हैं और राजस्थान के चयनित माध्यमिक शहरों में 68,098 घरों को जल सेवाओं से जोड़ा है।
- इस परियोजना के तहत 580 किमी लंबे सीवरों का पुनर्वास और संयंत्रों का निर्माण करके 54,000 घरों को सीवेज सिस्टम से जोड़कर स्वच्छता प्रणालियों में सुधार के लिए कम से कम आठ शहरों को कवर किया जाएगा।

गुजरात का पहला ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा

हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राजकोट के पास हीरासर में गुजरात के पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है।

इस बहवाई अड्डे के बारे में:

- 1,405 करोड़ की लागत से 1500 एकड़ क्षेत्र में बने इस हवाई अड्डे का नाम बदलकर राजकोट अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है।
- हीरासर में स्थित यह ग्रीनफील्ड हवाई अड्डा सौराष्ट्र क्षेत्र की वाणिज्यिक राजधानी राजकोट शहर से 30 किलोमीटर दूर है। हवाई अड्डे में 45 मीटर चौड़ा रनवे है जो किसी भी बिंदु पर 14 विमानों को पार्क कर सकता है।
- इस हवाई अड्डे पर एक यात्री टर्मिनल है जो प्रति घंटे 1200 से अधिक यात्रियों का प्रबंधन कर सकता है। यह ग्रीन फिल्ड हवाईअड्डा सौर ऊर्जा प्रणाली, हरित पट्टी और वर्षा जल संचयन प्रणाली से सुसज्जित है।
- हवाई कनेक्टिविटी से औद्योगिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, विशेष रूप से मोरबी में सिरेमिक उद्योग को लाभ होगा और इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे।

नोमेडिक एलीफैंट- 2023

17 से 31 जुलाई तक मंगोलिया के उलानबटार में एक द्विपक्षीय संयुक्त सैन्य अभ्यास 'नोमैडिक एलीफैंट-23' आयोजित किया गया। यह अभ्यास का 15वां संस्करण है, जबकि 14वां संस्करण 2019 में आयोजित किया गया था।

नोमेडिक एलीफैंट-एक्सरसाइज के बारे में:

- इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों देशों की सेनाओं के लिए द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देना, सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करना, दोनों सेनाओं के बीच अंतर-संचालनीयता, सौहार्द और मित्रता विकसित करना है।

- इस अभ्यास के दायरे में प्लाटून स्तर का 'फील्ड प्रशिक्षण, अभ्यास' शामिल है। अभ्यास के दौरान भारतीय और मंगोलियाई सैनिक अपने कौशल तथा क्षमताओं को निखारने के लिए विभिन्न प्रशिक्षण गतिविधियों में शामिल हुये।
- मंगोलियाई सशस्त्र बल यूनिट 084 के सैनिक तथा जम्मू और कश्मीर लाइट इन्फैंट्री रेजिमेंट के भारतीय सेना के जवान इस अभ्यास में भाग लिया।
- इस अभ्यास ने मुख्य रूप से संयुक्त राष्ट्र जनादेश के तहत पहाड़ी इलाकों में आतंकवाद विरोधी अभियानों पर ध्यान केंद्रित किया।

जम्मू ने देश की पहली कैनबिस चिकित्सा परियोजना शुरू की

हाल ही में सीएसआईआर-आईआईएम जम्मू ने एक कनाडाई फर्म के साथ निजी सार्वजनिक भागीदारी के तहत देश में अपनी तरह की पहली 'कैनबिस अनुसंधान परियोजना' शुरू की है।

इस परियोजना के बारे में:

- यह परियोजना विभिन्न प्रकार के न्यूरोपैथिक और मधुमेह दर्द के लिए निर्यात गुणवत्ता वाली दवाओं का उत्पादन करेगी।
- यह जागरूकता फैलाएगा कि इस पदार्थ का कैंसर और मिर्गी से पीड़ित रोगियों के लिए विविध औषधीय उपयोग हैं।
- यह सिर्फ जम्मू-कश्मीर के लिए ही नहीं, बल्कि पूरे भारत के लिए ऐतिहासिक था क्योंकि इसमें उस तरह की दवा का उत्पादन करने की क्षमता है जिसे अन्य देशों से निर्यात किया जाना है। इसलिए सीएसआईआर-आईआईएम की यह परियोजना 'आत्मनिर्भर भारत' हेतु महत्त्वपूर्ण है।
- संस्थान के वैज्ञानिक कैंसर की खेती तथा दवा की खोज आदि के लिए एंड-टू-एंड तकनीक प्रदान करने के लिए विभिन्न दिशाओं में काम कर रहे हैं।

मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव

- अविश्वास प्रस्ताव एक संसदीय प्रक्रिया है जो विपक्ष को सरकार के बहुमत और शासन करने की क्षमता को चुनौती देने की अनुमति देती है।
- यदि प्रस्ताव पारित हो जाता है, तो सरकार को इस्तीफा देना होता है।
- लोकसभा अध्यक्ष यह तय करेंगे कि प्रस्ताव को (लोकसभा नियमों की धारा-198 के उप-नियम (2) और (3) के तहत) चर्चा और बहस के लिए स्वीकार किया जाए या नहीं।
- यह संसद में मणिपुर में चल रहे संघर्ष पर पीएम मोदी से जवाब मांगने के लिए इसे लाया गया है।
- पूर्वोत्तर क्षेत्रों की स्थिति पर ध्यान आकर्षित करने के लिए विपक्षी दलों ने भाजपा सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने का फैसला किया।
- यह निर्णय भारतीय राष्ट्रीय विकास समावेशी गठबंधन (INDIA) के 26 घटक दलों की बैठक के बाद लिया गया।

भारत का पहला मत्स्य पालन अटल ऊष्मायन केंद्र कुफोस में स्थापित किया जाएगा

केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशन स्टडीज (KUFOS) को मत्स्य पालन में भारत के अटल इनक्यूबेशन सेंटर को स्थापित करने के लिए नीति आयोग से 10 करोड़ रुपये का पर्याप्त अनुदान प्राप्त करने के लिए चुना गया है।

उद्देश्य:

- यह पहल मत्स्य पालन और संबद्ध क्षेत्रों में तकनीकी प्रगति और उद्यमशीलता उद्यमों को बढ़ावा देने के लिए समर्पित होगी।
- यह स्टार्ट-अप और नवोन्मेषी विचारों के लिए एक पोषणकारी वातावरण प्रदान करेगा जो हमारे समुद्री पारिस्थितिकी तंत्र तथा मछली पकड़ने वाले समुदायों के सामने आने वाली चुनौतियों का समाधान करेगा।
- अटल इन्क्यूबेशन सेंटर शिक्षाविदों, उद्योग और सरकार के बीच ज्ञान हस्तांतरण तथा अनुसंधान परिणामों के व्यावसायीकरण के साथ सहयोग को बढ़ावा देगा। यह स्टार्ट-अप उद्यमियों को पनपने के लिए अनुकूल माहौल प्रदान करके रोजगार सृजन में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।

सेंटर के बारे में:

- केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज एंड ओशियन स्टडीज (KUFOS) एक स्वायत्त सार्वजनिक वित्त पोषित संस्थान है। इसकी स्थापना मत्स्य पालन और समुद्री स्रोतों में जनशक्ति के विकास के लिए की गई थी।

समसामयिकी घटनाएं एक नजर में

1. एचडीएफसी बैंक डिजिटल रुपये को यूपीआई क्यूआर कोड से जोड़ने वाला भारत का पहला बैंक बन गया है। एचडीएफसी बैंक के व्यापारी जो इसके सीबीडीसी प्लेटफॉर्म पर शामिल हुए हैं, वे अपने ग्राहकों से डिजिटल रुपया मुद्रा के रूप में भुगतान स्वीकार कर सकते हैं।
2. केंद्र सरकार ने आईपीएस अधिकारी मनोज यादव को रेलवे सुरक्षा बल (RPF) का महानिदेशक नियुक्त किया है। 1988 बैच के हरियाणा कैडर के भारतीय पुलिस सेवा (IPS) अधिकारी मनोज यादव ने संजय चंदर का स्थान लिया।
3. अंशुमन झिंगरन नॉर्थ चैनल पार करने वाले दुनिया के सबसे कम उम्र के व्यक्ति बन गए। ये एक खुले समुद्र के तैराक (ओपन सी स्वीमर) हैं। नॉर्थ चैनल स्कॉटलैंड और उत्तरी आयरलैंड के बीच स्थित है।
4. सतपाल भानु को जीवन बीमा निगम का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। उन्होंने सिद्धार्थ मोहंती की जगह लिया जिन्हें अप्रैल में एलआईसी का चेयरमैन नियुक्त किया गया था।
5. बेंगलुरु में आयोजित SAFF चैंपियनशिप के सेमीफाइनल और फाइनल में लेबनान तथा कुवैत को हराने के बाद भारत फीफा रैंकिंग में 99वें स्थान पर पहुंच गया है। शीर्ष स्थान पर अर्जेंटीना, उसके बाद फ्रांस, ब्राजील, इंग्लैंड और बेल्जियम हैं।
6. एडमिरल लिसा फ्रैंचेटी अमेरिकी नौसेना का नेतृत्व करने वाली पहली महिला बनीं। वह नौसेना संचालन प्रमुख और संयुक्त चीफ ऑफ स्टाफ के सदस्य के रूप में सेवा देने वाली इतिहास की पहली महिला बन गई हैं।
7. आईसीसी विश्व कप 2023 का ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान को नियुक्त किया गया है। भारत में आईसीसी विश्व कप 2023 का आयोजन 5 अक्टूबर से 19 नवंबर 2023 तक किया जाएगा।
8. अमेरिकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर ने नया लोगो लॉन्च किया है। ब्लू बर्ड को हटाकर काले रंग की पृष्ठभूमि पर एक सफेद एक्स लांच किया है।
9. ओडिशा कैबिनेट ने मिशन शक्ति स्कूटर योजना को मंजूरी दी। इस योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को स्कूटर की खरीद के लिए 1 लाख रुपये तक के बैंक ऋण पर ब्याज छूट प्रदान की जाएगी।
10. कम्युनिस्ट पार्टी के विदेश मामलों के प्रमुख वांग यी को किन गैंग के स्थान पर पुनः चीन का विदेश मंत्री नियुक्त किया गया है।
11. एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार 2021 में मध्य प्रदेश अनुसूचित जाति के खिलाफ सबसे अधिक अपराध दर वाला राज्य है।
12. अनुभवी पत्रकार-लेखक-स्तंभकार/ स्तंभलेखक शिरीष कणेकर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। उनके कहानी संग्रह 'लागांव बत्ती' को सर्वश्रेष्ठ हास्य के लिए महाराष्ट्र साहित्य परिषद पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वह क्रिकेट, बॉलीवुड फिल्मों पर अपनी कृति 'नट बोल्ट बोलपत', 'कनेकारी' और 'क्रिकेट वेध' के लिए प्रसिद्ध थे।
13. अश्वमेध देवी को बिहार सरकार ने राज्य महिला आयोग का अध्यक्ष नियुक्त किया है। वह समस्तीपुर संसदीय क्षेत्र से जदयू की पूर्व सांसद रही हैं। यह नियुक्ति अधिकतम तीन वर्ष के लिए की गयी है। बिहार राज्य महिला आयोग 1993 में गठित एक वैधानिक निकाय है।
14. लद्दाख के कारगिल में पहला महिला पुलिस स्टेशन स्थापित किया गया। यह पुलिस स्टेशन विशेष रूप से महिलाओं के खिलाफ अपराधों से निपटेगा।
15. महाराष्ट्र के 17 वर्षीय शतरंज के खिलाड़ी आदित्य एस सामंत भारत के 83वें शतरंज ग्रैंडमास्टर बने। इससे पहले उनके पास इंटरनेशनल मास्टर का टाइटल था। तेलंगाना के वी. प्रणीत भारत के 82वें ग्रैंडमास्टर थे।
16. ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक (23 वर्षों से अधिक समय तक) दूसरे सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले मुख्यमंत्री बने। सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री बनने का रिकॉर्ड सिक्किम के पूर्व मुख्यमंत्री पवन चामलिंग (24 वर्ष 166 दिन) के नाम पर दर्ज है।
17. श्री राकेश पाल भारतीय तटरक्षक के नए महानिदेशक नियुक्त किए गए। वे भारतीय तटरक्षक के 25वें महानिदेशक हैं।
18. श्रीलंकाई मूल की ऑस्ट्रेलियाई लेखिका शंकरी चंद्रन को अपनी पुस्तक 'चाई टाइम एट सिनामन गार्डन्स' के लिए माइल्स फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार 2023 मिला। 'चाय टाइम एट सिनामन गार्डन्स' परिवार, यादों, समुदाय और नस्ल के बारे में एक कहानी है।

यूपीआई

चर्चा में क्यों?

पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) ने नेशनल पेमेंट्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से एक आईवीआर-संचालित डिजिटल भुगतान प्रणाली "UPI 123PAY" शुरू किया है।

उद्देश्य

123PAY UPI की शुरूआत का उद्देश्य उन क्षेत्रों में यूपीआई सुविधाएं प्रदान करना है जहां इंटरनेट कनेक्शन नहीं है और जिन लोगों के पास स्मार्टफोन नहीं है।

यूपीआई पर बैंक लेनदेन की सीमा

- एनपीसीआई ने यूपीआई लेनदेन के लिए दिशानिर्देश निर्धारित किए हैं, जिसमें कहा गया है कि एक व्यक्ति यूपीआई के माध्यम से प्रति दिन अधिकतम 1 लाख का भुगतान कर सकता है।
- यूपीआई सीमा छोटे बैंकों (केनरा बैंक 25,000) से लेकर बड़े बैंकों (एसबीआई 1 लाख) तक भिन्न-भिन्न है।
- एनपीसीआई ने प्रति दिन लेनदेन की संख्या सीमा भी निर्धारित की है जो प्रति दिन 20 है।

यूपीआई ऐप की सीमा

Google Pay, Paytm और Amazon Pay UPI ने सभी UPI ऐप्स और बैंक खाते पर कुल दस लेनदेन सीमा के साथ प्रति दिन 1 लाख की सीमा निर्धारित की है।

यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस (यूपीआई)

- यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लिकेशन में उपयोग युक्त बनाती है, जिसमें कई बैंकिंग सुविधाओं, निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान को मर्ज किया जाता है।
- यह 'पीयर टू पीयर' संग्रह अनुरोध को भी पूरा करता है जिसे आवश्यकता और सुविधा के अनुसार निर्धारित और भुगतान किया जा सकता है।
- इसका पायलट लॉन्च 11 अप्रैल 2016 को मुंबई में आरबीआई के गवर्नर डॉ. रघुराम राजन द्वारा किया गया था।

- एकल एप्लिकेशन या इन-ऐप भुगतान के साथ व्यापारी भुगतान।
- उपयोगिता बिल भुगतान, काउंटर पर भुगतान, क्यूआर कोड (स्कैन और भुगतान) आधारित भुगतान।
- दान, संग्रह, संवितरण।
- सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत दर्ज करना।

विशिष्टता

- 24x7 और 365 दिन मोबाइल डिवाइस के माध्यम से तत्काल धन हस्तांतरण।
- विभिन्न बैंक खातों तक पहुंचने के लिए एकल मोबाइल एप्लिकेशन।
- सिंगल क्लिक 2 फैक्टर प्रमाणीकरण-नियामक दिशानिर्देशों के अनुरूप फिर भी निर्बाध सिंगल क्लिक भुगतान की सुविधा प्रदान करता है।
- ग्राहक का आभासी पता सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें ग्राहक को कार्ड नंबर, खाता संख्या, आईएफएससी आदि जैसे विवरण दर्ज करने की आवश्यकता नहीं होती है।
- QR Code
- कैश ऑन डिलीवरी की परेशानी, एटीएम तक जाने या सटीक राशि देने का सबसे सरल उपाय।

यूपीआई-पारिस्थितिकी तंत्र प्रतिभागियों को लाभ

बैंक:

- सिंगल क्लिक टू फैक्टर प्रमाणीकरण
- लेन-देन के लिए सार्वभौमिक अनुप्रयोग
- मौजूदा बुनियादी ढांचे का लाभ उठाना
- अधिक सुरक्षित, संरक्षित और नवीन
- भुगतान आधार एकल/विशिष्ट पहचानकर्ता
- निर्बाध व्यापारिक लेनदेन में सक्षम

ग्राहक:

- चौबीस घंटे उपलब्धता
- विभिन्न बैंक खातों तक पहुँचने के लिए एकल आवेदन
- वर्चुअल आईडी का उपयोग अधिक सुरक्षित, कोई क्रेडेंशियल साझाकरण नहीं
- सिंगल क्लिक प्रमाणीकरण
- सीधे मोबाइल ऐप के माध्यम से शिकायत

3. व्यापारी

- ग्राहकों से निर्बाध निधि संग्रह एकल पहचानकर्ता
- कार्ड की तरह ग्राहक का वर्चुअल पता संग्रहीत करने का कोई जोखिम नहीं
- जिन ग्राहकों के पास क्रेडिट/डेबिट कार्ड नहीं हैं उन पर विशेष जोर
- ई-कॉम और एम-कॉम लेनदेन के लिए उपयुक्त
- सीओडी संग्रहण समस्या का समाधान
- इन-ऐप भुगतान

नारी अदालत

चर्चा में क्यों?

केंद्र घरेलू हिंसा, संपत्ति के अधिकार और पितृसत्तात्मक व्यवस्था का मुकाबला करने जैसे मुद्दों के लिए वैकल्पिक विवाद समाधान मंच के रूप में ग्रामीण स्तर पर केवल महिला अदालतों की स्थापना की एक अनूठी पहल शुरू कर रहा है।

उद्देश्य

हालांकि नारी अदालत के पास कोई कानूनी दर्जा नहीं है, लेकिन इसका प्राथमिक लक्ष्य सुलह, शिकायत निवारण और अधिकारों के बारे में जागरूकता पैदा करना है।

लक्षित क्षेत्र

इन लोक अदालतों के माध्यम से निस्तारित मामलों से संबंधित होगा:

- पारिवारिक मामले
- वैवाहिक विवाद
- द्वि-विवाह
- उत्तराधिकार

संघटन

- प्रत्येक गाँव की नारी अदालत में 7-9 सदस्य होंगे, जिनमें से आधे ग्राम पंचायत के निर्वाचित सदस्य होंगे और आधे शिक्षक, डॉक्टर और सामाजिक कार्यकर्ता जैसी सामाजिक प्रतिष्ठा वाली महिलाएँ होंगी, जिन्हें ग्रामीणों द्वारा नामित किया जाएगा।
- न्याय सखी (कानून मित्र) के रूप में जानी जाने वाले सदस्यों को ग्राम पंचायत द्वारा नामांकित या चयनित किया जाएगा।
- नारी अदालत की प्रमुख जिन्हें मुख्य न्याय सखी (मुख्य कानून मित्र) कहा जाता है, को न्याय सखियों में से चुना जाएगा।
- मुख्य न्याय सखी का कार्यकाल आम तौर पर छह महीने का होगा जिसके बाद नये मुखिया का चयन किया जायेगा।

प्रेरणा

यह योजना पारिवारिक महिला लोक अदालत (महिलाओं की पीपुल्स कोर्ट) से प्रेरणा लेती है जो 2014-15 तक राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) द्वारा संचालित की जाती थी।

मंत्रालय प्रभारी

- यह योजना महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा मिशन शक्ति की संबल उप-योजना के तहत संचालित की जाएगी, जो महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तीकरण को मजबूत करने के लिए समर्पित है।

मानक संचालन प्रक्रियाएं

नारी-अदालत की एकरूपता और प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करने के लिए सभी राज्यों के लिए विस्तृत प्रक्रियाएं तैयार की गई हैं, जिन्हें जल्द ही जारी किया जायेगा।

अन्य मंत्रालय

- पंचायती राज मंत्रालय
- ग्रामीण विकास मंत्रालय
- इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा संचालित कॉमन सर्विस सेंटर (सीएससी)

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

मंत्रालय के बारे में

केंद्र सरकार के अंतर्गत एक शीर्ष संगठन जो अन्य केंद्रीय मंत्रालयों/विभागों, राज्य सरकारों/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासनों, संगठनों और व्यक्तियों के परामर्श से सड़क परिवहन, राष्ट्रीय राजमार्ग और परिवहन अनुसंधान के लिए नीतियां बनाने और प्रशासित करेगा।

विजन

सामान्य रूप से सड़क बुनियादी ढांचा और विशेष रूप से राष्ट्रीय राजमार्ग बुनियादी ढांचा की सतत, कुशल, सुरक्षित और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तुलनीय गुणवत्ता के लिए बेहतर कनेक्टिविटी, त्वरित गतिशीलता को एक स्तर तक प्राप्त करना, जो सामाजिक-आर्थिक विकास में तेजी लाता है।

संबंधित संगठन

- भारतीय सड़क कांग्रेस (आईआरसी)
- केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्थान (सीआरआरआई)
- केंद्रीय सड़क परिवहन संस्थान (सीआईआरटी)
- ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया (एआरएआई)

उद्देश्य

- बढ़ी हुई सुरक्षा सुविधाओं के साथ यातायात के निर्बाध प्रवाह के लिए देश में राष्ट्रीय राजमार्गों के नेटवर्क को अंतरराष्ट्रीय मानकों के सड़क नेटवर्क में विकसित करना।
- पूर्वोत्तर भारत, जनजातीय क्षेत्रों सहित वामपंथी उग्रवाद (एलडब्ल्यूई) प्रभावित क्षेत्रों सहित सुदूरवर्ती और अलग-थलग क्षेत्रों के लिए बढ़ी हुई कनेक्टिविटी।
- सड़क नेटवर्क के माध्यम से कुशल और सुरक्षित परिवहन के लिए नीतियां विकसित करना और उनके कार्यान्वयन को सुविधाजनक बनाना।
- दीर्घकालिक परिप्रेक्ष्य को ध्यान में रखते हुए सड़क परिवहन आवश्यकताओं की समीक्षा की व्यवस्था स्थापित करना।
- अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सुरक्षित, ईंधन कुशल और स्वच्छ ऑटोमोबाइल के लिए नियम विकसित करना।
- देश में विशेषकर राष्ट्रीय राजमार्गों पर सड़क सुरक्षा परिदृश्य में सुधार।
- हितधारकों को ऑनलाइन सेवाओं की सुविधा के लिए आईटी को बढ़ावा देना।
- सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था को मजबूत करना।
- सड़क परिवहन के कार्बन पदचिह्न को कम करना।
- प्रोत्साहन और विनियमों के माध्यम से विद्युत गतिशीलता (Electric Mobility) को बढ़ावा देना।
- दुर्गम क्षेत्रों के लिए वैकल्पिक गतिशीलता समाधान।

स्वायत्त निकाय/सोसायटी / सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम

- भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण
- इंडियन एकेडमी ऑफ हाईवे इंजीनियर्स
- राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड

विंग

- सड़क विंग
- सड़क परिवहन विंग
- वित्त विंग
- प्रशासन विंग
- अंतर्राष्ट्रीय सहयोग विंग
- टोल एवं समन्वय विंग
- भूमि अधिग्रहण विंग
- पार्लियामेंट विंग
- परिवहन अनुसंधान विंग

रेत और धूल के तूफान का मुकाबला करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस

चर्चा में क्यों?

रेत और धूल के तूफान (Sand & Dust Storms, SDS) तेजी से आम होते जा रहे हैं, संयुक्त राष्ट्र जलवायु विशेषज्ञों ने जलवायु परिवर्तन और असतत कृषि प्रथाओं जैसे मानव-संचालित कारणों को वृद्धि के लिए जिम्मेदार ठहराया है। इसका मुकाबला करने के लिए, संयुक्त राष्ट्र ने 12 जुलाई को रेत और धूल के तूफानों का मुकाबला करने के अपने पहले अंतर्राष्ट्रीय दिवस की घोषणा की है।

संयुक्त राष्ट्र की कार्यवाही

यूएनजीए ने एसडीएस के पूर्वानुमान के लिए पूर्व चेतावनी प्रणालियों को बढ़ाने और जलवायु और मौसम की जानकारी साझा करने के माध्यम से एसडीएस के प्रभावों को रोकने, प्रबंधित करने और कम करने की दृष्टि से वैश्विक और क्षेत्रीय स्तरों पर सहयोग की आवश्यकता पर जोर दिया।

एसडीजी

- लक्ष्य 1: कोई गरीबी नहीं
- लक्ष्य 2: शून्य भूख
- लक्ष्य 3: अच्छा स्वास्थ्य और कल्याण
- लक्ष्य 4: गुणवत्तापूर्ण शिक्षा
- लक्ष्य 5: लैंगिक समानता
- लक्ष्य 6: स्वच्छ पानी और स्वच्छता
- लक्ष्य 7: सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा
- लक्ष्य 8: सभ्य काम और आर्थिक विकास
- लक्ष्य 9: उद्योग, नवाचार और बुनियादी ढांचा
- लक्ष्य 10: असमानता को कम करना
- लक्ष्य 11: टिकाऊ शहर और समुदाय
- लक्ष्य 12: जिम्मेदार खपत और उत्पादन
- लक्ष्य 13: जलवायु कार्रवाई
- लक्ष्य 14: जलीय जीवन
- लक्ष्य 15: भूमि पर जीवन
- लक्ष्य 16: शांति, न्याय और मजबूत संस्थान
- लक्ष्य 17: लक्ष्यों के लिए साझेदारी

रेत और धूल के तूफान

- रेत और धूल के तूफान आमतौर पर तब होते हैं जब तेज हवाएं अनावृत, शुष्क मिट्टी से बड़ी मात्रा में रेत और धूल को वायुमंडल में उठाती हैं।
- पिछले दशक में, वैज्ञानिकों ने जलवायु, मानव स्वास्थ्य, पर्यावरण और कई सामाजिक-आर्थिक क्षेत्रों पर प्रभावों का एहसास किया है।

मुख्य तथ्य

- लगभग 2 मिलियन टन रेत और धूल सालाना वायुमंडल में प्रवेश करती है।
- एसडीएस ज्यादातर शुष्क और रेगिस्तानी क्षेत्रों में होता है, परन्तु यह सुदूर प्रदेशों को भी प्रभावित करने की क्षमता रखता है।
- एसडीएस द्वारा वितरित धूल के कण, समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को पोषक तत्व प्रदान करते हैं, लेकिन कोरल मृत्यु दर और तूफानों के गठन में भी योगदान कर सकते हैं।
- एसडीएस श्वसन रोगों, हृदय विकारों, और आंखों और त्वचा की जलन का कारण बन सकता है और मेनिन्जाइटिस जैसे अन्य रोगों को भी फैला सकता है।
- एसडीएस द्वारा विमानन और जमीनी परिवहन बाधित हो सकता है।
- कृषि प्रथाओं और उत्पादकता एसडीएस द्वारा प्रभावित हो सकती है, जो मरुस्थलीकरण प्रक्रियाओं में भी योगदान दे सकता है।
- सतत जल और भूमि प्रबंधन प्रथाएं एसडीएस के प्रभावों को कम कर सकती हैं।

एसडीजी पर एसडीएस का प्रभाव

- 2015 में अपनाए गए प्रस्ताव 70/195 में, संयुक्त राष्ट्र महासभा ने माना कि एसडीएस, प्रभावित देशों और क्षेत्रों के सतत विकास के लिए एक बड़ी चुनौती है।
- संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, ये 17 सतत विकास लक्ष्यों में से 11 को प्राप्त करने के प्रयास को सीधे प्रभावित करते हैं और गंभीर चुनौतियां पैदा करते हैं।

भारतः विश्व के लिए सेमीकंडक्टर प्रतिभा आपूर्तिकर्ता

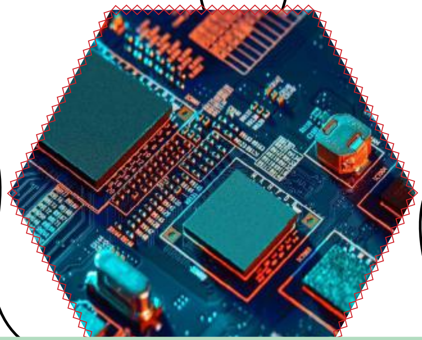

चर्चा में क्यों?

सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री एसोसिएशन (एसआईए) और ऑक्सफोर्ड इकोनॉमिक्स द्वारा जारी एक अध्ययन के अनुसार, 2030 तक 67,000 श्रमिकों (तकनीशियनों, कंप्यूटर वैज्ञानिकों और इंजीनियरों) की कमी और व्यापक अमेरिकी अर्थव्यवस्था में 1.4 मिलियन श्रमिकों की कमी का अनुमान लगाया गया है।

अवसर के कारण

2030 तक सेमीकंडक्टर की मांग में उल्लेखनीय वृद्धि होने का अनुमान है, और सेमीकंडक्टर कंपनियां आवश्यकता पूरी करने के लिए उत्पादन बढ़ा रही हैं। यदि ठीक से प्रशिक्षण दिया जाए तो भारत अपनी इंजीनियरिंग प्रतिभा से इस कमी को पूरा कर सकता है।

मांग

- सेमीकंडक्टर प्रतिभा पहले से ही कम आपूर्ति में है।
- अधिक फैब्रिकेशन संयंत्रों की स्थापना से, 2023 के अंत तक स्थिति और खराब होने की उम्मीद है।
- डेलॉइट के अनुसार, वैश्विक सेमीकंडक्टर कार्यबल में 2021 में 2 मिलियन से अधिक प्रत्यक्ष कर्मचारी होने का अनुमान है, जिसे 2030 तक 1 मिलियन से अधिक बढ़ाने की आवश्यकता होगी, जिससे सालाना 100,000 से अधिक कर्मचारी जुड़ेंगे।
- यह प्रतिभा की मांग है जिसे भारत अपने इंजीनियरिंग छात्रों के द्वारा पूरा कर सकता है।

प्रचुर अवसर

चिप बनाने का उद्योग बहुत बड़ा है; संसाधन-गहन जिसमें चिप डिजाइन और विनिर्माण से लेकर परीक्षण और पैकेजिंग तक प्रक्रिया के हर चरण में अत्यधिक कुशल श्रमिकों की आवश्यकता होती है। निम्न कुछ क्षेत्रों में प्रतिभा की आवश्यकता है:

फब्लेस (Fabless):

- उद्योग विशेषज्ञों के अनुसार, भारत में वर्तमान में स्नातक, मास्टर या पीएचडी डिग्री वाले लगभग 125,000 इंजीनियर चिप डिजाइन और विकास के विभिन्न पहलुओं पर काम कर रहे हैं।
- आमतौर पर, वीएलएसआई (Very Large-Scale Integration) डिजाइन में लगी कंपनियों में काम करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग (ईसीई) या इलेक्ट्रॉनिक्स में बीटेक, वीएलएसआई डिजाइन में एमटेक, या सेमीकंडक्टर टेक्नोलॉजी, मटेरियल साइंस या केमिकल इंजीनियरिंग में पीएचडी की आवश्यकता होती है।

एटीएमपी:

- एक बार जब कोई चिप मुद्रित हो जाती है, तो इसे निर्माताओं को भेजने से पहले इसका परीक्षण और पैकेजिंग करना पड़ता है।
- एटीएमपी (असेंबली, टेस्टिंग,मार्किंग और पैकेजिंग) सुविधाओं के निर्माण में आवश्यक कम निवेश को देखते हुए, भारत को स्थानीय और एमएनसी दोनों कम्पनियों से उनके निर्माण में तेजी देखने की उम्मीद है।
- एटीएमपी संयंत्रों में, इलेक्ट्रिकल या इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग या मटेरियल विज्ञान की पृष्ठभूमि वाले इंटीग्रेटेड सर्किट (आईसी) पैकेजिंग/टेस्टिंग इंजीनियर की मुख्य आवश्यकताएं होती हैं।
- भारत में, सेमीकंडक्टर एटीएमपी का आधार चिप निर्माण की तुलना में बहुत बड़ा होने की उम्मीद है।
- पारिश्रमिक के संदर्भ में, भारत में एटीएमपी संगठन प्रति वर्ष 7 से 14 लाख रुपये के बीच भुगतान करते हैं, जबकि वैश्विक कंपनियां प्रति वर्ष 20-55 लाख रुपये के बीच भुगतान करती हैं।

फाउंड्रीः

- वैश्विक उद्योग संघ SEMI की वर्ल्ड फैब फोरकास्ट रिपोर्ट के अनुसार, चिप उद्योग को 2021 और 2023 के बीच 84 चिप बनाने की सुविधाएं स्थापित करने के लिए वैश्विक स्तर पर $500 बिलियन से अधिक का निवेश प्राप्त करने का अनुमान है।
- इन फाउंड्रीज को वेफर्स/चिप्स के निर्माण की पूरी प्रक्रिया का संचालन और प्रबंधन करने, प्रक्रिया में सुधार करने, जोखिमों और मुद्दों का मूल्यांकन और प्रबंधन करने, पता लगाने और निगरानी विश्लेषण करने और नई प्रक्रियाओं को लागू करने के लिए प्रोसेस इंजीनियरों की आवश्यकता होगी।
- फाउंड्री पारिस्थितिकी तंत्र डिप्लोमा धारकों से लेकर इंजीनियरिंग स्नातकों और विज्ञान से संबंधित योग्यता वाले छात्रों तक सभी के लिए बहु-विषयक नौकरियां उपलब्ध कराता है।

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023

चर्चा में क्यों?

वन (संरक्षण) संशोधन विधेयक, 2023 को 26 जुलाई, 2023 को संसद में पेश किए जाने के 20 मिनट के भीतर लोकसभा द्वारा पारित किया गया था।

विधेयक की मुख्य बातें

- यह विधेयक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करेगा, जिससे यह अधिनियम कुछ प्रकार की भूमि पर लागू किया जा सकेगा।
- इसके अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या 1980 अधिनियम लागू होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में अधिसूचित भूमि शामिल है।
- यह अधिनियम 12 दिसंबर, 1996 से पहले गैर-वन उपयोग में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं होगा।
- यह कुछ विशेष प्रकार की भूमि को भी अधिनियम के दायरे से छूट देता है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे सामान्य सुविधाओं और जन-आबादी तक जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं।
- राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को किसी निजी संस्था को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। विधेयक इसे सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक करेगा, और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर असाइनमेंट करने की अनुमति देगा।
- विधेयक चिड़ियाघर, सफारी और इको-पर्यटन सुविधाएं चलाने की भी अनुमति देता है।

वन संरक्षण और आर्थिक गतिविधियों को संतुलित करना

वन संरक्षण और आर्थिक गतिविधियों के बीच संतुलन सुनिश्चित करना:

- 1980 का अधिनियम वनों की कटाई को रोकने के लिए बनाया गया था। इसलिए, गैर-वन उद्देश्यों के लिए वन भूमि के डायवर्जन के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है।
- इसके अलावा, वनों में अनुमत गतिविधियाँ (ऐसी पूर्वानुमति के बिना) वनों और वन्यजीवों के संरक्षण और प्रबंधन से संबंधित हैं।
- हालाँकि, ऐसी गतिविधियों के आर्थिक लाभों को वनों के संरक्षण के साथ संतुलित करने की आवश्यकता है।

जंगल के अंदर चिड़ियाघर का उद्देश्य स्पष्ट नहीं:

- विधेयक चिड़ियाघरों को 1980 के अधिनियम के तहत पूर्व अनुमोदन की आवश्यकता से भी छूट देता है।
- सुप्रीम कोर्ट (2023) ने टिप्पणी की है कि वे बाघ अभयारण्यों या राष्ट्रीय उद्यानों के अंदर चिड़ियाघर होने की आवश्यकता को नहीं समझ सके हैं।

विधेयक की मुख्य बातें

- यह विधेयक वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 में संशोधन करेगा, जिससे यह अधिनियम कुछ प्रकार की भूमि पर लागू किया जा सकेगा।
- इसके अंतर्गत भारतीय वन अधिनियम, 1927 के तहत या 1980 अधिनियम लागू होने के बाद सरकारी रिकॉर्ड में जंगल के रूप में अधिसूचित भूमि शामिल है।
- यह अधिनियम 12 दिसंबर, 1996 से पहले गैर-वन उपयोग में परिवर्तित भूमि पर लागू नहीं होगा।
- यह कुछ विशेष प्रकार की भूमि को भी अधिनियम के दायरे से छूट देता है। इनमें राष्ट्रीय सुरक्षा परियोजनाओं के लिए आवश्यक भारत की सीमा के 100 किमी के भीतर की भूमि, सड़क के किनारे सामान्य सुविधाओं और जन-आबादी तक जाने वाली सार्वजनिक सड़कें शामिल हैं।
- राज्य सरकार को किसी भी वन भूमि को किसी निजी संस्था को आवंटित करने के लिए केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी की आवश्यकता होती है। विधेयक इसे सभी संस्थाओं के लिए आवश्यक करेगा, और केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों पर असाइनमेंट करने की अनुमति देगा।
- विधेयक चिड़ियाघर, सफारी और इको-पर्यटन सुविधाएं चलाने की भी अनुमति देता है।

श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन

चर्चा में क्यों?

हाल ही में श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने तमिल सुलह और कल्याण के मुद्दे पर चर्चा के लिए एक सर्वदलीय बैठक की। यह उनकी भारत यात्रा के कुछ दिनों बाद हुई है, इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें श्रीलंका में तमिल समुदाय के लिए 'सम्मान का जीवन सुनिश्चित करने' की आवश्यकता से अवगत कराया था।

संशोधन के बारे में

- श्रीलंका के संविधान में 13वां संशोधन 29 जुलाई 1987 को कोलंबो में प्रधानमंत्री राजीव गांधी और राष्ट्रपति जे आर जयवर्धने के बीच भारत-श्रीलंका समझौते पर हस्ताक्षर के बाद किया गया था।
- इसने श्रीलंका के जातीय संघर्ष को हल करने का प्रयास किया जो सशस्त्र बलों और लिट्टे के बीच एक पूर्ण गृह युद्ध में बदल गया था।
- 13वें संशोधन, जिसके कारण प्रांतीय परिषदों का निर्माण हुआ, ने सिंहली बहुसंख्यक क्षेत्रों सहित देश के सभी नौ प्रांतों को स्व-शासन में सक्षम बनाने के लिए पॉवर शेयरिंग व्यवस्था लागू करने का आश्वासन दिया।
- शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, आवास, भूमि और पुलिस जैसे विषय प्रांतीय प्रशासन को सौंप दिए गए हैं।
- परन्तु वित्तीय शक्तियों पर प्रतिबंध और राष्ट्रपति को दी गई अधिभावी शक्तियों के कारण, प्रांतीय प्रशासन व्यवस्था अधिक प्रगति नहीं कर पाया है।
- विशेष रूप से पुलिस और भूमि से संबंधित प्रावधानों को कभी भी लागू नहीं किया गया है।
- प्रारंभ में, उत्तर और पूर्वी प्रांतों का विलय कर दिया गया था और एक उत्तर-पूर्वी प्रांतीय परिषद थी, लेकिन 2007 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दोनों को अलग कर दिया गया था।

13वां संशोधन क्यों महत्त्वपूर्ण है?

- आज तक, 13वां संशोधन लंबे समय से लंबित तमिल प्रश्न के समाधान पर एकमात्र संवैधानिक प्रावधान का प्रतिनिधित्व करता है।
- पॉवर शेयरिंग को सुनिश्चित करने के अलावा, इसे 1948 में श्रीलंका के स्वतंत्र होने के बाद से बढ़ते सिंहली-बौद्ध बहुसंख्यकवाद के सामने, 1980 के दशक के बाद से कुछ महत्त्वपूर्ण लाभों का हिस्सा माना जाता है।

विवादास्पद होने के कारण

- वर्षों के गृहयुद्ध के कारण 13वां संशोधन लागू करने में कई बाधाएं हैं।
- सिंहली राष्ट्रवादी पार्टियों और लिट्टे दोनों ने इसका मुखर विरोध किया है।
- सिंहलीयों के अनुसार बहुत अधिक शक्ति साझा की जा रही है, जबकि एलटीटीई ने इसे बहुत कम माना।
- सिंहली राजनीति का एक बड़ा वर्ग, जिसमें वामपंथी-राष्ट्रवादी जनता विमुक्ति पेरामुना (जेवीपी) भी शामिल है, जिसने इसका विरोध करते हुए एक सशस्त्र विद्रोह का नेतृत्व किया, ने समझौते और परिणामी कानून को भारतीय हस्तक्षेप की छाप के रूप में देखा।
- यद्यपि संशोधन राष्ट्रपति जयवर्धने द्वारा हस्ताक्षरित था, इसे व्यापक रूप से प्रभाव रखने वाले पड़ोसी देश द्वारा थोपा गया माना गया।
- तमिल राजनीति, विशेष रूप से इसका प्रमुख राष्ट्रवादी वर्ग, 13वें संशोधन को अपने दायरे या सार में पर्याप्त नहीं मानता है।
- हालाँकि, तमिल नेशनल अलायंस (TNA) सहित कुछ लोग, जो युद्ध के बाद के युग में संसद में मुख्य रूप से उत्तर और पूर्व के तमिलों का प्रतिनिधित्व करते थे, हाल के चुनावों में अपनी हार तक इसे एक महत्वपूर्ण शुरुआती बिंदु के रूप में देखते हैं, कुछ ऐसा है जिस पर आगे बढ़ना है।

मुख्य परीक्षा विशेषः अर्थव्यवस्था और कृषि पर आधारित महत्त्वपूर्ण प्रश्न

1. चर्चा करें उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना (पी.एल.आई.) और राष्ट्रीय बुनियादी ढांचा योजना उद्योग में विकास का एक सुचक्र कैसे लाएगी?

उत्तर:

अर्थव्यवस्था के अन्य क्षेत्रों की तरह, विनिर्माण क्षेत्र भी 2020-21 में 7% तक संकुचित होते हुए महामारी-प्रेरित व्यवधानों की चपेट में आ गया था। इससे उबरने के लिए सरकार ने आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करने, मांग बढ़ाने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने के उद्देश्य से कई उपायों को लागू किया।

उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना:

1. पीएलआई एक पुराना और लोकप्रिय उपकरण है इसमें सरकार उत्पादन को बढ़ावा देती है जिससे देश में करों या रोजगार-सृजन तथा सामाजिक विकास को बल मिलता है।
2. हाल ही में, भारत सरकार ने 13 प्राथमिकता वाले क्षेत्रों की पहचान की जहां पीएलआई योजनाएं शुरू की जाएंगी। इसमें फार्मास्यूटिकल्स, सौर मॉड्यूल, इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोबाइल आदि जैसे क्षेत्र सम्मिलित हैं।
3. यह निर्माताओं को बड़े पैमाने पर उत्पादन को प्राप्त करने के लिए प्रोत्साहन देता है। बड़े पैमाने पर उत्पादन निर्माताओं और निर्यातकों को वैश्विक बाजारों में अधिक प्रतिस्पर्धी और बाहरी उतार चढ़ावों के लिए लचीला बनाता है।
4. यह ''ड्वार्फ उद्यम'' घटना को दूर करने के लिए छोटे उद्यमों के विस्तार में मदद करेगा, जिसने लंबे समय से एमएसएमई के विकास को बाधित किया है।
5. इससे रोजगार सृजन होगा जिसका अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

हालांकि, उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना के साथ कुछ मुद्दे भी हैं जैसे उद्योगों का मानना है कि योजना के तहत पर्याप्त प्रोत्साहन नहीं दिया गया है।

राष्ट्रीय अवसंरचना योजना:

1. इंफ्रास्ट्रक्चर किसी भी अर्थव्यवस्था की रीढ़ होती है। बुनियादी ढांचे की स्थिति और गुणवत्ता देश की तुलनात्मक लाभ (अन्य देशों की अपेक्षा) का उपयोग करने की क्षमता को निर्धारित करती है और लागत को प्रतिस्पर्धी बनाती है। मजबूत बैकवर्ड और फॉरवर्ड लिंकेज और बुनियादी ढांचे से उत्पन्न सकारात्मक प्रभावों को देखते हुए यह सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन के लिए एक वाहक के रूप में देखा सकता है।
2. बुनियादी ढांचा निवेश को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन (एनआईपी), राष्ट्रीय मुद्रीकरण योजना (एनएमपी), पीएम गति शक्ति आदि जैसी कई पहलें की गई हैं।
3. मजबूत बुनियादी ढांचे के आधार पर निर्मित एक एकीकृत लॉजिस्टिक्स (रसद) पारिस्थितिकी तंत्र उद्योगों के लिए रसद लागत में कटौती करेगा।
4. यह स्थानीय उत्पादकों को निर्यात और ई-कॉमर्स के माध्यम से अपने व्यवसाय का विस्तार करने में भी सहायता करेगा, जिसके लिए 'लास्ट माइल मल्टी मोडल कनेक्टिविटी' महत्वपूर्ण है।
5. 2024-25 तक 5 ट्रिलियन डॉलर की जीडीपी प्राप्त करने के लिए, भारत को बुनियादी ढांचे पर इन वर्षों में लगभग 1.4 ट्रिलियन डॉलर खर्च करने की आवश्यकता है।

2021-22 के आर्थिक सर्वेक्षण में महामारी के बाद औद्योगिक क्षेत्र में मजबूत सुधार की भविष्यवाणी की गई है। उद्योग और बुनियादी ढांचे के लिए सरकार के विभिन्न आपूर्ति-पक्ष के उपाय और सुधार उद्योग और अर्थव्यवस्था में विकास के एक अच्छे चक्र को गति प्रदान करेंगे।

2. शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZBNF) को कृषि उत्पादन के सबसे टिकाऊ तरीकों में से एक माना गया है। जीरो बजट नेशनल फार्मिंग क्या हैं? क्या भारत के लिए व्यापक पैमाने पर ZBNF को अपनाना सही है? भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की रिपोर्ट के आलोक में टिप्पणी कीजिए।

उत्तर:

शून्य बजट प्राकृतिक खेती (ZNBF), महाराष्ट्र के कृषक और पद्म श्री प्राप्तकर्ता सुभाष पालेकर द्वारा लोकप्रिय बनाई गई। यह किसी भी उर्वरक और कीटनाशकों या किसी अन्य बाहरी सामग्री का उपयोग किए बिना फसल उगाने की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। 'जीरो बजट' शब्द का अर्थ है सभी फसलों के उत्पादन की शून्य लागत। ZBNF किसानों को स्थायी खेती का अभ्यास करने में मार्गदर्शन करता है जो मिट्टी की उर्वरता को बनाए रखने में मदद करता है ताकि रासायनिक उर्वरक मुक्त कृषि सुनिश्चित हो और उत्पादन की कम लागत (शून्य लागत) सुनिश्चित हो सके।

जेडबीएनएफ के लाभ:

(i) ZBNF प्रक्रियाओं में सभी चयनित फसलों के लिए 50-60 प्रतिशत कम पानी और कम बिजली (गैर-ZBNF की तुलना में) की आवश्यकता होती है।

(ii) ZBNF में वातन के माध्यम से मीथेन उत्सर्जन को काफी कम करता है।

(iii) इसमें मल्चिंग का प्रयोग कर के अवशेषों को जलाने से बचने की भी क्षमता है।

(iv) ZBNF में कृषि की लागत कम है। इस प्रकार किसानों की आय में वृद्धि होती है।

हालांकि, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) की एक विशेषज्ञ समिति ने कहा है कि शून्य बजट प्राकृतिक खेती (जेडबीएनएफ) को बड़े पैमाने पर अपनाने से कृषि फसलों के उत्पादन में 'जबरदस्त कमी' होगी, जिससे भारत की खाद्य सुरक्षा प्रभावित होगी। अत: इसका उपयोग करने से पहले अन्य पक्षों पर ध्यान केंद्रित करना अपेक्षित है।

ZBNF के स्थान पर, ICAR समिति ने कृषि पद्धतियों के उपयोग के माध्यम से एक एकीकृत उत्पादन प्रणाली को अपनाने की सिफारिश की है जैसे -

- खेत की खाद (अवशिष्ट) के उपयोग के माध्यम से संरक्षण कृषि,
- अंतर - फसल
- फसल विविधीकरण
- मृदा स्वास्थ्य में सुधार के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन।

ZBNF को बड़े पैमाने पर अपनाने से किसान की आय और खाद्य सुरक्षा पर नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है। इसलिए ZBNF की प्रभावशीलता की उचित वैज्ञानिक पुष्टि करना आवश्यक है।

3. आईपीसीसी रिपोर्ट ने अनुमान लगाया है कि कृषि गतिविधियों का संयुक्त प्रभाव मानव क्रिया के कारण होने वाले ग्रीनहाउस प्रभाव का लगभग पांचवां हिस्सा है। कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने के लिए कौन से उपाय अपनाए जा सकते हैं?

उत्तर:

कृषि जलवायु परिवर्तन का कारण और इससे प्रभावित दोनों है। चावल की खेती, घरेलू पशुओं का पालन और बायोमास जलाने जैसी कृषि और संबद्ध गतिविधियां वैश्विक मीथेन उत्सर्जन का 22-46% हिस्सा हैं। इन गतिविधियों में, धान के खेत सबसे महत्वपूर्ण स्रोत हैं, जो मानव गतिविधियों के कारण विश्व के कुल मीथेन उत्सर्जन का 15-20% है।

कृषि को अधिक टिकाऊ बनाने के उपाय:

- कृषि तकनीक में परिवर्तन किसानों के लिए तात्कालिक रूप से लाभप्रद होने चाहिए तभी इनकी स्वीकार्यता बढ़ाई जा सकती है।
- आकर्षक होने के लिए, टिकाऊ प्रथाओं को तकनीकी रूप से और साथ ही आर्थिक रूप से कुशल होने की आवश्यकता है। मध्यम तकनीकी समाधान जैसे हल्की मशीनरी और किफायती उपकरण छोटे पैमाने के किसानों को उनका परीक्षण करने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं।
- अधिक किसानों तक पहुंचने के लिए अनुसंधान और तकनीकी विस्तार कर्मचारियों को अतिरिक्त संसाधनों की आवश्यकता होगी। उन्हें 'गैर-पारंपरिक' खेती के तरीकों और अपने ज्ञान को साझा करने के लिए नवीन तरीकों पर अधिक प्रशिक्षण की आवश्यकता होगी।
- सरकार, अकादमिक, नागरिक समाज और एफएओ जैसी तकनीकी एजेंसियों के प्रभाव को सहक्रियाओं को बढ़ावा देकर, हस्तक्षेपों को अधिक सुसंगत बनाकर और प्रयासों के दोहराव से बचाकर बढ़ाया जाना चाहिए।
- नीति निर्माताओं और कृषि संस्थानों को उन बाधाओं को कम करने के लिए नीतियों को समायोजित करने और लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए जो किसानों की स्थायी प्रथाओं को सफलतापूर्वक प्रतिस्थापित करने की क्षमता में बाधा डालती हैं।

जैसे-जैसे आबादी बढ़ती है और जलवायु संकट बढ़ रहा है, नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभावों को कम करने और खाद्य प्रणालियों की दक्षता बढ़ाने के लिए स्थायी कृषि पद्धतियां आवश्यक हैं। इसके लिए तकनीकी और वित्तीय बाधाओं को दूर करना महत्वपूर्ण है तथा विस्तार के लिए नीतिगत सामंजस्य आवश्यक है।

4. केंद्रीय बजट 2022-23 के स्तंभों में से एक 'समावेशी विकास' है। भारत में समावेशी विकास और विकास को प्राप्त करने के लिए बजट 2022-23 में प्रस्तावित उपायों का विश्लेषण करें।

उत्तर:

समावेशी विकास एक ऐसा विकास है जिसमें मानव कल्याण, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता और सशक्तिकरण में वृद्धि के लिए, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक प्रक्रियाओं में हाशिए के लोगों और क्षेत्रों को शामिल किया गया है। बजट 2022-23 में 'अंत्योदय' से 'सर्वोदय' के माध्यम से 'समावेशी विकास' को साकार करने की अपेक्षा की गई है।

'समावेशी विकास' स्तंभ के अंतर्गत बजटीय प्रावधान और उनका महत्व:

1. कृषि:

- 163 लाख किसानों को एमएसपी के 2.37 लाख करोड़ का सीधा भुगतान करते हुए बढ़ी हुई खरीद किसानों की आय दोगुनी करने में मदद करेगी।
- घरेलू तिलहन उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक व्यापक योजना, तेल संबंधी मुद्रास्फीति को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
- बाजरे की कटाई के बाद मूल्यवर्धन, खपत और ब्रांडिंग को बढ़ावा देना, शुष्क भूमि खेती और अन्य सीमांत क्षेत्र का विकास सुनिश्चित करने में सहायक होगी।
- फसल मूल्यांकन, कीटनाशकों के छिड़काव, भूमि अभिलेखों के डिजिटलीकरण आदि के लिए 'किसान ड्रोन' का प्रयोग, दक्षता बढ़ाएगा।

2. सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम:

- उद्यम, ई-श्रम, राष्ट्रीय करियर सेवा और असीम पोर्टल को आसानी से पहुंच के साथ-साथ व्यापार करने में आसानी के लिए आपस में जोड़ा जाएगा।
- आपातकालीन क्रेडिट लिंक्ड गारंटी योजना को मार्च 2023 तक बढ़ाया जाएगा और कवर का भी विस्तार किया जाएगा।
- MSME क्षेत्र को अधिक लचीला, प्रतिस्पर्धी और कुशल बनने में मदद करने के लिए 6000 करोड़ के परिव्यय के साथ RAMP कार्यक्रम।

3. कौशल विकास- ऑनलाइन स्किलिंग, री-स्किलिंग और अप-स्किलिंग के माध्यम से नागरिकों को सशक्त बनाने के लिए स्किलिंग एंड लाइवलीहुड (DESH-Stack-e पोर्टल) के लिए डिजिटल इकोसिस्टम लॉन्च किया जाएगा।

4. शिक्षा- विभिन्न उपायों के माध्यम से अधिक समावेशी डिजिटल शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है। जैसे-

- पीएम ई-विद्या योजना के तहत 12 से बढ़ाकर 200 चैनलों का विस्तार किया गया।

- डिजिटल शिक्षकों के माध्यम से उच्च गुणवत्ता वाली ई-सामग्री वितरण।
- व्यक्तिगत सीखने के अनुभव के साथ विश्व स्तरीय गुणवत्ता वाली सार्वभौमिक शिक्षा के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना की जाएगी।

5. **स्वास्थ्य** - समावेशी स्वास्थ्य पारिस्थितिकी तंत्र को योजनाओं के साथ बढ़ना।

- गुणवत्ता मानसिक स्वास्थ्य परामर्श और देखभाल के लिए राष्ट्रीय टेली मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम।
- मिशन शक्ति, सक्षम आंगनवाड़ी और पोषण 2.0 के माध्यम से महिलाओं और बच्चों को एकीकृत लाभ।

6. हर घर नल से जल (3.8 करोड़ घरेलू-2022-23), पीएम-डिवाइन (पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए), एस्पिरेशनल ब्लॉक्स प्रोग्राम, वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम आदि जैसी योजनाओं के माध्यम से हाशिए के वर्ग और क्षेत्रों का समावेशी विकास सुनिश्चित करना।

विकास लोगों के द्वारा (अधिक सहभागी), लोगों के (स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल) और लोगों के लिए (खुशी, कल्याण, आय में वृद्धि) होना चाहिए। उपरोक्त बजट यह सुनिश्चित करेगा कि 'अमृत काल' के दौरान भारत के विकास में यह सुनिश्चित हो।

5. भारत सरकार के बजटीय रुझान उच्च स्तर के राजकोषीय घाटे को दर्शाते हैं और पारंपरिक तरीके से उनका वित्तपोषण करना मुश्किल होता जा रहा है। आप कहाँ तक सहमत हैं कि मुद्रीकरण घाटा और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में सॉवरेन बांड जारी करना घाटे के वित्तपोषण के वैकल्पिक स्रोत के रूप में काम कर सकता है?

उत्तरः

जब अर्थव्यवस्था में राजकोषीय घाटा होता है, तो यह करों और राजस्व के अन्य स्रोतों से प्राप्त आय अधिक व्यय को प्रदर्शित करता है। पिछले कुछ वर्षों में भारत में बड़े राजकोषीय घाटे ने अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण अधिशेष मांग को जन्म दिया है। इससे मुद्रास्फीति या कीमतों के सामान्य स्तर में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। 2021-22 के लिए भारत का राजकोषीय घाटा सकल घरेलू उत्पाद का 6.71% था।

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण का पारंपरिक तरीकाः

राजकोषीय घाटे के वित्तपोषण को 'घाटे के वित्तपोषण' के रूप में जाना जाता है। मुख्य रूप से 3 तरीके हैं जिनसे सरकार अपने घाटे को पूरा करती है।

1. बाजार/जनता से उधार लेना
2. आरबीआई के पास रखे नकद शेष को वापस लेना
3. आरबीआई से उधार लेना

परंपरागत रूप से, भारत सरकार ने बाहरी स्रोतों का सहारा लिए बिना, घरेलू उधारी का सहारा लिया है। आम तौर पर, सरकार आरबीआई से उधार लेने से बचती है क्योंकि इससे मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि हो सकती है जो मुद्रास्फीति की स्थिति में बदल जाती है। घरेलू स्तर पर जनता के साथ उधार लेने के मामले में ऐसा नहीं है क्योंकि इसका पैसे की आपूर्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि घरेलू बाजार से उधार लेने की भी सीमित राजकोषीय क्षमता के कारण सीमाएं हैं।

राजकोषीय घाटे को वित्तपोषित करने के नए तरीकेः

पिछले कुछ वर्षों से सरकार राजकोषीय घाटे को पूरा करने के लिए विदेशी मुद्रा उधार लेने पर जोर दे रही है। हालांकि, बाद में मुद्रा जोखिम के कारण योजना को छोड़ दिया गया था। विदेशी बाजार से उधार लेने के विभिन्न लाभ हैं:

1. अंतरराष्ट्रीय बाजारों में संप्रभु विदेशी उधार अधिक विदेशी पूंजी को आकर्षित करने और भारत की बचत से परे घरेलू निवेश को आगे बढ़ाने में मदद करेगा।
2. जोखिम-मुक्त दर भारतीय कॉरपोरेट्स द्वारा डॉलर उधार लेने के लिए एक बेंचमार्क के रूप में काम कर सकती है। यह सरकारों और कॉरपोरेट दोनों के लिए पूंजी की लागत को कम करने में मदद कर सकता है।
3. यदि सरकार को 100 लाख करोड़ रुपये के बुनियादी ढांचे के निवेश के अपने लक्ष्य को पूरा करना है, और 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था का निर्माण करना है, तो विदेशी उधार महत्वपूर्ण है।

हालांकि, इससे भुगतान संतुलन संकट, मुद्रा मूल्यह्रास और ऋण पुनर्भुगतान करने में अधिक कठिनाई हो सकती है। हाल के दिनों में सरकार घाटे के मुद्रीकरण की बात करती रही है। घाटे का मुद्रीकरण केंद्र की खर्च की जरूरतों को पूरा करने में मदद करने के लिए आरबीआई द्वारा सरकारी बांड की खरीद को संदर्भित करता है। जबकि प्रत्यक्ष मुद्रीकरण एक ऐसे परिदृश्य को संदर्भित करता है जहां एक केंद्रीय बैंक सरकार द्वारा घाटे के खर्च को समायोजित करने के लिए मुद्रा को प्रिंट करता है। मुद्रीकरण का यह दृष्टिकोण आधुनिक मौद्रिक सिद्धांत द्वारा समर्थित है। यह तर्क देता है कि सरकार को अर्थव्यवस्था से अतिरिक्त धन निकालने के लिए 'आज' व्यय और 'कल' कर लगाना चाहिए (मुद्रीकरण के कारण तरलता में वृद्धि के कारण)। हालांकि, इस तरह के मुद्रीकरण के लिए सरकार को मुद्रास्फीति की स्थिति को कम करने के लिए पूंजी, श्रम, कौशल और प्रौद्योगिकी की बाधाओं को दूर करने की आवश्यकता है। जैसा कि कोविड ने अर्थव्यवस्था में कमजोरियों को उजागर किया है, सरकार को कई आयामों पर काम करने की आवश्यकता होगी। भारत इन दृष्टिकोणों से लाभ उठा सकता है यदि उच्च विकास गुणक प्रभावों के साथ उत्पादक व्यय निर्णय लेने के लिए संस्थानों में पर्याप्त 'विश्वास' हो।

6. विश्व बैंक सहायता प्राप्त 'एमएसएमई प्रदर्शन को बढ़ाने और तेज करने' - रैम्प योजना की मुख्य विशेषताओं का वर्णन करें। एमएसएमई क्षेत्र के सामने आने वाली चुनौतियों को दूर करने में यह किस हद तक मौजूदा सरकारी योजनाओं का पूरक होगा?

उत्तरः

कोविड-19 महामारी ने भारत में एमएसएमई क्षेत्र की कमर तोड़ दी है। यूके सिन्हा समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित एमएसएमई की इस और अन्य मौजूदा चुनौतियों को स्वीकार करते हुए, सरकार ने विश्व

बैंक की सहायता से केंद्रीय क्षेत्र की योजना, RAMP शुरू करने का निर्णय लिया है।

RAMP योजना की मुख्य विशेषताएं :

1. चिन्हित एमएसएमई क्षेत्रों में लक्षित हस्तक्षेप के लिए सामरिक निवेश योजना (एसआईपी) तैयार करने के लिए संघवाद की भावना से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों का सहयोग और समन्वय करना।
2. एसआईपी प्रमुख बाधाओं और अंतरालों की पहचान करेगा, मील के पत्थर निर्धारित करेगा और पहचान किए गए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के लिए आवश्यक बजट पेश करेगा।
3. समग्र निगरानी और नीति समीक्षा के लिए एक शीर्ष राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद की स्थापना।
4. एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना होने के नाते, केंद्र सरकार से पूर्ण वित्त पोषण, जिसमें विश्व बैंक से 3750 करोड़ रुपये का ऋण भी शामिल है।
5. चल रहे कार्यक्रमों का समर्थन करने के लिए संवितरण से जुड़े संकेतकों (डीएलआई) के रूप में मंत्रालय के बजट में रैंप से धन प्रवाहित होगा।
6. बाजार पहुंच और प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार पर ध्यान केंद्रित दिया गया है।

MSMEs को समर्थन देने में RAMP योजना की भूमिका:

1. एमएसएमई को सामान्य और कोविड संबंधी चुनौतियों का समाधान करते हुए मौजूदा एमएसएमई योजनाओं का प्रभाव बढ़ाना है।
2. डीएलआई में क्रेडिट एक्सेस एक मानदंड है। यह इस तथ्य को देखते हुए महत्वपूर्ण है कि केवल 17% एमएसएमई के पास औपचारिक ऋण प्रणाली (आर्थिक सर्वेक्षण) तक पहुंच है।
3. राष्ट्रीय एमएसएमई परिषद (यूके सिन्हा समिति की सिफारिश के आधार पर) के माध्यम से संस्थानों और शासन को मजबूत करना।
4. यह एमएसएमई को विलंबित भुगतान और बाद में कार्यशील पूंजी की कमी के मुद्दे को हल करने में मदद करेगा।
5. योजनाओं का अधिक प्रभाव एमएसएमई के उच्च औपचारिकरण में प्रवेश कर सकता है, वर्तमान में 86 प्रतिशत विनिर्माण एमएसएमई अपंजीकृत हैं (यूके सिन्हा समिति)।
6. यह कुशल कार्यबल, बाजार पहुंच और तकनीकी उन्नयन की हिस्सेदारी बढ़ाने में भी मदद करेगा।

इस प्रकार RAMP योजना MSMEs की क्षमता को उजागर करने में मदद करेगी, जो भारतीय अर्थव्यवस्था का 'विकास इंजन' है और जो देश के सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 30% योगदान देता है। यह उद्योग मानकों में नवाचार और वृद्धि को बढ़ावा देकर आत्म-निर्भर भारत के लक्ष्य को साकार करने में भी मदद करेगा।

7. श्रीलंका में चल रहे संकट का एक मजबूत आर्थिक कारण है, ऐसे संकट की ओर ले जाने वाले प्रमुख आर्थिक कारकों की सूची बनाएं। भारत में इस तरह के संकट को उभरने से रोकने के उपाय सुझाएं।

उत्तर:

श्रीलंका, जिसे 1970 के दशक में एक कम आय वाले राष्ट्र के लिए विकास की सफलता की कहानी के रूप में देखा जा रहा था, अब एक वित्तीय और आर्थिक आपदा में फंस गया है, जो 1948 में आजादी के बाद से अब तक की सबसे खराब स्थिति है।

इस तरह के संकट की ओर ले जाने वाले प्रमुख आर्थिक कारक:

- 2013 के बाद श्रीलंका की औसत जीडीपी विकास दर लगभग आधी हो गई क्योंकि वैश्विक कमोडिटी की कीमतें गिर गईं, निर्यात धीमा हो गया और आयात बढ़ गया।
- सरकार द्वारा अवहनीय कीमतों पर उधार जो देश के सकल घरेलू उत्पाद से भी अधिक है।
- पर्यटन देश के लिए आय का एक प्राथमिक स्रोत था और इसे ईस्टर बम धमाकों और कोविड-19 महामारी के रूप में लगातार दो झटके मिले।
- खेती में रासायनिक उर्वरकों के उपयोग पर सरकार के प्रतिबंध ने कृषि उत्पादन को कम करके संकट को और बढ़ा दिया।
- नई सरकार द्वारा कम कर दरों और किसानों के लिए व्यापक एसओपी ने समस्या को और बढ़ा दिया।
- विदेशी मुद्रा में गिरावट - यह 2019 में 7.5 बिलियन डॉलर से गिरकर जुलाई 2021 में लगभग 2.8 बिलियन डॉलर हो गई।

उपाय जो भारत में इस तरह के संकट को उभरने से रोक सकते हैं:

- केंद्रीय बजट में उधार के अनुपात को सीमित करना सर्वोच्च प्राथमिकता होनी चाहिए।
- कोई भी देश अपने प्राथमिक क्षेत्र जैसे कृषि से हटकर और पर्यटन जैसे विदेशी आय पर अत्यधिक निर्भर क्षेत्रों को बढ़ावा देकर अपनी जनसंख्या की बुनियादी जरूरतों को पूरा नहीं कर सकता है।
- चुनाव जीतने के एकमात्र लक्ष्य के साथ लागू की गई लोकलुभावन नीतियां अल्पावधि में लोगों को खुश तो कर सकती हैं पर यह लंबे समय तक वहनीय नहीं है।
- निवेश से पहले यह सुनिश्चित करना चाहिए कि किसी भी बड़े बुनियादी ढांचे के निवेश से रिटर्न का पर्याप्त रूप से मूल्यांकन किया गया है और यह उन देशों के से समर्थित है जिनके साथ भारत के बेहतर विदेशी संबंध हैं।
- अर्थव्यवस्था का विविधीकरण बहुत महत्वपूर्ण है, विशेष रूप से महामारी के बाद और अब रूस-यूक्रेन युद्ध के कारण।

इन परिस्थितियों में, आवश्यक वस्तुओं की कमी समाप्त होते ही सरकार को देश की आर्थिक सुधार के उपाय करने चाहिए। सरकार घरेलू कर राजस्व बढ़ा सकती है और उधार को सीमित करने के लिए सरकारी व्यय को कम कर सकती है। रियायतों और सब्सिडी के पुनर्गठन के लिए कड़े कदम उठाने भी आवश्यक हैं।

8. निजी अंतिम उपभोग व्यय क्या है? यह भारत के सकल घरेलू उत्पाद के सबसे महत्वपूर्ण घटकों में से एक क्यों है?

उत्तर:

निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) को निवासी परिवारों और गैर-लाभकारी संस्थाओं द्वारा घरेलू (एनपीआईएसएच) की सेवा करने

वाले सामानों और सेवाओं की अंतिम खपत पर किए गए व्यय के रूप में परिभाषित किया गया है, चाहे वह आर्थिक क्षेत्र के भीतर या बाहर किया गया हो। व्यक्तिगत खपत लंबे समय से भारत के सकल घरेलू उत्पाद का मुख्य घटक रहा है और सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि का एक निरंतर मजबूत इंजन रहा है।

निजी अंतिम उपभोग व्यय (पीएफसीई) भारत के सकल घरेलू उत्पाद का सबसे महत्वपूर्ण घटक है:

- यह एक आम सहमति है कि विकासशील देशों में आर्थिक विकास आवश्यक रूप से उत्पादन/निवेश-आधारित होने के बजाय उपभोग-आधारित है। इसलिए पीएफसीई भारत की जीडीपी के लिए महत्वपूर्ण है।
- भारत में, PFCE का एक वर्ष में सभी राष्ट्रीय सकल घरेलू उत्पाद का 55-56% हिस्सा है और यह आर्थिक विकास का सबसे बड़ा चालक है।
- PFCE परोक्ष रूप से सकल घरेलू उत्पाद के अगले सबसे बड़े चालक-सकल स्थायी पूंजी निर्माण (GFCF) को भी प्रभावित करता है। यह व्यवसायों द्वारा निवेश किए जाने पर खर्च किए गए धन का एक उपाय है, और यह सकल घरेलू उत्पाद का 33% हिस्सा है।
- यदि उपभोक्ता मांग कम हो जाती है, तो यह नए निवेश करके उत्पादक क्षमता को बढ़ावा देने के लिए किसी भी प्रोत्साहन को हतोत्साहित करता है। केवल मांग की परवाह किए बिना निवेश को बढ़ावा देने का कोई मतलब नहीं होगा।
- सकल घरेलू उत्पाद को बढ़ावा देने में निजी उपभोक्ता मांग की महत्वपूर्ण भूमिका इसे भारत के आर्थिक भाग्य का निर्धारण करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक बनाती है।

निजी खपत काफी हद तक आय वृद्धि और उसके वितरण पर निर्भर करती है। इसलिए, एमएसएमई और अर्थव्यवस्था के अनौपचारिक क्षेत्रों के लिए आय और रोजगार के स्तर का समर्थन करने पर ध्यान केंद्रित करना उपयोगी होगा, जिनकी उपभोग करने की प्रवृत्ति अधिक है।

9. भारत से गेहूँ के निर्यात पर हाल ही में प्रतिबंध लगाने के कारणों का वर्णन करें। भारतीय और वैश्विक उपभोक्ताओं के साथ-साथ भारतीय किसानों और कृषि-निर्यात पर प्रतिबंध के क्या प्रभाव होंगे?

उत्तर:

भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। लेकिन इसका अधिकांश हिस्सा घरेलू स्तर पर खपत होता है और इस तरह भारत में वैश्विक गेहूं व्यापार का 1% से भी कम हिस्सा है। वैश्विक व्यापार में इतनी कम हिस्सेदारी के बावजूद भारत के गेहूं निर्यात प्रतिबंध ने वैश्विक बाजार को अस्थिर कर दिया है।

भारत से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध के कारण :

1. वैश्विक स्तर पर गेहूं की बढ़ती कीमतों ने भारत के साथ-साथ पड़ोसी और अन्य कमजोर देशों की खाद्य सुरक्षा पर दबाव डाला है।
2. रूस-यूक्रेन युद्ध ने इन दोनों देशों से गेहूं के निर्यात को प्रतिबंधित कर दिया, साथ में वैश्विक गेहूं व्यापार का लगभग 29% हिस्सा बाजार से बाहर हो गया। इससे वैश्विक स्तर पर गेहूं के दाम दोगुने हो गए हैं।
3. बढ़ती मुद्रास्फीति, भारत में थोक मुद्रास्फीति लगभग-(अप्रैल में) 14.5% और साथ ही खुदरा मुद्रास्फीति-7.8% (अप्रैल 2022) रही।
4. मार्च-अप्रैल 2022 में अनुभव की गई हीट वेव के कारण कम उपज और उत्पादन हुआ।
5. भारतीय खाद्य निगम (FCI) द्वारा कम उपज, निजी भागीदारो द्वारा MSP से अधिक कीमत की पेशकश, स्टॉक रखने के स्थान का अभाव आदि जैसे कारणों से खरीद में गिरावट हुई है। यह भारत के बफर स्टॉक पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

भारत से गेहूं निर्यात प्रतिबंध के प्रभाव:

1. घरेलू उपभोक्ता पर -

- अधिक उपलब्धता का अर्थ है भारतीय बाजार में कीमतों में स्थिरता बनाए रखकर घरेलू उपभोक्ता को राहत देना।
- यह वैश्विक गेहूं की कीमतों में वृद्धि से भारतीय उपभोक्ता को बचाता है।
- एफसीआई के पास पर्याप्त गेहूं की उपलब्धता से पीडीएस के माध्यम से आम जनता तक अनाज की पहुंच सुनिश्चित होगी। इस प्रकार खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करना।

2. वैश्विक उपभोक्ताओं पर -

- गेहूं की बढ़ती कीमतों के कारण मुद्रास्फीति का दबाव बढ़ा है।
- कुछ देशों में संभावित कमी जो भारतीय निर्यात पर निर्भर हैं जैसे संयुक्त अरब अमीरात।

3. भारतीय किसानों और कृषि-निर्यात पर:

- अंतरराष्ट्रीय बाजार में पहुंच की कमी का मतलब होगा किसानों के लिए कम कीमत की प्राप्ति होगी।
- इसका मतलब होगा किसान की आय में कमी, इस प्रकार किसान की आय को दोगुना करने के लक्ष्य में बाधा उत्पन्न होगी।
- यह उपभोक्ता पक्षपाती निर्यात उपाय भारत की कृषि-निर्यात नीति की विश्वसनीयता पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।
- भारत ने संभवतः वैश्विक कृषि-व्यापार हिस्सेदारी में कुछ जगह बनाने और चालू वित्त वर्ष में 10 मिलियन टन गेहूं निर्यात के अपने लक्ष्य को प्राप्त करने का अवसर खो दिया है।

उपरोक्त और अन्य भू-राजनीतिक प्रभावों को ध्यान में रखते हुए भारत के लिए जल्द से जल्द प्रतिबंध हटाना आवश्यक होगा। यह निश्चित रूप से न्यूनतम निर्यात मूल्य जैसे उपायों के माध्यम से निर्यात को कैलिब्रेट कर सकता है। यह भारत की अनाज कूटनीति के साथ-साथ किसानों के लिए भी फायदे की स्थिति होगी।

10. 'भारत में एक समृद्ध और विविध पशुधन संपदा है', छोटे और सीमांत किसानों के लिए पशुधन संपदा के महत्व की व्याख्या करें। पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सरकार द्वारा किए गए उपायों का भी उल्लेख करें।

उत्तर:

20वीं पशुधन जनगणना-2019 के अनुसार, भारत में कुल पशुधन जनसंख्या 535.78 मिलियन है, जिसमें विभिन्न जानवर जैसे मवेशी, भैंस, बकरी, सूअर आदि शामिल हैं। ये मिलकर भारत में छोटे और सीमांत किसानों सहित लगभग 1.5 करोड़ किसानों की आय का पूरक हैं। .

छोटे और सीमांत किसानों के लिए वरदान है पशुधन संपत्ति:

1. छोटे और सीमांत किसानों की आय (कुल कृषि परिवारों का 86%) उनकी छोटी जोत से। पशुपालन किसानों की आय का पूरक है।
2. पशुधन आर्थिक झटकों, जैसे सूखा, फसल की विफलता आदि के खिलाफ बफर के रूप में कार्य करता है।
3. दूध, मांस आदि जैसे पौष्टिक भोजन का महत्वपूर्ण स्रोत होने के कारण पशुधन भोजन के साथ-साथ पोषण सुरक्षा भी प्रदान करता है।
4. महंगे बाजार आधारित आदानों की तुलना में महत्वपूर्ण और सस्ता विकल्प प्रदान करता है, उनके गोबर का उपयोग जैव-उर्वरक के लिए किया जा सकता है।
5. मिश्रित कृषि में फसल उगाना और पशुपालन दोनों शामिल हैं, यह न केवल एक दूसरे के पूरक हैं बल्कि किसानों के लचीलेपन को भी बढ़ाते हैं।
6. छोटे और सीमांत किसानों के लिए नकद आय के नियमित स्रोत के रूप में कार्य करता है।
7. ऊर्जा का सस्ता वैकल्पिक स्रोत भी प्रदान करता है, उदाहरण के लिए-गोबर गैस।
8. वे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए कच्चा माल भी प्रदान करते हैं, इस प्रकार आसपास के क्षेत्रों में उनकी स्थापना की सुविधा प्रदान करते हैं और भूमि पर दबाव कम करते हैं।

पशुधन क्षेत्र को बढ़ावा देने के सरकारी उपायों में शामिल हैं:

1. पशुधन उत्पादन और सभी हितधारकों की क्षमता निर्माण में मात्रात्मक और गुणात्मक सुधार के लिए राष्ट्रीय पशुधन मिशन।
2. गोजातीय प्रजनन और डेयरी विकास के लिए राष्ट्रीय कार्यक्रम।
3. एनिमल हसबेंडरी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड जैसे फंड्स के जरिए इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देना।
4. देशी मवेशियों की नस्लों के विकास और संरक्षण के लिए राष्ट्रीय गोकुल मिशन।
5. आधुनिक वैज्ञानिक तर्ज पर पशुपालन को व्यवस्थित करने के लिए राष्ट्रीय कामधेनु आयोग की स्थापना।
6. पशु रोग नियंत्रण के लिए राष्ट्रीय मिशन जैसे खुरपका और मुंहपका की बीमारी के लिए जो मवेशियों को प्रभावित करती है।

इस प्रकार छोटे और सीमांत किसानों के बीच पशुधन पालन को बढ़ावा देने से इन किसानों की आर्थिक क्षमता और लचीलेपन में स्थायी रूप से वृद्धि हो सकती है। इससे 'सबका साथ, सबका विकास'-सबका समावेशी विकास सुनिश्चित होगा।

11. आर्थिक विकास और सतत विकास के लिए परिवर्तनकारी दृष्टिकोण सात इंजनों द्वारा संचालित होता है, जिनसे अर्थव्यवस्था को एक साथ आगे बढ़ाने की उम्मीद है। प्रधानमंत्री गति शक्ति में परिकल्पित 7 इंजनों का विवरण दीजिए। भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्येक इंजन के महत्व पर टिप्पणी कीजिए।

उत्तर:

पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान एक परिवर्तनकारी दृष्टिकोण है जो आर्थिक विकास और सतत विकास को बढ़ावा देगा। यह आर्थिक परिवर्तन,निर्बाध रूप से मल्टीमॉडल कनेक्टिविटी और तकनीकी दक्षता के लिए सात इंजनों को शामिल करेगा जो फोकस योजना, नवीन तरीकों से वित्तपोषण, प्रौद्योगिकी के उपयोग और तेजी से कार्यान्वयन पर होगा।

पीएम गति शक्ति के सात इंजन और भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए उनका महत्व:

1. सड़कें:

- सड़कें वे धमनियां हैं जिनके माध्यम से अर्थव्यवस्था स्पंदित होती है।
- सड़क बुनियादी ढांचा का केंद्र विन्दु है जो भारत की उत्पादकता और कृषि और विनिर्माण जैसे क्षेत्रों की प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है।
- पहाड़ी क्षेत्रों के विकास के लिए रोडवेज बहुत महत्वपूर्ण हैं क्योंकि वे रेलवे के निर्माण के लिए फिट (दुष्कर भूभाग होने के कारण) नहीं हैं।

2. रेलवे:

- रेलवे भारत में प्रचलित यात्रा साधनों के बीच परिवहन के सबसे किफायती साधन के रूप में कार्य करता है।
- भारतीय रेलवे भारत में सबसे बड़े रोजगार प्रदाताओं में से एक है। यह सड़क की तुलना में छह गुना अधिक ऊर्जा कुशल और चार गुना अधिक किफायती है।

3. हवाई अड्डे:

- हवाईअड्डे विकास केन्द्र बिन्दु के रूप में कार्य करते हैं, स्पिलओवर और ट्रिकलडाउन प्रभावों के परिणामस्वरूप पूरे क्षेत्र का विकास करते हैं।
- हवाई परिवहन भौतिक बाधाओं से मुक्त है और आपदाओं के दौरान इनका व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है क्योंकि बचाव कार्यों के लिए ट्रेनें और सड़कें अप्रभावी होती हैं।

4. बंदरगाह:

- जल परिवहन भारी वस्तुओं के निर्यात और आयात का एक आसान और सस्ता साधन है। इस संदर्भ में बंदरगाहों की भूमिका और भी महत्वपूर्ण हो जाती है।
- बंदरगाह जलमार्ग में एक ऐसा स्थान है जहां एक जहाज सामान लोड करने और उतारने के लिए रुक सकता है। जो भूमि और समुद्री व्यापार के लिए नोडल बिंदु हैं।

5. जन परिवहन:

- जन परिवहन एक ही पारगमन चैनल के साथ लोगों की अधिक कुशल आवाजाही की अनुमति देता है। बेंगलुरु, दिल्ली आदि जैसे बड़े महानगरों में मानव-उत्पादन घंटो की संख्या में वृद्धि करता है।
- शहरीकरण की बढ़ती दर के कारण बड़े पैमाने पर परिवहन का

महत्व दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है।

6. जलमार्गः

- जल परिवहन प्रणाली गतिशीलता और कनेक्टिविटी सुनिश्चित करती है और कम पर्यावरणीय पदचिह्न और लागत के साथ जमीनी स्तर पर रोजगार पैदा करती है।
- यह समय, माल और कार्गो के परिवहन की लागत के साथ-साथ राजमार्गों पर भीड़भाड़ और दुर्घटनाओं को भी कम करता है।

7. लॉजिस्टिक इन्फ्रास्ट्रक्चरः

- यह रोजगार के ढेर सारे अवसर पैदा करता है। बिजनेसलाइन की एक रिपोर्ट के मुताबिक, लॉजिस्टिक सेक्टर में 2022 तक 30 लाख नए रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।
- लॉजिस्टिक्स उद्योग के विकास से परिवहन क्षेत्र को वैश्विक प्रतिस्पध र्त्मिक लाभ मिला है।

अवसंरचना किसी भी अर्थव्यवस्था की जीवन रेखा होती है और इसलिए इस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होती है। पीएम गति शक्ति सही दिशा में एक कदम है। हालांकि, इसे उच्च सार्वजनिक व्यय से उत्पन्न संरचनात्मक और व्यापक आर्थिक स्थिरता संबंधी चिंताओं को दूर करने की आवश्यकता है।

12. अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन के आंकड़ों से पता चलता है कि जनसंख्या अनुपात (15 वर्ष से अधिक) में भारत का रोजगार 2005 में 55ँ से घटकर 2020 में 43ँ हो गया है। इस गिरावट के कारणों की व्याख्या करते हुए और जनसंख्या अनुपात में रोजगार को बढ़ाने के लिए कुछ उपाय भी सुझाएं।

उत्तरः

ILO और सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी जैसी हालिया रिपोर्टों से पता चलता है कि लाखों भारतीय नौकरी पाने में सक्षम नहीं हैं, खासकर लोग महिलाओं के श्रम बल को पूरी तरह से बाहर कर रहे हैं। 40 प्रतिशत के एलपीआर का मतलब है कि 60 प्रतिशत से अधिक रोजगार योग्य कार्यबल काम की तलाश में भी नहीं हैं। श्रम भागीदारी दर देश की कामकाजी उम्र की आबादी का एक पैमाना है, जो या तो काम कर रही है या सक्रिय रूप से काम की तलाश में है।

गिरावट के कारणः

- **तात्कालिक कारणः**

1. लोग श्रम शक्ति से बाहर हो रहे हैं क्योंकि वे नौकरी पाने में विफलता से निराश हैं।
2. नौकरी के बाजार में खराब स्थिति के कारण लोगों को अपनी पसंद की नौकरी नहीं मिल रही है। यह स्नातक और स्नातकोत्तर के मामले में सही है क्योंकि शिक्षा और नौकरी उद्योग के बीच कुछ बेमेल है।
3. श्रम शक्ति से बाहर निकलने वाले कुछ लोगों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना अधिक आकर्षक लग सकता है।
4. हाल ही में कोविड-19 महामारी और उससे जुड़े लॉकडाउन ने अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है और इससे श्रम बाजार पर भी भारी दबाव पड़ा है।
5. COVID-19 महामारी के दौरान सिलाई, ब्यूटी पार्लर, स्टेशनरी की दुकानों जैसे सूक्ष्म और लघु उद्यमों को बंद करने के परिण ामस्वरूप भी लोगों ने श्रम बल छोड़ दिया है।
6. बहुत से लोग नियमित और यहां तक कि आकस्मिक रोजगार से कृषि जैसे स्वरोजगार के किसी न किसी रूप में चले गए हैं।

मुद्देः

1. भारत के समग्र सकल घरेलू उत्पाद में विनिर्माण क्षेत्र का कम हिस्सा। किसी भी अर्थव्यवस्था में विनिर्माण क्षेत्र प्रमुख रोजगार सृजनकर्ता है।
2. भारत की महिला श्रम शक्ति में लगातार गिरावट आई है, जो निम्न एलपीआर के प्रमुख कारणों में से एक है। पुरुषों और महिलाओं के बीच भेदभाव के कारण, महिलाओं को सबसे पहले नौकरी से हाथ धोना पड़ता है।
3. इसका एक कारण यह भी है कि बड़ी संख्या में 15-19 आयु वर्ग के युवा स्कूलों और कॉलेजों में नामांकित हैं और नौकरी लेने के लिए इच्छुक नहीं हैं।
4. अर्थव्यवस्था में संरचनात्मक परिवर्तनों के लिए आवश्यक कौशल श्रम शक्ति का वर्तमान कौशल के साथ तालमेल सही नही है।

रोजगार जनसंख्या अनुपात बढ़ाने के लिए कदमः-

1. चमड़ा और कपड़ा जैसे रोजगार पैदा करने वाले क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करना। साथ ही उद्योगों का विकेंद्रीकरण भी हो सकता है जिससे हर क्षेत्र के लोगों को रोजगार मिले।
2. शिक्षा और स्वास्थ्य में निवेश बढ़ाएं जो श्रमिकों को शिक्षित करेगा, उपयोगी कौशल प्रदान करेगा और उन्हें स्वस्थ बनाएगा।
3. ऐसी नीतियां बनाएं जिनका उद्देश्य स्थिर और अच्छे वेतन वाली नौकरियां प्रदान करना है। विशेष रूप से अनौपचारिक रोजगार में रोजगार सुरक्षा प्रदान करने की आवश्यकता है।
4. श्रम बाजार में लिंग आधारित भेदभाव को कम करना जो महिलाओं को श्रम बाजार में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करेगा।
5. भारत को पारंपरिक उद्योग आधारित विकास पर भी पुनर्विचार करने की जरूरत है। यदि उपयुक्त कदम उठाए जाएं तो कृषि क्षेत्र भी एक बड़ा रोजगार सृजनकर्ता हो सकता है।
6. उद्योग, शिक्षा और श्रम को एकीकृत करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का उपयोग करना।

भारत ''युवाओं'' का देश है। यँहा 35 वर्ष से कम आयु की 65 प्रतिशत जनसंख्या है इसलिए, भारत के लिए अपने जनसांख्यिकीय संक्रमण से उत्पन्न होने वाले लाभों को प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, हमें भारत में रोजगार की स्थिति के प्रति तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता है, अन्यथा वही लाभांश आपदा में बदल सकता है।

समसामयिकी आधारित बहुविकल्पीय प्रश्न

1. ब्रुसेलोसिस के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. ब्रुसेलोसिस एक संक्रामक जूनोटिक जीवाणु संक्रमण है जो आमतौर पर मवेशियों से फैलता है।
2. यह एक वायुजनित संक्रमण है और दक्षिण एशियाई क्षेत्र में इसका मानव से मानव में संचरण बहुत आम है।
3. यह ग्रामीण भारत के लिए स्थानिक बीमारी है और पशुपालन क्षेत्र में भारी आर्थिक नुकसान का कारण बनती है।
4. भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (ICAR-IVRI) ने हाल ही में डेयरी क्षेत्र में ब्रुसेलोसिस की रोकथाम के लिए एक टीका विकसित किया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
A. 1, 2 और 4 B. केवल 1, 3 और 4
C. केवल 1 और 3 D. उपरोक्त सभी

उत्तर-B

2. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
कथन-I: भारत ने G20 बैठक में इंडोनेशिया के साथ भारत-इंडोनेशिया आर्थिक और वित्तीय संवाद नाम से एक मंच लॉन्च किया है।
कथन-II: इंडोनेशिया आसियान क्षेत्र में भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार है।
A. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II कथन-I के लिए सही स्पष्टीकरण है।
B. कथन-I और कथन-II दोनों सही हैं और कथन-II, कथन-I के लिए सही स्पष्टीकरण नहीं है।
C. कथन-I सही है लेकिन कथन-II गलत है।
D. कथन-I गलत है लेकिन कथन-II सही है।

उत्तर-A

3. अग्रिम प्राधिकरण योजना से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. इस योजना का उद्देश्य शुल्क मुक्त आयात की अनुमति देना है जिसे सीधे निर्यात उत्पादों में शामिल किया जाता है।
2. यह योजना उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग द्वारा लागू की गई है।
3. इसके परिणामस्वरूप निर्यातकों के लिए टर्नअराउंड समय कम होगा और अनुपालन बोझ कम होगा।
4. यह योजना विदेश व्यापार नीति-2023 में उल्लिखित चार स्तंभों में से एक से जुड़ी है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है?
A. केवल 1, 2 B. केवल 1, 3 और 4
C. केवल 1 और 3 D. उपरोक्त सभी

उत्तर-B

4. व्यापक और प्रगतिशील ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के संबंध में कथन पर विचार करें:
1. सीपीटीपीपी भारत-प्रशांत क्षेत्र में स्थित सभी 11 देशों का एक मुक्त व्यापार समूह है।
2. इसकी स्थापना 2016 में यू.एस.ए. द्वारा क्षेत्र में मुक्त बाजार अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।
3. यह समुद्री सुरक्षा के उद्देश्य से एक रणनीतिक सैन्य गठबंधन के रूप में भी कार्य करता है।
4. हाल ही में यूनाइटेड किंगडम 500 मिलियन लोगों के व्यापार बाजार तक पहुंच के लिए आधिकारिक तौर पर इस समझौते में शामिल हो गया है।
ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है?
A. 1, 2 और 3
B. केवल 1, 3 और 4
C. केवल 1 और 3
D. उपरोक्त सभी

उत्तर-A

5. कौन से देश CPTPP के सदस्य हैं:
1. ऑस्ट्रेलिया 2. ब्रुनेई
3. चिली 4. मेक्सिको
5. मलेशिया 6. इंडोनेशिया
7. जापान
सही कोड चुनें-
A. केवल 1, 2, 3, 7
B. केवल 1, 2, 3, 4, 6, 7
C. केवल 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
D. 1, 2, 3, 4, 5, 7

उत्तर-D

6. बटागाइका क्रेटर हाल ही में चर्चा में था। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें-
1. यह साइबेरियाई क्षेत्र के मध्य भाग में स्थित दुनिया का सबसे बड़ा पर्माफ्रॉस्ट क्रेटर है।
2. वैज्ञानिकों को इस क्रेटर में मेगास्लंप्स के सबूत मिले हैं।
3. पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र सौर विकिरण के लिए परावर्तक के रूप में कार्य करता है और हानिकारक ग्रीनहाउस गैसों को भी अपने नीचे रोक लेता है।
4. अधिकांश पर्माफ्रॉस्ट क्षेत्र उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है।
इनमें से कितने कथन सही हैं?
A. केवल दो B. केवल तीन
C. केवल एक D. केवल चार

उत्तर-B

7. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. केंद्र सरकार द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के तहत नारी अदालत की शुरुआत की गई।
2. इसे ग्रामीण स्तर पर लॉन्च किया जाएगा।
3. योजना असम और जम्मू-कश्मीर के 50-50 गांवों में शुरू होगी।
उपर्युक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 1 और 2
C. केवल 2 और 3
D. उपरोक्त सभी

उत्तर-C

8. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. राजस्थान न्यूनतम विधेयक संपूर्ण वयस्क आबादी को कवर करने का प्रयास करता है।
2. इसके तहत राज्य के सभी परिवारों को 155 दिनों का रोजगार की गारंटी मिलती है।
3. वृद्धों, विकलांगों, विधवाओं और एकल महिलाओं को न्यूनतम 1500 रु. प्रति माह की पेंशन मिलती है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?
A. केवल 1
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर-A

9. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. उच्चतम न्यायालय में वरिष्ठ अधिवक्ताओं के पदनाम के लिए नए दिशानिर्देशों के अनुसार वरिष्ठ अधिवक्ता पदनाम की न्यूनतम आयु 42 वर्ष होगी।
2. पूर्व न्यायाधीश इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं, भले ही वे कहीं और कार्यरत हों।
3. ये दिशानिर्देश 2016 में अदालत द्वारा जारी किए गए पहले दिशानिर्देश का स्थान लेंगे।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?
1. 1 और 2
2. 2 और 3
3. 1 और 3
4. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर-D

10. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:
1. पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन भारत से एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप का पहला सदस्य बन गया।
2. इसकी घोषणा गोवा में जी20 शिखर सम्मेलन के दौरान की गई थी।
3. एशिया ट्रांजिशन फाइनेंस स्टडी ग्रुप जर्मनी की एक पहल है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है/हैं?
A. केवल 3
B. केवल 1 और 2
C. केवल 1 और 3
D. 1, 2 और 3

उत्तर-B

11. जन विश्वास विधेयक 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए-
1. इसके अंतर्गत 42 अधिनियमों के 183 अपराधों का गैर अपराधीकरण करने का प्रयास किया गया है।
2. इस विधेयक के अंतर्गत जुर्माना और अर्थदंड में हर 1 साल में 10 प्रतिशत की बढ़ोतरी होगी।
निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही होगा?
A. 1
B. 2
C. 1 और 2
D. कोई नही

उत्तर-A

12. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:
1. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण का अगले 5 वर्षों में नामीबिया से 50 चीते लाने का लक्ष्य है।
2. कूनो नदी महानदी की सहायक नदी है।
उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?
A. 1
B. 2
C. 1 और 2 दोनों
D. कोई नहीं

उत्तर-A

13. हाल ही में चर्चा में रहा नमदा कला के बारे में विचार करें-
1. नमदा एक प्रकार का पारंपरिक कश्मीरी पोशाक है।
2. डिजाइन में फूल, पत्तियां, कलियाँ और फल होते हैं।
3. इसे शाह-ए-हमदान नाम के एक सूफी संत ने कश्मीरियों से परिचित कराया था।
उपर्युक्त कथनों की सहायता से सही कथन का चुनाव करें-
A. केवल 1 और 2
B. केवल 2 और 3
C. 1, 2 और 3
D. केवल 1 और 3

उत्तर-B

14. समाचारों में रहा टंकाई विधि के बारे में कौन सा कथन सही है?
1. टंकाई विधि एक प्राचीन जहाज निर्माण तकनीक है।
2. इस विधि में जहाजों का निर्माण कीलों के प्रयोग के बजाय लकड़ी के तख्तों को एक साथ सिलकर किया जाता था।
उपर्युक्त कथनों की सहायता से सही कथन का चुनाव करें:

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. ना तो 1 और ना तो 2

उत्तर- C

15. स्थानीय मुद्रा निपटान के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. अपनी तरह के पहले समझौते में, भारत और फ्रांस के बीच इस पर हस्ताक्षर किये गये।

2. सीमा पार लेनदेन को सुव्यवस्थित करते हुए, यह प्रेषण के हस्तांतरण की सुविधा भी प्रदान करेगा।

निम्नलिखित में से कौन सा/से सत्य है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. 1 और 2 दोनों
D. न तो 1 और न ही 2

उत्तर-B

16. महिलाओं पर संयुक्त राष्ट्र रिपोर्ट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स और महिला सशक्तीकरण सूचकांक के डेटा को मिलाकर तैयार किया गया है।

2. रिपोर्ट के अनुसार, दुनिया भर में 50% से भी कम महिलाएं अपनी पूरी क्षमता का एहसास कर पाती हैं।

3. केवल नॉर्डिक देशों ने ही पूर्ण महिला सशक्तीकरण और लैंगिक समानता हासिल की है।

उपरोक्त में कौन सा कथन सत्य हैं?

A. केवल 1 कथन
B. केवल 2 कथन
C. तीनों कथन
D. कोई नहीं

उत्तर-D

17. हाल ही में, मापुटो प्रोटोकॉल ने 2003 में इसे अपनाने के बाद से दो दशक पूरे किए। मापुटो प्रोटोकॉल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. यह अफ्रीका की हीरा खानों में काम करने वाले बाल श्रमिकों और बंधुआ मजदूरों के अधिकारों को परिभाषित करता है।

2. प्रोटोकॉल कानूनी रूप से बाध्यकारी है और लागू होने वाली सबसे तेज मानवाधिकार संधियों में से एक है।

निम्नलिखित में से कौन सा/से विकल्प सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- B

18. मापुटो प्रोटोकॉल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. इसे अफ्रीका में महिलाओं के अधिकारों के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करने के लिए वर्ष 2012 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अपनाया गया था।

2. मापुटो प्रोटोकॉल पर नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार, यह पाया गया है कि श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी में काफी वृद्धि हुई है।

3. रिपोर्ट के अनुसार, 2030 तक लगभग 10 मिलियन लड़कियों के बाल दुल्हन बनने का खतरा है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- A

19. सिंथेटिक कोशिकाओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें

1. एक सिंथेटिक सेल एक कृत्रिम रूप से बनाई गई कोशिका है जिसे गैर-जीवित सामग्रियों का उपयोग करके प्राकृतिक कोशिकाओं की नकल करने के लिए डिजाइन किया गया है। उनमें सेलुलर मशीनरी और सिंथेटिक आनुवंशिक सामग्री जैसे आवश्यक घटक होते हैं जो प्रकृति में मौजूद नहीं होते हैं।

2. हाल ही में यह प्रदर्शित किया गया है कि न्यूनतम जीनोम के साथ सिंथेटिक सेल संकुचित वातावरण के तहत विकसित हो सकता है।

निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर- C

20. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. माइकोप्लाज्मा माइकोइड्स जेसीवीआई-सिन 3 बी पहला सिंथेटिक जीव है जिसे जे क्रेग वेंटर इंस्टीट्यूट, कैलिफोर्निया द्वारा बनाया गया है।

2. 493 जीनों में, एम माइकोइड्स जेसीवीआई-सिन 3 बी का न्यूनतम जीनोम किसी भी ज्ञात मुक्त-जीवित जीव में सबसे छोटा है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

उत्तर- D

21. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. कैंडिडा ऑरिस बैक्टीरिया की एक प्रजाति है जो मनुष्यों में गंभीर और संभावित रूप से जानलेवा संक्रमण पैदा कर सकती है। इसे एक सुपरबग माना जाता है क्योंकि इसने कई एंटीबायोटिक दवाओं के लिए प्रतिरोध विकसित किया है।

2. कैंडिडा ऑरिस को संग्रहीत सेब की सतह पर, ज्वारीय दलदल में और अत्यधिक उच्च लवणता वाले वातावरण में भी खोजा गया है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

उत्तर- B

22. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. सुपरबग्स मल्टीड्रग प्रतिरोधी जीव हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाने वाले एंटीबायोटिक दवाओं के खिलाफ प्रतिरोध विकसित करते हैं जिससे पारंपरिक उपचार पूरी तरह से अप्रभावी हो जाते हैं।

2. हाल ही में, नई दिल्ली में आवारा कुत्तों के कान में सुपरबग पाए गए हैं, जो मनुष्यों में रोग संचरण के जोखिम का हवाला देते हैं।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही नहीं है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

उत्तर- D

23. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. एंडोमेट्रियोसिस एक श्वसन रोग है जो आमतौर पर रासायनिक फ्यूमिगेंट्स के लंबे समय तक संपर्क में रहने वाली महिलाओं में पाया जाता है।

2. भारत में, लगभग 42 मिलियन महिलाएं इस स्थिति से प्रभावित हैं।

3. हाल ही में, यह प्रदर्शित किया गया था कि जीवाणु संक्रमण महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस का कारण बन सकता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2 और 3
C. केवल 1 और 3
D. केवल 3

उत्तर- B

24. महादेई अभयारण्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. महादेई अभयारण्य नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, कर्नाटक में पश्चिमी घाट के हरे भरे जंगल में स्थित है।

2. अभयारण्य में कुछ सदाबहार प्रजातियों और दुर्लभ स्थानिक ऑर्किड के साथ घने अर्ध सदाबहार वन हैं जो अपने पवित्र उपवनों के लिए प्रसिद्ध है।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सत्य है?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

उत्तर- D

25. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. प्रोजेक्ट टाइगर एक बाघ संरक्षण कार्यक्रम है जिसे 1 अप्रैल, 1973 को भारत सरकार द्वारा डब्ल्यूडब्ल्यूएफ के सहयोग से शुरू किया गया था।

2. राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण सांविधिक प्राधिकरण है जो किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने की सिफारिश करता है। एनटीसीए की सिफारिशें राज्यों के लिए बाध्यकारी हैं।

3. राज्य अंतिम प्राधिकरण है जो किसी क्षेत्र को टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित करने के लिए मंजूरी देता है।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से सही है/हैं?

A. केवल 2 और 3
B. केवल 2
C. केवल 1 और 3
D. केवल 1, 2 और 3

उत्तर- D

26. भूवैज्ञानिक समय पैमाने के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें:

1. वर्ष 2000 में नोबेल पुरस्कार विजेता पॉल क्रुटजेन और जीव विज्ञान के प्रोफेसर यूजीन स्टोर्मर द्वारा गढ़ा गया एंथ्रोपोसीन युग, पृथ्वी के पारिस्थितिकी तंत्र में महत्वपूर्ण मानव-प्रेरित परिवर्तनों द्वारा चिह्नित वर्तमान भूवैज्ञानिक समय अंतराल का प्रतिनिधित्व करता है।

2. भूगर्भिक समय पैमाना पृथ्वी के 4.5 अरब साल के इतिहास की हमारी समझ के लिए आधिकारिक ढांचा प्रदान करता है। इसे युगों, युगों, युगों, अवधियों और युगों में वर्गीकृत किया गया है।

3. वर्तमान समय में हम मेघालय युग में रहते हैं जो अंतिम हिमयुग के बाद लगभग 11,700 साल पहले शुरू हुआ था।

उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है?

A. केवल एक
B. केवल दो
C. केवल तीन
D. उपरोक्त में से कोई नहीं

उत्तर-C

27. निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:

1. पृथ्वी के भूवैज्ञानिक समय पैमाने का विभाजन जीवाश्म रिकॉर्ड और जीवों के उत्तराधिकार के सिद्धांत पर आधारित है।

2. ग्रेट एक्सेलेरेशन शब्द का उपयोग उस तबाही को परिभाषित करने के लिए किया जाता है जिसने तेजी से बढ़ते उल्कापिंड के कारण जुरासिक युग में डायनासोर के कयामत को चिह्नित किया था।

उपरोक्त कथनों में से कौन सा/से गलत है/हैं?

A. केवल 1
B. केवल 2
C. दोनों
D. कोई नहीं

उत्तर-A

DHYEYA IAS®
most trusted since 2003

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

20 Years of Trust

Success is Our Tradition

4500+ Selections in IAS & PCS

ADMISSIONS OPEN FOR

Offline / Online Courses

GENERAL STUDIES | CSAT | OPTIONAL SUBJECTS

MAIN TEST SERIES FOR IAS & PCS

Looking to crack **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination**. Look no further than Dhyeya IAS! Our comprehensive preparation program offers everything you need.

- Expert lectures from experienced subject specialists
- Dedicated mentors to guide you through every step of the process and answer your questions
- Special lectures from top experts in the field
- Holistic PMI (Prelims, Mains, and Interview) tests to prepare you for every stage of the exam
- Complete coverage of current affairs to keep you up-to-date on the latest news and trends
- Daily answer writing practice with expert guidance

Join the many successful candidates who have benefited from Dhyeya IAS's proven approach for **UPSC, UP-PSC & BPSC Civil Services Examination.** *Contact us today to learn more*

Available Optional Subjects

- HISTORY
- POLITICAL SCIENCE & IR
- GEOGRAPHY
- SOCIOLOGY

UPSC PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

UP-PCS PRELIMS & MAINS
TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

BPSC PRELIMS & MAINS
GS & OPTIONAL TEST SERIES
(OFFLINE & ONLINE)

FORTNIGHTLY AVAILABLE PERFECT 7 MAGAZINE FOR COMPREHENSIVE COVERAGE OF CURRENT AFFAIRS

FOR OFFLINE COURSES, CALL RESPECTIVE CENTRE

FOR ONLINE COURSES CALL 9205274741 / 42

Delhi (Mukherjee Nagar) : Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar Ph: **9289580074/75** • Delhi (Laxmi Nagar) : 1/53, Lalita Park, Near Gurudwara, Laxmi Nagar Ph: **9205212500/9205962002** • Greater Noida : Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt, Greater Noida Ph: **9205336037/38** • Prayagraj : SP Marg, Civil Lines, Prayagraj Ph: **0532-2260189/8853467068** • Lucknow (Aliganj) : A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow Ph: **9506256789/7570009002** • Lucknow (Gomti Nagar) : Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Gomti Nagar, Lucknow Ph: **7234000501/ 7234000502** • Lucknow (Alambagh) : Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony, Alambagh Lucknow Ph: **7518373333/7518573333** • Kanpur : 113/154 Swaroop Nagar, Kanpur Ph: **7887003962/7897003962** • Gorakhpur : Narayan Tower, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Ph: **0551-2200385/7080847474**

ध्येयIAS®
most trusted since 2003

20 वर्षों का भरोसा

सफलता ही हमारी परम्परा!

4500+ SELECTIONS IN IAS & PCS

₹ 55

dhyeyaias.com

Face to Face Centres

North Delhi : A 12, 13, Ansal Building, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi - 110009, Ph: 9205274741/42/44 I **Laxmi Nagar :** 1/53, 2nd floor, Lalita Park, Near Gurudwara, Opposite Pillar no.23, Laxmi Nagar, Delhi -110092, Ph: 9205212500/9205962002 I **Greater Noida :** 4th Floor Veera Tower, Alpha 1 Commercial Belt., Greater Noida, UP - 201310, Ph: 9205336037/38 I **Prayagraj :** II & III Floor, Shri Ram Tower, 17C, Sardar Patel Marg, Civil Lines, Prayagraj, UP - 211001, Ph: 0532-2260189/8853467068 I **Lucknow (Aliganj) :** A-12, Sector-J, Aliganj, Lucknow, UP- 226024, Ph: 0522-4025825/9506256789 I **Lucknow (Gomti Nagar) :** CP-1, Jeewan Plaza, Viram Khand-5, Near Husariya Chauraha, Gomti Nagar, Lucknow, UP - 226010, Ph: 7234000501/ 7234000502 I **Lucknow (Alambagh) :** 58/1 , Sector-B Opposite Phoenix Mall Gate No. 3, L.D.A Colony , Alambagh Lucknow,, Ph: 7518373333, 7518573333 | **Kanpur :** 113/154 Swaroop Nagar, Near HDFC Bank, Kanpur, UP - 208002, Ph: 7887003962/7897003962 I **Gorakhpur :** Narain Tower, 2nd floor, Gandhi Gali, Golghar, Gorakhpur, Uttar Pradesh 273001, Ph: 7080847474 I **Bhubaneswar :** OEU Tower, Third Floor, KIIT Road, Patia, Bhubaneswar, Odisha -751024, Ph: 9818244644/7656949029

Dhyeya IAS Now on Telegram

Join Dhyeya IAS Telegram Channel from link the given below

https://t.me/dhyeya_ias_study_material

नोट : पहले अपने फ़ोन में टेलीग्राम App Play Store से Install कर ले उसके बाद लिंक में क्लिक करें जिससे सीधे आप हमारे चैनल में पहुँच जायेंगे।

You can also join Telegram Channel through our website

www.dhyeyaias.com

www.dhyeyaias.com/hindi

ध्येयIAS
most trusted since 2003

Address: 635, Ground Floor, Main Road, Dr. Mukherjee Nagar, Delhi 110009
Phone No: 9205274741, 9205274742, 9205274744